



ANNUAL REPORT
2 0 1 6 - 2 0 1 7



Substantially finished workshop in Central Park Depot



Diaphragm Wall started at Esplanade

CONTENTS

1.	Board of Directors	...	3
2.	Notice of Annual General Meeting	...	7-10
3.	Report of the Board of Directors'	...	13-28
4.	Report on Corporate Governance	...	29-34
5.	Management Discussion and Analysis Report	...	35-37
6.	Certificate of D. Rout & Associates dated 27.12.2017	...	38
7.	Secretarial Audit Report (of D. Raut & Associates)	...	39-41
8.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	...	43-44
9.	Auditor's Report	...	47-52
10.	Annual Accounts	...	54-88



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LTD.

Company Secretary

Shri S. N. Mukherjee

Registered Office

KMRCL Bhavan (HRBC Office Compound)
Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700021
Tel No.: 033 2213 4345
Fax no: 2213 4380
Website: www.kmrc.in

Statutory Auditors

M/s. S. K. Naredi & Co.
Chartered Accountants
Ground Floor, Apsara Apartments
67, Park Street
Kolkata - 700016

Bankers

State Bank of India, Kolkata Main Branch, Kolkata
Union Bank of India, Dharamtalla Branch, Kolkata

BOARD OF DIRECTORS

01.	Shri Ajay Vijayvargiya	Chairman (from 31.10.2017)
02.	Shri Mool Chand Chauhan	Chairman (from 26.07.2016 to 08.05.2017)
03.	Shri Vishwesh Chaube	Chairman (from 09.05.2017 to 30.10.2017)
04.	Shri Satish Kumar	Managing Director (from 16.03.2016 to 31.07.2017)
05.	Shri Sudhir Agrawal	Managing Director (from 01.08.2017 to 31.10.2017)
06.	Shri Kailash Kumar Aggarwal	Director
07.	Shri Mukund Kumar Sinha	Director
08.	Smt. Jhanja Tripathy	Director
09.	Shri Alapan Bandyopadhyay, IAS	Director
10.	Shri Nagsen Moreshwar Dhoke	Director
11.	Shri Harekrushna Sahu	Director (Finance) (from 10.05.2017)
12.	Dr. Samaresh Kanti Panday	Director (Finance) (upto 20.03.2017)
13.	Shri Anup Kumar Kundu	Director (RS&T)
14.	Shri Manas Sarkar	Director (Project & Planning) (from 10.11.2017)
15.	Shri Parashuram Singh	Director (Project & Planning) (upto 30.09.2017)

Note : This page has been kept blank intentionally

NOTICE

Note : This page has been kept blank intentionally

NOTICE OF NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 27th December, 2017 at 4.00 P.M. in the 'Committee Room' of Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi - 110 001 to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2017 (including the Cash Flow Statement) together with the Reports of the Board of Directors and the Independent (Statutory) Auditors as also the Comments of Comptroller and Auditor-General of India.
2. To fix remuneration of the Statutory Auditors for financial year 2017-18 and in this connection to pass with or without modifications the following as an ordinary resolution:
"RESOLVED, that pursuant to Section 142(1) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to fix the remuneration payable to S. K. Naredi & Co., Chartered Accountants, the Statutory Auditors, for financial year 2017-18."

Special Business

To consider and if thought fit to pass the following resolutions as Ordinary resolutions:

3. "RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, appointment of Shri Vishwesh Chaube (Director Identification Number: 00050563) as part-time Chairman of the Board of Directors of the Company for the period 9th May, 2017 to 30th October, 2017 be and is hereby approved and confirmed."
4. "RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, appointment of Shri Harekrushna Sahu (Director Identification Number: 05174575) as Director (Finance) of the Company with effect from 10th May, 2017 be and is hereby approved and confirmed."
5. "RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, appointment of Shri Sudhir Agrawal (Director Identification Number: 07921451) as Managing Director of the Company for the period 1st August, 2017 to 31st October, 2017 be and is hereby approved and confirmed."
6. "RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, appointment of Shri Ajay Vijayvargiya (Director Identification Number: 08021601) as part-time Chairman of the Board of Directors of the Company with effect from 31st October, 2017 be and is hereby approved and confirmed."
7. "RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, appointment of Shri Manas Sarkar (Director Identification Number: 08011003) as Director (Project & Planning) of the Company with effect from 10th November, 2017 be and is hereby approved and confirmed."
"RESOLVED FURTHER, that pursuant to Section 196 of the Companies Act, 2013 read with the Articles of Association, approval of the Company be and is hereby accorded to the appointment made by the President of India as conveyed vide Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter No. 2014/E(O)II/40/21 dated 11th August, 2017, of Shri Manas Sarkar, SAG/IRSE, as Director (Project & Planning) on deputation basis (on parent pay in the cadre without any deputation allowance) for a period of five years with effect from 10th November, 2017 or till the date of his superannuation or till the post is exempted from the rule of immediate absorption or until further orders, whichever is the earliest."



"RESOLVED FURTHER, that the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

By order of the Board,

**New Delhi,
27th December, 2017**

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and on a poll vote instead of himself. The proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the time for holding the meeting.
2. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 relating to the items of special business is annexed.
3. The meeting is being held by shorter notice pursuant to consents pursuant to Section 101(1) of the Companies Act, 2013 being received from all the members.
4. Pursuant to application made by the Company in this behalf, Registrar of Companies, West Bengal has vide Order dated 28th August, 2017 granted extension of time by three months i.e. till 28th December, 2017 for holding the Annual General Meeting.
5. Pursuant to application made by the Company in this behalf, the Central Government (**viz.** Ministry of Corporate Affairs) has vide letter dated 24th October, 2017 been pleased to approve holding the Annual General Meeting at New Delhi.



Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in respect of the items of special business set out in the Notice convening the Ninth Annual General Meeting to be held on 27th December, 2017

Item no. 3

Shri Vishwesh Chaube assumed charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata on 9th May, 2017. Accordingly, in terms of Ministry of Railways (Railway Board) letter No. 2012/Proj./KMRC/21/4/Pt. dated 30th January, 2014, he became the part-time Chairman of the Board of Directors of the Company with effect from that date. He relinquished charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata on 30th October, 2017 and ceased to be the Chairman. Section 152(2) of the Companies Act, 2013 stipulates that save as otherwise expressly provided therein, every Director shall be appointed by the company in general meeting.

The ordinary resolution set out under item no. 3 of the Notice is intended for the purpose.

No Director, key managerial personnel or their relatives is concerned or interested in the same.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item no. 4

Government of India, Ministry of Railways, Railway Board has vide letter No. 2014/E(O)II/40/8 dated 9th May, 2017 conveyed decision to give additional charge of the post of Director (Finance) of the Company on part-time basis to Shri Harekrushna Sahu, IRAS, Metro Railway, Kolkata with effect from the date of assumption of additional charge till such time the post is filled up through regular selection process by the Public Enterprises Selection Board or the date of superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

Shri Sahu has assumed charge of the post of Director (Finance) w.e.f. 9th May, 2017 (A/N).

Section 152(2) of the Companies Act, 2013, stipulates that save as otherwise expressly provided therein, every Director shall be appointed by the company in general meeting.

The ordinary resolution set out under item no. 4 of the Notice is intended for the purpose.

Shri Sahu may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, key managerial personnel or their relatives is concerned or interested in the same.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item no. 5

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide letter No. 2014/E(O)II/40/8 dated 31st July, 2017 conveyed decision by the Ministry to entrust additional charge of the post of Managing Director of the Company to Shri Sudhir Agrawal, IRSE, Eastern Railway, on part-time basis in addition to his own, as an interim arrangement w.e.f. 1st August, 2017 and till such time the post is filled up through regular selection process or the date of superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

Shri Agrawal assumed charge of the post of Managing Director w.e.f. 1st August, 2017.

Subsequently, Ministry of Railways (Railway Board) vide letter No. 2014/E(O)II/40/8 dated 27th October, 2017 conveyed approval to entrustment of additional charge of the post of Managing Director of the Company for a period of three months w.e.f. 1st August, 2017 or till a regular incumbent is appointed to the post or until further orders, whichever is the earliest.

Shri Agrawal has, therefore, ceased to be the Managing Director w.e.f. 1st November, 2017.

Section 152(2) of the Companies Act, 2013, stipulates that save as otherwise expressly provided therein, every Director shall be appointed by the company in general meeting.

The ordinary resolution set out under item no. 5 of the Notice is intended for the purpose.

No Director, key managerial personnel or their relatives is concerned or interested in the same.

Copies of the aforesaid letters of Ministry of Railways (Railway Board) are available for inspection of members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

Item no. 6

Shri Ajay Vijayvargiya has assumed charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata on 30th October, 2017 (A/N). Accordingly, in terms of Ministry of Railways (Railway Board) letter No. 2012/Proj./KMRC/21/4/Pt. dated 30th January, 2014, he has become the part-time Chairman of the Board of Directors of the Company with effect from 31st October, 2017.

Section 152(2) of the Companies Act, 2013 stipulates that save as otherwise expressly provided therein, every Director shall be appointed by the company in general meeting.

The ordinary resolution set out under item no. 6 of the Notice is intended for the purpose.

Shri Vijayvargiya is concerned or interested in the resolution. No other Director, key managerial personnel or their relatives is concerned or interested in the same.

Item no. 7

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide letter No. 2014/E(O)II/40/21 dated 11th August, 2017 conveyed approval of the Competent Authority to the appointment of Shri Manas Sarkar, SAG/IRSE, to the post of Director (Project & Planning) of the Company on deputation basis (on parent pay in the cadre without any deputation allowance) for a period of five years from the date of his assumption of charge of the post or till the date of his superannuation or till the post is exempted from the rule of immediate absorption or until further orders, whichever is the earliest.

Shri Sarkar, aged about 55 years, is an officer of Indian Railways and has wide experience in civil engineering matters. He has assumed charge of the post of Director (Project & Planning) w.e.f. 10th November, 2017 (F/N).

The Board of Directors of the Company ("the Board") has accordingly appointed Shri Sarkar as a whole-time Director designated as 'Director (Project & Planning)' w.e.f. 10th November, 2017.

Section 152(2) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), stipulates that save as otherwise expressly provided therein, every Director shall be appointed by the company in general meeting.

Section 196 of the Act deals with appointment of managing director, whole-time director or manager. Appointment of Shri Sarkar as Director (Project & Planning) of the Company is in compliance with the requirements of sub-Section (3) thereof.

Article 130 of the Articles of Association of the Company lays down provisions for whole-time Directors. In terms of the same, the Board may from time to time appoint one or more whole-time Directors of the Company and designate them as Executive Director, Technical Director, Finance Director, etc. on such terms as may be deemed proper, subject to the provisions of any contract between the Company and him or them, remove or dismiss him or them from office, and appoint another or others in his or their places. The whole-time Directors shall not be liable to retire while they continue to hold the office.

The ordinary resolution set out under item no. 7 of the Notice is intended for the purpose.

Shri Sarkar is concerned or interested in the resolution. No other Director, key managerial personnel or their relatives is concerned or interested in the same.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Note : This page has been kept blank intentionally

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is pleased to present its 9th Annual Report together with the audited financial statements of the Company (including the Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2017, Report of the Statutory Auditors and Comments of the Comptroller and Auditor-General of India.

Financial highlights

During the year under report, the Company continued to be engaged in implementing the 'East West Metro Corridor' Project - a rail based mass rapid transit system connecting Salt Lake Sector V in the east to Howrah Maidan in the west.

Net Income after Tax as per 'Statement of Profit and Loss' forming part of the financial statements for the year ended 31st March, 2017 amounting to Rs. 1619.02 lakh has been transferred to 'Reserves & Surplus' under the head 'Other Equity' in the Balance Sheet as on that date.

The Company had no subsidiary, associate or joint venture company during the year under report.

Status of the Project

As stated in previous Reports, Government of India decided on 23rd August, 2012, that the 'East West Metro Project' will be transferred to Ministry of Railways ('MoR') and executed as a Central Sector Project. MoR will hold 74% equity of the Company and Ministry of Urban Development balance 26%. All shares held in the Company by Government of West Bengal ('GoWB') were thereafter transferred to MoR. Ministry of Urban Development has since been renamed as Ministry of Housing and Urban Affairs (hereafter referred to as 'MoHUA').

Government of India also decided that the Company as the Project Implementation Unit would continue to function till the completion of execution of the Project. However, Government of India will hold all the shares of the Company and after completion of the Project would run the same along with North South Corridor under a unified control.

The Project is being executed in two phases - Phase-I from Salt Lake Sector V to Phoolbagan and Phase-II from Phoolbagan to Howrah Maidan. Phase-I (7.27 kms.) is targeted for commissioning by June 2018 and Phase-II (9.28 kms.) by December 2020. In case of any further delay in implementation of underground systems works, commissioning of the elevated portion is at least aimed in due time i.e. June 2018.

In view of land acquisition and rehabilitation related issues in Mahakaran and Central Stations, GoWB had proposed realignment of the route in Phase-II. The proposed realignment is to be detoured through Esplanade where the Corridor shall interface with existing North-South Corridor as well as the upcoming Joka-Esplanade Metro line. Esplanade being located in the central hub of Kolkata with a mega bus terminus, this realigned route will impart better connectivity and ridership.

The realignment proposed has resulted in increase of the route length by 1.878 kilometres between Sealdah and Howrah and necessitated shifting of 'Mahakaran' Station 0.477 metres south in front of Laldighi. Length of the route will thus be 16.55 kilometres - out of which 5.74 kilometres is elevated portion and 10.81 kilometres underground corridor. There will be 6 nos. elevated and 6 nos. underground stations. Significantly, this revised alignment does not involve any land acquisition and/or major rehabilitation issues.

Hon'ble Minister for Railways announced (in August 2015) that the Project will be executed as per realigned route proposed by GoWB and all costs in this regard will be borne by Government of India.

Work in Phase-II which was stalled since December 2012 due to alignment-related indecision has since been resumed in September 2015.

The Project cost has increased due to additional expenditure involved in implementation of the same due to the re-alignment, price escalation due to additional time, change in market dynamics in Metro sector due to delay in execution and fluctuation of Indian currency in international market, etc. The Company submitted to MoR (during 2015-16) a revised Project cost amounting to Rs. 8996.96 crore. After review by MoR, the same was reduced to Rs. 8416.01 crore (against sanctioned cost of Rs. 4874.58 crore). Same is presently under consideration of MoR.

The 'East West Metro Project' is a unique Metro rail project where twin underground tunnels have passed below the mighty River Hooghly. This is the first such ambitious attempt in the country. The unique challenges posed by Kolkata's soft ground condition and densely populated urban environment are being addressed by choice of Earth Pressure Balancing Tunnel Boring Machines and well engineered tunnelling operations.

Major constraints faced earlier by the Company leading to delay in Project completion are:

1. Non-availability of land at Duttabad (in Phase-I);
2. Non-availability of land & rehabilitation issues in Central station (in Phase-II);
3. Non-availability of land and rehabilitation issues in proposed Mahakaran station;
4. Non-availability of traffic diversion permission from GoWB for construction of Mahakaran station;
5. Non-finalisation of alignment in Phase-II;
6. Flow of funds not as per requirement.

Majority of the issues contributing to delay are presently resolved.

Permission of Archaeological Survey of India ('ASI') was required for construction of underground corridor in Phase-II within 100 metres of three protected monuments. After hectic persuasion and intervention of Hon'ble High Court at Calcutta, permission for construction has been provided by ASI with the condition that there shall be no overground structure within 100 metres of the monuments.

During the year under report, the Company despite several constraints, made landmark achievements both in elevated viaduct as well as underground construction works.

Resettlement and Rehabilitation

The Company has a well defined resettlement and rehabilitation policy for the welfare of Project affected persons whose number is estimated at 677 along original alignment. However, this figure has significantly reduced as there will be no requirement of rehabilitation in Mahakaran and Central station areas.

Rehabilitation of the Project affected persons has been proposed as per details given below:

- ❖ Rehabilitating the entire Shree Market complex (comprising 129 shops) in Howrah Maidan area
- ❖ Rehabilitating 7 nos. commercial shops in front of erstwhile Bangabasi theatre in Howrah Maidan area
- ❖ Constructing 30 nos. temporary shops at Phoolbagan
- ❖ Rehabilitating 63 nos. KMC sweeper quarters at Swabhumi by permanent rehabilitation flats
- ❖ Rehabilitating 80 families in Duttabad settlement by permanent rehabilitation flats
- ❖ Rehabilitating KIT sweeper quarters at Subhas Sarobar.

Progress of Project work:

■ Elevated corridor work

Total length of elevated corridor is 5.74 kilometres (including 6 nos. elevated stations, each of 140 metres length) of which 5.375 kilometres has been completed. The long pending resettlement issue of Project affected persons has been solved with help of GoWB and work was started in this stretch in May 2015 and since been completed.

Structural works of all the 6 nos. elevated stations are completed. Presently, the work of elevated station roofing and architectural finishes (including E&M works) are in progress, which is likely to be completed by March 2018.

■ **Underground work**

The 10.81 kilometre route of underground corridor for the Project comprises of twin tunnels to be done by 'Tunnel Boring' method using precast concrete segmental tunnel liners. There will be 6 underground stations to be done by 'cut & cover' method using diaphragm walls as retaining system.

The underground section of the Project in Phase-I from Subhas Sarobar to Sealdah has achieved good progress as entire tunnelling has been completed. The agency deployed two numbers of Tunnel Boring machines and completed 5,409 metres of tunnelling with six successful and flawless tunnel breakthroughs. All the cross-passages in between the twin tunnels have been completed using 'NATM' technique. The entire tunnel walkways and track bed concreting in Phase-I have been completed. Substantial progress is also achieved in underground stations at Phoolbagan and Sealdah.

■ **Resolution of stalemate in Phase-II**

Tunnelling works in Phase-II was stopped by the agencies since December 2012 due to change in alignment proposed by GoWB as well as non-availability of land and permission for traffic diversion at Mahakaran and Central stations. Boring of the west-bound tunnel from Howrah Maidan started in April 2016 and east-bound tunnel in July 2016.

During the year under report, there was significant progress in tunnelling. Both tunnels have crossed under Howrah Railway yard (one of the busiest in the country) without any hindrance to train operations. Both tunnels also crossed below Howrah DRM office without causing any inconvenience to normal office functioning.

■ **Tunnelling below River Hooghly**

All preparations for crossing of the 520 metre long River Hooghly were made during the year under report. Tunnelling below the river started in April 2017 and has been successfully completed in 66 days which is a remarkable success of the Company. This is the 1st transportation tunnel of the country under any mighty river. The plethora of challenges has been successfully met.

Major achievements in Underground section are:

Package No.	Total Tunneling length (in metres)	Tunneling completed (in metres) upto 31.03.2017	Percentage of completion
Phase-I (UG-2 package) - Subhas Sarobar to Sealdah	5,409	5,409	100.00
Phase-II (UG-2 package) - Sealdah to Esplanade	4,892	Variation order issued in November 2016 and Tunnel Boring machines reached Kolkata during 2016-17. Work at site has also started.	-
Phase-II (UG-1 package) - Esplanade to Howrah Maidan	7,600	2,800	36.84
Total:	17,509	8,209	46.88

- ❖ All the diaphragm wall panels for Howrah Maidan cross-over, Sealdah cross-over, Sealdah Station and Subhas Sarobar 'cut & cover' and ramp structure have been completed. Work of diaphragm wall panels in Howrah Station is in progress.
- ❖ Entire roof slabs, concourse and base slabs in Sealdah cross-over, Phoolbagan and Subhas Sarobar 'cut & cover' and ramp structure have been cast.

- ❖ Casting of roof slabs, concourse slabs and base slabs is in progress at Sealdah Station & Howrah Maidan. Substantial portion of the work has been completed.

- **Track work**

The ballast-less track work has been completed for 3.4 track kilometres in elevated viaduct upto the end of year under report. Head Hardened Rail & DRBA fastenings for ballast-less track have been procured from abroad. All turnouts of mainline and depot line have been procured and ballasted track work in Depot is also in progress.

- **Rolling Stock**

The tender for supply, manufacturing & testing of 14 rakes, each of 6 car formation, was opened on 28th August, 2015. It was awarded to BEML Ltd. on 15th February, 2016 at a total cost of Eq. INR 899.91 crore. Thus, cost per car without taxes works out to be Eq. INR 9.38 crore.

BEML Ltd. have also agreed for expediting the supply to meet the requirement of 5 rakes for initiation of Phase-I operation. The first rake is expected to reach in March 2018.

- **Power supply**

Preliminary design for power supply system has been completed. Detailed design as per the list of deliverables has been completed for Phase-I. Installation of the systems is in progress in elevated section and depot. Siemens (Consortium) had demanded cost compensation for abnormal delay in execution of the Project. They initiated Conciliation proceedings for compensation for the inordinate delays in project execution not attributable to their account. Conciliation process is over and the Ld. Conciliator issued settlement award with the consent of both parties i.e. the Company and Siemens (Consortium). With the settlement award, the contract has been extended for another 196 weeks i.e. till June 2018 with a compensation package based on 'FIDIC' formula of compensation for the original validity period.

- **Escalators and elevators**

Ninety escalators and forty elevators are to be installed at different levels in the twelve stations of 'East West Metro' line to facilitate smooth mobility of passengers including physically challenged & aged persons. LOA for installation of forty-one escalators and twenty-six elevators for eight Metro stations of Phase-I has been awarded in December 2017.

- **Tunnel Ventilation System**

Tunnel Ventilation System ('TVS') shall provide a means to control smoke flow and ensure safe evacuation of passengers in case of fire as well as maintain an acceptable environment in the tunnel and station track way.

Tender for the TVS for entire Corridor has been invited and technical bid of eligible tenderer through open tender has been cleared by the Director Level Committee. Financial bids are in the process of being opened.

- **Signalling, Telecom and Automatic Fare Collection (AFC) works**

The design part of Phase-I Signalling and Telecommunication contract has been completed and manufacturing has started. Some of the instruments are also tested in factory and these are in the process of being delivered. The Signalling and Telecommunication cables for installation in elevated viaduct are expected to reach at site shortly. Tendering for AFC works is over and the contract has been awarded to M/s. Indra Sistemas SA (Spain). The AFC work is in preliminary design stage.

The Independent Safety Assessment work has been awarded to M/s. Certifer (France).

■ Platform Screen Doors (PSDs)

PSDs are a system of motorised sliding doors that provide controlled access to the trains and protect the platform edge. The PSD system constitutes a full height/half height screen-work load bearing structure installed using civil inter-face at platform and ceiling level. PSDs will restrict suicide cases at platform apart from substantial saving of electrical energy due to reduced volume of air conditioning. Besides, aesthetic view of the platform will also be enhanced.

LOA for PSD work for 6 elevated stations and 2 underground stations has been awarded and the preliminary work has been started.

■ Land acquisition proceedings

Altogether 12 cases under the Land Acquisition Act, 1894 involving acquisition of 3.3015 acres of private land were initiated by GoWB on behalf of the Company. The Company so far has obtained theoretical possession of 1.5233 acres of such land, out of which physical possession of only 0.38 acre was transferred and remaining land is in various stages of acquisition. However, as per realigned route, no further acquisition of private land will be required.

Besides, 48.30 acres land belonging to GoWB and Railways is needed, out of which 46.12 acres have already been handed over to the Company.

Environmental issues

A project of the size of 'East-West Metro' passing through the most densely populated areas of Kolkata is a huge environmental challenge. The Company factored this challenge in its planning since inception of the Project. Both the original Project as well as modified proposal was cleared from environmental criteria by West Bengal Pollution Control Board as well as Environment Department of GoWB. The Company is strictly implementing the Environmental Management Plan as indicated in the EIA study report.

The 'East-West Metro' Project values preservation of the environment and minimising adverse impact on the greenery. About 1,335 trees have been removed for execution of the Project. All these trees have been identified with the representative of the local municipality which owned these trees and 6,900 trees have been planted in replacement at a total cost of Rs. 45.61 lakh.

Financial outlay

The revised budgeted allocation of MoR for the Company for 2016-17 was Rs. 500.00 crore. During the year under report, MoR released an amount of Rs. 175.00 crore towards equity and Rs. 325 crore as Pass Through Assistance (PTA).

MoHUA did not release any amount against the sanctioned budget of Rs. 2.00 lakh.

Share Capital

The authorised share capital of the Company for the time being is Rs. 1400 crore.

As on 31st March, 2017, the issued, subscribed and paid-up capital was Rs. 1060.50 crore. Equity holding of MoR (including shares transferred by GoWB) in the Company was Rs. 721.50 crore (68.03%) while that of MoHUA was Rs. 339.00 crore (31.97%). MoR released Rs. 100 crore towards equity during 2016-17 against which shares have been allotted after 31st March, 2017.

MoR has released further Rs. 467.38 crore after 31st March, 2017 - in two tranches of Rs. 216.72 crore and Rs. 250.66 crore, respectively.

Deposits

During the year under report, the Company did not invite deposits from public under Section 73 of the Companies Act, 2013.

Audit Committee

The Audit Committee for the time being is constituted with three Directors viz. Smt. Jhanja Tripathy (as Chairperson); Shri Kailash Kumar Aggarwal and Shri Mukund Kumar Sinha.

Scope of the Audit Committee/terms of reference of Audit Committee is:

1. Discussions with the Auditors periodically about the internal control system and the scope of audit including observations of the Auditors.
2. Review of annual financial statement before submission to the Board of Directors.
3. Ensure compliance of internal control system.
4. Investigations into any of the afore-stated matters or as may be referred to by the Board.
5. Review of Management Information Systems etc.

During financial year 2016-17, the Audit Committee met three times - on 1st June, 2016; 12th August, 2016; and 3rd February, 2017. Shri Aggarwal could not attend the meeting held on 12th August, 2016. Save and except the above, all the Directors on the Committee attended the meetings.

Statutory Auditors

Comptroller and Auditor General of India appointed S. K. Naredi & Co., Chartered Accountants, as Statutory Auditors of the Company for financial year 2016-17 and have re-appointed them for financial year 2017-18.

Internal Auditors

M/s. KPMG, Chartered Accountants, were appointed Internal Auditors of the Company for 2016-17. The functioning of the Internal Auditors and their reports are reviewed by the Audit Committee.

Board of Directors

The Board comprises of 10 (ten) Directors out of a maximum 15 (fifteen) excluding nominee Directors, as provided in the Articles of Association of the Company.

Since the last report, Shri Mool Chand Chauhan ceased to be Chairman of the Board w.e.f. 9th May, 2017 consequent upon his relinquishing charge of the post of General Manager, Metro Railway, Kolkata. The Board records its appreciation of the valuable services rendered by Shri Chauhan during his tenure of office.

Shri Vishwesh Chaube assumed charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata w.e.f. 9th May, 2017. In terms of letter No. 2012/Proj./KMRCL/21/4/Pt. dated 30th January, 2014 of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board), Shri Chaube was appointed (part-time) Chairman of the Board. However, he ceased to be Chairman w.e.f. 31st October, 2017 consequent upon relinquishing charge of the post of General Manager, Metro Railway, Kolkata. The Board records its sincere appreciation of the valuable services rendered by Shri Chaube during his tenure of office.

Shri Ajay Vijayvargiya assumed charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata w.e.f. 31st October, 2017. Pursuant to above letter dated 30th January, 2014 of Government of India, Ministry of Railways (Railway Board), Shri Vijayvargiya has been appointed (part-time) Chairman of the Board.

Shri Satish Kumar, AGM/Eastern Railway, assumed charge as Managing Director w.e.f. 16th March, 2016 and was to hold the post till such time it was filled up through regular selection process or the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest. He relinquished charge as Managing Director w.e.f. 1st August,

2017 upon attaining the age of superannuation. The Board records its appreciation of the valuable services rendered by Shri Kumar during his tenure of office.

Railway Board vide letter dated 31st July, 2017 read with letter dated 27th October, 2017 conveyed approval to entrustment of additional charge of the post of Managing Director of the Company to Shri Sudhir Agrawal, AGM, Eastern Railway for a period of three months w.e.f. 1st August, 2017. Shri Agrawal assumed charge of the post w.e.f. 1st August, 2017, which he held till 31st October, 2017. The Board records its appreciation of the valuable services rendered by Shri Agrawal during his tenure of office.

Dr. Samaresh Kanti Panday relinquished charge as Director (Finance) w.e.f. 20th March, 2017 (A/N). The Board records its sincere appreciation of the valuable services rendered by Dr. Panday during his tenure of office.

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide letters dated 9th May, 2017 and 18th July, 2017 conveyed approval to entrustment of additional charge of the post of Director (Finance) of the Company to Shri H. K. Sahu, IRAS, Metro Railway, Kolkata for a period of six months w.e.f. 9th May, 2017. Shri Sahu has assumed charge of the post w.e.f. 9th May, 2017 (A/N).

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) vide letter No. 2014/E(O)II/40/8 dated 18th July, 2017 had approved extension of additional charge arrangement inter alia for the post of Director (Project & Planning) in favour of Shri Parashuram Singh for 6 months w.e.f. 1st April, 2017. Shri Singh has ceased to hold the post of Director (Project & Planning) w.e.f. 1st October, 2017. The Board records its sincere appreciation of the valuable services rendered by Shri Singh during his tenure of office.

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) have vide letter No. 2014/E(O)II/40/21 dated 11th August, 2017 conveyed approval of the Competent Authority to the appointment of Shri Manas Sarkar, IRSE, Eastern Railway to the post of Director (Project & Planning) of the Company on deputation basis (on parent pay in the cadre without any deputation allowance) for a period of five years from the date of his assumption of charge of the post or till the date of his superannuation or till the post is exempted from the rule of immediate absorption or until further orders, whichever is the earliest. Shri Sarkar has assumed charge of the post w.e.f. 10th November, 2017.

In compliance of Section 152(2) of the Companies Act, 2013 (hereafter referred to as "the Act"), resolutions for confirming appointments of Shri Chaube; Shri Vijayvargiya; Shri Agrawal; Shri Sahu and Shri Sarkar will be proposed at the ensuing Annual General Meeting of the Company.

There is no "independent director" as defined by Section 2(47) of the Act on the Board for the time being. As per the procedure laid down by Government of India, Department of Public Enterprises for appointment of non-official Directors on the Boards of CPSEs, the proposals for the same are to be initiated by the concerned Administrative Ministry/Department. The Company has written to MoR for appointment of two Independent Directors on its Board.

Government of India, Ministry of Corporate Affairs has issued a Notification dated 5th June, 2015. In terms of the same, the provisions of Section 152(6) and 152(7) of the Act shall not apply to Government companies in which the entire paid-up share capital is held inter alia by the Central Government. In view of the same, no Director of the Company is required to retire by rotation at the ensuing Annual General Meeting.

Number of meetings of the Board

During the year under report, 4 (four) meetings of the Board of Directors were held - on 26th May, 2016; 19th August, 2016; 28th September, 2016; and 25th January, 2017. Except the meeting held on 28th September, 2016 which was held in New Delhi, all the other meetings were held at the Registered Office of the Company at Kolkata.

Directors' Responsibility Statement

In compliance of Section 134(3)(c) and Section 134(5) of the Act, the Board of Directors states that in relation to the annual accounts for the financial year 2016-17:

- (1) the applicable accounting standards had been followed in the preparation thereof and there are no material departures.
- (2) such accounting policies as mentioned in the Notes to the Financial statements were selected and applied consistently and judgments and estimates that are reasonable and prudent had been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of financial year and of the income and expenditure during that period.
- (3) proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- (4) the accounts had been prepared on a 'going concern' basis.
- (5) proper and adequate systems had been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Key Managerial Personnel

In compliance of Section 203 of the Act read with Government of India, Ministry of Corporate Affairs Notification dated 5th June, 2015, Shri S. N. Mukherjee, Company Secretary and Shri Debabrata Nandi, Chief Financial Officer were the 'key managerial personnel' of the Company during the year under report.

Extract of the Annual Return

Extract of the Annual Return in the prescribed form as provided under Section 92(3) of the Act is annexed (Annexure-I).

Auditors' Report

Report of the Statutory Auditors on financial statements of the Company for year ended 31st March, 2017 is annexed.

The said Report read with Notes to the Accounts is self-explanatory. No qualification, reservation or adverse remark or disclaimer is made therein.

Comments of Comptroller and Auditor General of India

Comments of the Comptroller and Auditor General of India ("CAG") on the financial statements for the year ended 31st March, 2017 under Section 143(6) of the Act are also annexed.

CAG has highlighted certain significant matters as stated therein. Explanations thereto are given as under:

- A. **Balance Sheet - Assets - Non-Current Assets - Capital Work-in-Progress (Note No. 7) - Rs. 2346.35 crore:** The Company used to account for 'Receipts towards Reimbursement of VAT' on cash basis. However, the accounting procedure as advised by CAG will be given effect to from 1st April, 2017 onwards.
- B. **Liabilities - Equity and Liabilities - Equity - Other Equity (Note No. 14) - Rs. 364.14 crore:** Loans and debts are treated as financial instruments under Ind AS. Ind AS-32 mandates that financial instruments are to be recognized at fair value. The Subordinate Debt received by the Company from MoHUA and Government of West Bengal is interest-free debt. In the event the same are to be treated as financial liabilities, the debt in question would have to be measured at market rate of interest as per requirement of Ind AS which would not have been a realistic approach as the Company is not going to pay interest on such debts under any

circumstances as per the sanction order. This is precisely the reason why Subordinate Debt is not to be treated as financial instrument in terms of its nature. Further, it satisfies the other condition of "Other Equity" as mentioned in Note No. 3.15.2 of Significant Accounting Policies in the Annual Accounts.

Further, it is correct to state that there are at present no terms and conditions for repayment of loan as sanction order issued by MoHUA in respect of Subordinate Debt simply mentioned the period during which the loan would be repaid. But the sanction order is silent as to the mode and frequency of such repayment, its time schedule, penal/overdue charges which are generally found in normal lending conditions and for the Subordinate Debt of Government of West Bengal, the terms and conditions have not yet been decided. Accordingly interest free subordinate debt was rightly treated as 'Other Equity' as it satisfies all the conditions as mentioned in Ind AS.

- C. **Other Non-Current Liabilities - (Note No. 18) - Creditors for Capital Goods - Rs. 73.58 crore:** These liabilities pertain to creation of Capital Assets. Hence, this is treated as Creditors for Capital Expenditure as these liabilities are not 'Trade Payables'. As the liabilities on account of Creditors for Capital Goods are not trade payables in terms of Guidance Note of Institute of Chartered Accountants of India vide no. 8.2.4.2 under Ind AS Schedule III to the Act.

Secretarial Audit Report

In compliance of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board appointed D. Raut & Associates, Company Secretaries, to undertake such audit. Copy of the Report given by them dated 30th November, 2017 is also annexed.

D. Raut & Associates have observed that the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines mentioned therein except that "there is no Independent Director, on its Board as stipulated under Section 149(4)" of the Act and Rule 4 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014. Therefore, composition of the Audit Committee is also not in consonance with Section 177 of the Act.

It is stated in this context that the Company, being a Central Public Sector Enterprise, is taking action to comply with this requirement based on advice/instructions of MoR.

Loans, guarantees or investments

During the year under report, the Company did not directly or indirectly give any loan/give any guarantee or provided any security/acquired by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any other body corporate coming within the purview of Section 186 of the Act.

Contracts or arrangements with related parties

During the year under report, the Company did not enter into any contract or arrangement with related parties referred to in Section 188(1) of the Act.

Hence, no particulars in the prescribed 'Form AOC-2' can be furnished.

Material changes and commitments affecting the financial position of the Company

There are no material changes or commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year i.e. 31st March, 2017 to which the financial statements relate and the date of this Report.

Conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings & outgo

The Company has initiated various energy conservation measures at the design stage to ensure optimal use and also selecting appropriate technology for various systems. However, the detailed measures are as under:



(A) Conservation of energy -

(i) the steps taken or impact on conservation of energy:

- LED-type lighting has been envisaged in the stations and in train coaches.
- Provision of Platform Screen Doors in underground stations, which would reduce air conditioning requirement substantially and thereby reduce consumption of non-traction energy.
- Rolling Stock planned to be procured for the Project envisages regenerative braking - so that power is generated at the time of braking, which would be consumed by other powering trains running in the system.
- Elevated station architecture kept in such a way to use natural lights in day time to the extent possible. Use of polycarbonate sheets on elevated stations has been given a fillip to reduce carbon footprint.
- High COP-type air-conditioning units have been envisaged for underground stations along with energy management system so as to optimise use of chillers, cooling towers, pumps, etc.

(ii) the steps taken by the Company for utilising alternate sources of energy:

Large banks of solar cells shall be provided at the Maintenance Depot to generate energy for internal consumption. Depot layout has been kept in such a way so as to use natural lights to the extent possible.

(iii) the capital investment on energy conservation equipments:

This will be quantified at an appropriate stage of the Project.

(B) Technology absorption -

(i) the efforts made towards technology absorption:

The mandate of the Company is to implement the Project. Efforts shall be made in procurement stage to explore the possibility of technology absorption.

(ii) the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution:

The benefits derived shall be detailed at appropriate stage in future.

(C) Foreign exchange earnings and outgo during financial year 2016-17 is as under:

Earnings in foreign currency	-	Nil (2015-16: Nil)
Expenditure in foreign currency	-	details given below

	2016-17	2015-16
Euro	59,48,805	2,35,008
Yen	31,57,66,083	7,79,402
US Dollar	12,735	16,387
Australian Dollar	Nil	77,070

Employees

The Company during financial year 2016-17 had no employee in receipt of remuneration which in the aggregate was more than Rs. 60 lakhs (where employed throughout the financial year) or more than Rs. 5 lakhs per month (if employed for a part of the financial year).

Risk management policy

The Company is currently implementing the 'East West Metro Corridor' Project. Government of India has decided that the Company as the Project Implementation Unit would continue to function till the completion of execution of Project. After completion of the Project, Government of India would run the same along with North South Corridor under a unified control.

Formulating a risk management policy specific to operations of rail-based mass rapid transport system shall be considered at an appropriate time in future. To cover financial risks, adequate internal control measures have been put in place (including internal audit done by an external firm of chartered accountants, in addition to regular audit by the Statutory Auditors as well as supplementary audit by CAG).

Corporate Social Responsibility

Since the Company is in the project implementation stage, it has not made any profit during any of the three immediately preceding financial years. Hence, the requirement of spending in every financial year at least two per cent of the average net profits made during the three immediately preceding financial years on Corporate Social Responsibility required by Section 135 of the Act, is not applicable to it.

A 'Corporate Social Responsibility Committee' of the Board was constituted. The Committee (comprised of Shri Nagsen Moreshwar Dhoke; Dr. Samaresh Kanti Panday; and Shri Anup Kumar Kundu) is being reconstituted.

Report on Corporate Governance

As required by the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" issued by Department of Public Enterprises, Government of India, a report on Corporate Governance is annexed (Annexure-II). The same forms a part of this Report.

As required under the aforesaid Guidelines, a separate report on 'Management Discussion and Analysis' is also annexed (Annexure-III).

Safety & well being of women

Setting up of Internal Complaints Committee under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is in process.

Acknowledgements

The Board wishes to place on record the co-operation and untiring support received in execution of the Project from the Ministry of Railways, Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Finance (Government of India) as well as from Government of West Bengal.

The Board also records its appreciation for the cooperation and support received from The Kolkata Municipal Corporation, Kolkata Metropolitan Development Authority, Bidhannagar Municipality, Kolkata Police, Bharat Sanchar Nigam Ltd., CESC Ltd., West Bengal State Electricity Distribution Corporation Ltd. and various other authorities and agencies.

The help in the form of soft loan assistance extended by Japan International Cooperation Agency (JICA) to this Project is invaluable. The Board deeply acknowledges the importance of this assistance in execution of the Project. The Board also acknowledges and extends its sincere thanks to various national and international contractors, consultants and technical experts for their continued support and co-operation.

The Board's special appreciation and thanks are also due to the print and electronic media.

The residents, shopkeepers, pedestrians in different parts of Kolkata, Salt Lake and Howrah where the construction activities are in progress are inconvenienced by the activities on site. The Board is grateful to all these persons and



the citizens for bearing with these activities patiently, recognizing the potential of the Project in changing the face of urban transport in the Greater Kolkata region.

The Board wishes to place on record its appreciation for the untiring efforts, commitment, hard work and contributions made by the employees of the Company at all levels for the successful completion of the Project.

**For and on behalf of the Board of Directors of
Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.**

New Delhi,
Date: 27th December, 2017

**Ajay Vijayvargiya
Chairman**

Annexure-I

EXTRACT FROM ANNUAL RETURN as on the financial year ended on 31st March, 2017

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. Registration and other details:

- | | | |
|---|---|--|
| (i) CIN | : | U60100WB2008GOI127338 |
| (ii) Registration Date | : | 9th July, 2008 |
| (iii) Name of the Company | : | Kolkata Metro Rail Corporation Limited |
| (iv) Category/Sub-Category of the Company | : | Public company/limited by shares |
| (v) Address of the Registered Office and contact details | : | 'KMRC Bhavan', HRBC Office Compound,
Munshi Premchand Sarani,
Kolkata - 700021.
Tel: (033) 2213-4345;
Fax: (033) 2213-4380 |
| (vi) Whether listed company | : | No |
| (vii) Name, address and contact details of Registrar and Transfer Agent, if any | : | Not Applicable |

II. Principal Business Activities of the Company:

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover:

Sl. No.	Name and description of main products/services	NIC Code of the product/service	% to total turnover
	Company in Project execution stage	N.A.	N.A.

III. Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies: Nil
IV. Shareholding Pattern (equity share capital break-up as percentage of total equity):
(i) Category-wise shareholding : Indian Promoters

Central Government (President of India) :

No of shares held at the beginning of the year:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| Demat | : | Nil |
| Physical | : | 88,55,00,000 |
| % of total shares | : | 100% |

No of shares held at the end of the year:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Demat | : | Nil |
| Physical | : | 106,05,00,000 |
| % of total shares | : | 100% |
| % change during the year | : | 19.76 |



(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% of change in shareholding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	
1.	President of India (a/c. Ministry of Railways)	54,65,00,000	61.72	–	72,15,00,000	68.03	–	–
2.	President of India (a/c. Ministry of Urban Development)	33,90,00,000	38.28	–	33,90,00,000	31.97	–	–
	Total	88,55,00,000	100.00	0	106,05,00,000	100.00	Nil	Nil

(iii) Changes in Promoters' shareholding

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	88,55,00,000	100	106,05,00,000	100
	Date-wise increase/decrease in Promoters' shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease	25.05.2016 - 10,00,00,000 (shares allotted)	9.43	–	–
		25.01.2017- 7,50,00,000 (shares allotted)	7.07		
	At the end of the year	106,05,00,000	100	106,05,00,000	100

(iv) Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs) :

Sl. No.	For each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	Shri Amar Prakash Dwivedi	100	0.0001	100	0.0001
2.	Shri Sanjay Lavania	100	0.0001	100	0.0001
3.	Shri Shree Bhagwan Bhamu	100	0.0001	100	0.0001
4.	Shri Tarun Beniwal	100	0.0001	100	0.0001
5.	Shri Ruth Changsan	100	0.0001	100	0.0001
6.	Shri Sonjoy Kumar Saha	100	0.0001	100	0.0001

(all the above shareholders are nominees of President of India a/c. Ministry of Railways)

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel (KMP)

Sl. No.	Name of Director/Key Managerial Personnel	Shareholding at beginning of the year (01.04.2016)		Cumulative Shareholding at end of the year (31.03.2017)	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	Shri Kailash Kumar Aggarwal	100	0.0001	100	0.0001
2.	Shri Mukund Kumar Sinha	100	0.0001	100	0.0001

Note: All the above persons are Directors of the Company. No other KMP held any shares during the year.

V. Indebtedness

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

	Secured Loans excluding deposits (Rs.)	Unsecured Loans (Rs.)	Deposits (Rs.)	Total indebtedness (Rs.)
Indebtedness at the beginning of the financial year				
(i) Principal Amount	-	1169,78,67,784	-	1169,78,67,784
(ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
(iii) Interest accrued but not due	-	42,54,60,861	-	42,54,60,861
Total (i + ii + iii)	-	1212,33,28,645	-	1212,33,28,645
Change in Indebtedness during the financial year				
- Addition	-	345,98,25,126	-	345,98,25,126
- Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	345,98,25,126	-	345,98,25,126
Indebtedness at the end of the financial year				
(i) Principal Amount	-	1515,76,92,910	-	1515,76,92,910
(ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
(iii) Interest accrued but not due	-	58,11,86,469	-	58,11,86,469
Total (i + ii + iii)	-	1573,88,79,379	-	1573,88,79,379

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Gross salary -

(a) salary per provisions contained in Section 17(1) of Income-tax Act, 1961	: Rs. 13,53,069
(b) value of perquisites under Section 17(2) of Income-tax Act, 1961	: Nil
(c) profits in lieu of salary under Section 17(3) of Income-tax Act, 1961	: Nil
Stock Option	: Nil
Sweat equity	: Nil
Commission - as % of profit	: Nil
Others	: Nil
Total	: Rs. 13,53,069
Ceiling as per the Companies Act, 2013	: Not applicable

VII. Penalties/Punishments/Compounding of Offences

Type	Section of the Companies Act	Brief description	Details of penalty/punishment/compounding fees imposed	Authority [RD/NLCT/Court]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-

Annexure-II

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**01. Company's philosophy on Corporate Governance:**

The Company's philosophy on Corporate Governance is aimed at:

- (a) Enhancing long-term stakeholder value and its own wealth generating capacity through-
 - assisting top management in taking sound business decisions;
 - prudent financial management.
- (b) Achieving transparency and professionalism in all its decisions and activities.
- (c) Adhering to the disclosure compliances.
- (d) Achieving excellence in Corporate Governance by-
 - conforming to the prevalent guidelines on Corporate Governance and excelling in, wherever possible;
 - reviewing periodically the existing systems and controls for further improvements;
 - setting high ethical standards in conduct of business;
 - complying with laws and regulations;
 - strategic guidance and effective monitoring by the Board.

02. Board of Directors:**2.1 Composition:**

The Company is a 'Government company' within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. At present the entire paid-up share capital is held by the President of India through Ministry of Railways (administrative Ministry) and Ministry of Housing and Urban Affairs (earlier known as Urban Development).

In terms of Article 124(a) of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors shall consist of the following Directors:

- (i) Directors nominated by the President of India through Ministry of Railways & Ministry of Urban Development.
- (ii) Managing Director.
- (iii) Whole-time Directors/Functional Director(s).
- (iv) Director(s) nominated by the debenture holders.
- (v) Independent Director(s).

In terms of Article 124(b), the President of India has the right by notice in writing addressed to the Company, to nominate ten persons on the Board of the Company including its Chairman.

In terms of Article 125, strength of the Board shall not be less than three or more than fifteen directors. Government of India has not yet advised the strength of the Board.

As on 31.03.2017, the number of Directors on the Board of the Company was 9 (nine), including 3 (three) functional Directors viz., Managing Director; Director (Project & Planning); and Director (RS&T). All the functional Directors were holding additional charge of their respective posts on part-time basis pursuant to order(s) of Ministry of Railways. The number of Directors as on date remains unchanged at 9 (nine) Directors. All the Directors (including functional Directors) have been nominated by Ministry of Railways.

The Board has no 'Independent Director' (as defined in paragraph 3.1.4 of the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" issued by Government of India, Ministry of Heavy Industries



and Public Enterprises, Department of Public Enterprises in May 2010). Hence, its composition during the year was not in conformity with the provisions of the Guidelines.

Brief backgrounds of the Directors who were appointed during financial year 2016-17 are as follows:

- (1) Shri Aditya Kumar Mittal, IRSE - General Manager, Metro Railway, Kolkata as part-time Chairman in terms of Government of India, Ministry of Railways letter No. 2012/Proj./ KMRCL/21/4/Pt. dated 30.01.2014 w.e.f. 13.04.2016.
- (2) Shri Ashish Kumar Goel, IRSS - General Manager, Metro Railway, Kolkata as part-time Chairman in terms of Government of India, Ministry of Railways letter No. 2012/Proj./ KMRCL/21/4/Pt. dated 30.01.2014 w.e.f. 01.06.2016.
- (3) Shri Mool Chand Chauhan, IRSEE - General Manager, Metro Railway, Kolkata as part-time Chairman in terms of Government of India, Ministry of Railways letter No. 2012/Proj./ KMRCL/21/4/Pt. dated 30.01.2014 w.e.f. 26.07.2016.

The following Directors ceased to hold office during financial year 2016-17:

- (1) Shri Ashwani Kumar Kapoor (part-time Chairman) w.e.f. 06.04.2016 upon relinquishing charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata.
- (2) Shri Aditya Kumar Mittal (part-time Chairman) w.e.f. 01.06.2016 upon relinquishing charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata.
- (3) Shri Ashish Kumar Goel - (part-time Chairman) w.e.f. 26.07.2016 upon relinquishing charge as General Manager, Metro Railway, Kolkata.
- (4) Dr. Samaresh Kanti Panday - Director (Finance) - with effect from 21.03.2017 upon relinquishing charge as FA&CAO/F&B (erstwhile 'CON.') of Metro Railway, Kolkata.

Composition of the Board and the number of Directorships held by the Directors as on 31.03.2017 are given below:

Name of Director	Category of Directorship	No. of other Boards in which a member or Chairperson	Committee membership held in other companies	
			as Member	as Chairman
01. Shri Mool Chand Chauhan (w.e.f. 26.07.2016)	Chairman	Nil	-	-
02. Shri Satish Kumar	Managing Director	Nil	-	-
03. Shri Kailash Kumar Aggarwal	Director	4	2	-
04. Shri Mukund Kumar Sinha	Director	8	4	1
05. Smt. Jhanja Tripathy	Director	8	3	-
06. Shri Anup Kumar Kundu	Director (RS&T)	Nil	-	-
07. Shri Alapan Bandyopadhyay	Director	Nil	-	-
08. Shri Nagsen Moreshwar Dhoke	Director	4	-	-
09. Shri Parashuram Singh	Director (Project & Planning)	Nil	-	-

2.2 Board meetings:

Meetings of the Board are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of Chairman. Structured agenda notes and other papers backed by comprehensive background information are circulated to the Board members seven days prior to the meeting for facilitating meaningful discussions at the meetings. Where it is not found practical or otherwise to attach or send the relevant background information as part of the agenda notes/papers, the same are tabled at the meeting.

Meetings and attendance:

During the financial year ended 31.03.2017, the Board of Directors of the Company met 4 (four) times - on 26.05.2016; 19.08.2016; 28.09.2016; and 25.01.2017.

Attendance of Directors at Board meetings and at the Annual General Meeting (AGM) :-

Names of Directors	No. of meetings attended	Attendance at the last AGM held on 28.09.2016
Shri Aditya Kumar Mittal	1	N.A.
Shri Ashish Kumar Goel	Nil	N.A.
Shri Mool Chand Chauhan	2	Yes
Shri Satish Kumar	4	Yes
Shri Kailash Kumar Aggarwal	2	Yes
Shri Mukund Kumar Sinha	5	No
Smt. Jhanja Tripathy	5	No
Dr. Samaresh Kanti Panday	4	Yes
Shri Anup Kumar Kundu	7	Yes
Shri Alapan Bandyopadhyay	7	No
Shri Nagsen Moreshwar Dhoke	2	No
Shri Parashuram Singh	4	Yes

Minutes of the proceedings of each Board meeting were recorded and entered in the minute book, signed by the Chairman. The draft minutes of each meeting were submitted for confirmation of the Board at its next meeting.

03. Audit Committee:

The Audit Committee is presently constituted with Smt. Jhanja Tripathy (as Chairperson); Shri Kailash Kumar Aggarwal; and Shri Mukund Kumar Sinha.

Dr. Samaresh Kanti Panday, Director (Finance) till 20.03.2017 attended all the meetings of the Committee held during financial year ended 31.03.2017. The Company Secretary acts as Secretary of the Committee. Terms of reference of the Audit Committee (as approved by the Board of Directors at its meeting held on 27.08.2009) are as under:

1. Discussions with the Auditors periodically about the internal control system and the scope of audit including observations of the auditors;
2. Review of annual financial statements before submission to the Board of Directors;
3. Ensuring compliance of internal control systems;
4. Investigations into any of the afore-stated matters or as may be referred to by the Board; and
5. Review of Management Information Systems, etc.



The role assigned to Audit Committee in terms of paragraph 4.2 of the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" issued by Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises in May, 2010 is also being followed.

The Committee acts as a link between the Management, the Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors, and assesses financial reporting system.

However, having regard to the strength and composition of the Board, the Audit Committee has been constituted only with non-functional Directors.

During financial year ended 31.03.2017, the Committee met three times - on 01.06.2016, 12.08.2016; and 03.02.2017. Shri Aggarwal did not attend the meeting held on 12.08. 2016. Except the above, all the Directors on the Committee attended the meetings.

04. Remuneration Committee:

In compliance of Section 178(1) of the Companies Act, 2013, a "Nomination and Remuneration Committee" has been constituted. Constitution of such Committee is not compliant with the Guidelines which stipulate that an Independent Director shall head such Committee. However, no amount is distributed to personnel of the Company as annual bonus/variable pay.

Remuneration aggregating to Rs. 13,53,069 (by way of allowances and reimbursements in accordance with Human Resource Manual of the Company) was paid to the functional Directors during financial year ended 31.03.2017.

05. Code of Conduct:

The Board of Directors has laid down the "Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management" for maintaining standards and ensuring compliance with legal requirements. It is displayed on the website of the Company

06. Annual General Meetings:

Details of the last three Annual General Meetings

Financial year	Date and Time	Venue	Special resolution(s) passed, if any
2015-16	28.09.2016 at 13:00 Hours	Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi - 110 001	None
2014-15	30.12.2015 at 15:00 Hours	As above	None
2013-14	26.11.2014 at 11:30 Hours	As above	None

Annual General Meeting for the financial year 2016-17 will be held at Rail Bhawan, New Delhi on 27.12.2017 at 16:00 Hours.

07. Disclosures:

- i) Materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Company at large - there is no such transaction. However, the disclosure as required under Accounting Standard AS 18 has been incorporated in 'Notes to the Accounts'.
- ii) Details of non-compliance by the Company, penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by the Government, during the last three years - None.

- iii) Whistle Blower Policy and affirmation that no personnel have been denied access to the Audit Committee - the Company has adopted a 'Whistle Blower Policy'. No personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- iv) Details of compliance with the requirements of the Guidelines - the Company has generally complied with the requirements of the Guidelines. However, President of India (Ministry of Railways) is required to appoint the required number of Independent Directors on the Board of the Company.
- v) Details of Presidential Directives issued by the Central Government and their compliance during the year and also in the last three years - no Presidential Directive was issued during the year and also in the last three years.
- vi) Items of expenditure debited in the books of account, which are not for the purposes of business - there is no such item of expenditure during the year.
- vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management - None.
- viii) Details of administrative and office expenses as a percentage of total expenses vis-à-vis financial expenses and reasons for increase - administrative and office expenses during 2016-17 were 11.71% of total expenses against 10.54% for 2015-16. Thus, there is only a marginal increase which is attributable to execution of the 'East-West Metro Corridor' Project gaining traction and higher audit fees.

08. Means of Communication:

The shares issued by the Company are not listed on any Stock Exchange. Hence, quarterly results are not published in newspapers. However, annual audited financial results are displayed on the website of the Company (www.kmrc.in).

Address for correspondence:

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

'KMRCL Bhavan', HRBC Office Compound

Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700021.

09. Audit Qualifications:

There is no qualification in the Independent Auditor's Report on financial statements of the Company for 2016-17.

10. Training of Board Members:

The Company is a special purpose vehicle for implementing the 'East-West Metro Corridor' Project in Kolkata. As per decision of the Union Cabinet (vide minutes of the meeting held on 23.08.2012), the Company is only "Project Implementation Unit" of the East-West Metro Corridor Project, Kolkata. It will continue to function till the completion of the execution of the Project. However, all the shares of the Company will be held by Government of India, who after completion of the Project would run the system alongwith existing North-South Corridor under a unified control. Subsequent to execution of the Project, the operation of the East-West Metro Corridor will be merged with those of the Metro Railway, Kolkata.

Hence, need to train Board members in the business model of the Company have not been felt till now. However, this will be considered at an appropriate time in future.

11. Whistle Blower Policy:

The Company has adopted a 'Whistle Blower Policy', which is displayed on its website. Such Policy provides a framework to enable the employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the Company without fear of victimisation and covers protected disclosures by all categories of employees.



12. Compliance Certificate:

This report duly complies with the requirements of "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises". Quarterly reports on compliance with Corporate Governance prescribed by Government of India, Department of Public Enterprises are sent to Ministry of Railways.

Certificate obtained from a practicing Company Secretary regarding compliance of the aforesaid Guidelines on Corporate Governance has been annexed to this Report.

For and on behalf of the Board of Directors

New Delhi :

Date: 27th December, 2017

Annexure-III

Management Discussion and Analysis Report

Our World is fast urbanising as more and more people are moving into urban conglomerations. In 2030, 4.9 billion people will live in urban areas, which is about 60% of global population. Futuristic design of cities, therefore, aims to accommodate large population while creating high quality of urban life sustainable to the society. Modern cities in today's world, therefore, require a transportation system which is efficient, affordable, accessible and environment friendly which are attributes of sustainability. Mass Rapid Transit System (MRTS) has been found to be ideal in this regard, as evidenced by the increasing number of cities opting for the same both in India and other countries.

The Company has been formed to work as a special purpose vehicle for implementation of the 'East West Metro Corridor' connecting Salt Lake Sector V in the east to Howrah Maidan in the west. Legal coverage of the Project shall be under the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and Calcutta Metro Railways (Operation and Maintenance) Temporary Provisions Act, 1985. Government of India ('Gol') has decided that the Company will only be the "Project Implementation Unit" and continue to function till the completion of execution of the Project. However, all shares of the Company will be held by Gol, who after completion of the Project would run the system alongwith North-South Corridor under a unified control.

Vision, Mission and Objective

Vision:

To emerge as the most efficient implementation unit for rail-based urban infrastructure with sound financial and technological base adopting global project implementation practices for efficient completion of the projects with utmost care towards safety and satisfaction of the users in an environment of synergy between public service and socio-economic sustainability.

Mission:

To implement the 'East-West Metro Corridor' MRTS Project in the urban conglomeration of the city of Kolkata and its urbanised surroundings of Howrah and Salt Lake to meet the growing demand of urban mobility in this region.

Objective:

1. To establish the 'East West Metro' as a state-of-the-art urban passenger Mass Transit System, providing affordable, hassle-free, safe and pollution-free conveyance to city life.
2. To promote and facilitate Metro ridership as a part of integrated traffic rationalisation plan and comprehensive mobility plan for Kolkata City.
3. To mobilise the required resources for project implementation in order to achieve financial soundness and sustainability.
4. To execute the Project with least cost escalation with proper improvisation skills to harmonise available financial and technological resources in order to achieve optimum time targets.
5. To maintain a cost effective organisational set up and to implement proper training and value addition programs of best standards for generating a motivated and result oriented Project team.
6. To maintain highest standards of quality and safety during execution.

Difficulties faced in Project execution

Schedule of implementation of the Project (as envisaged in Detailed Project Report) has been affected due to external factors like non-availability of land as well as realignment issue which were beyond control of redressal

by the Company. There has also been time as well as cost overruns. The Project is being implemented in two phases viz. Phase-I from Salt Lake Sector V to Phoolbagan and Phase-II from Phoolbagan to Howrah Maidan. In Phase-I, non-availability of land at Duttabad affected construction of elevated viaduct on a 365-metre stretch. However, the project affected persons on the land have been rehabilitated in 2015. The construction work has been completed, except some finishing work. All the issues in Phase-I were resolved by 2015 and the Project execution has shaped up significantly since then.

In Phase-II, due to non-availability of land for construction of proposed Central and Mahakaran stations, Government of West Bengal had proposed realignment of the route. This (executing the Project as per realigned route) has led to its extension by 1.878 kilometres, involving additional time and cost. Ministry of Railways ('MoR') accepted the realignment proposal in August 2015 and the stalemate in Phase-II since 2012 was over; this section was resumed since September 2015.

Crucial clearances have also been obtained recently from Archaeological Survey of India (as certain protected monuments lie in the vicinity of the route) and Defence authorities (since one of the stations will be under land owned by the Army).

Opportunities

As the Project is being executed as per revised alignment, it is expected that there will be significantly higher passenger traffic through proposed Esplanade station (inter-change station of East-West and North-South Metro lines). The Joka-BBD Bag Metro line will also terminate at Esplanade. A bus hub is located in Esplanade close to the proposed station. Besides, it is also proximate to the central business district of Kolkata. Upon completion, the Project will also provide inter-nodal connectivity with two busy surface rail stations at Howrah and Sealdah, connection to ferry, bus & tram. Perhaps no other mass transit system in the contemporary world links so many diverse modes of transportation.

Having regard to the population density of Kolkata, the potential demand for ridership of the 'East-West Metro' line is considered to be a unique feature.

Considering all these people-centric values and the opportunities involved in this Project, the coveted Institution of Civil Engineering of United Kingdom has recently listed the Project on the occasion of their bi-centenary as one of the two hundred projects in the world having significant impacts in making people's lives better. This international accolade has boosted morale of the Project execution to a new height.

The 'East-West Metro' has also been conceived in such a manner that there will be potential for connection to Netaji Subhas Chandra Bose International Airport either from Salt Lake Central Park or from Rajarhat. Similarly, on the western fringe, the line can be extended to Santragachhi or Ramrajatala, depending on need, and further northwards to Bally/Belur. Extension of the Project upto Haldiram in the eastern end for a length of 5.5 Km has already been sanctioned in the Railway Budget and appeared in 'pink book' for a token amount of Rs. 10 lakh for 2017-18. Detailed DPR for this section is being upgraded by RITES Ltd. for necessary sanctions before starting execution.

Howrah and Sealdah stations are among the busiest major rail stations in the world. They will generate huge commuter traffic along the Metro connecting these stations both during morning and evening rush hours. The East-West Metro line will provide significant benefits to the commuters within central business district and out to the New Town, Salt Lake and Rajarhat in the east, and to residents of Howrah and surrounding areas in the west.

Threats

In order to ensure delivery of the Project as per revised time schedule and cost, coordinated efforts are required among all the stakeholders viz. Ministry of Railways, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Finance, Government of West Bengal, Japan International Cooperation Agency, etc. However, even the coordinated efforts may not be adequate to ensure that the Project gets executed on time and cost due to involvement of so many

external factors and market dynamics in such a complex project bio-sphere. Finalisation of all the cardinal tenders in systems discipline which are not yet awarded should be regularly monitored as a potential risk element for time management. Relocation of different utilities (mostly under-ground) falling within the revised alignment also poses a threat of time overrun as identification, obtaining permission as well as implementation in a densely populated city like Kolkata involves multifarious stake-holders and is extremely time consuming.

Internal Controls

A strong internal control framework is an essential pre-requisite to provide a reasonable assurance that in pursuit of the organisation's mission, the general objectives of executing the Project are ethically, economically and effectively achieved. In this context, the internal control systems of the Company are adequate and commensurate with its size.

Future outlook

The Company intends to establish the 'Kolkata East West Metro' as a state-of-the-art urban passenger MRTS, providing affordable, hassle-free, safe and pollution-free conveyance to city life. With this end in view, the Company is committed to ensure the quality as well as safety in implementation of the Project.



D. RAUT & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

Commerce House, 7th Floor, Room No. 10
2A-Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013
Ph. No/Fax 033-22259585, Mob. : 96810 92896
E-mail : csdraut@gmail.com

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE CERTIFICATE

To

The Members

Kolkata Metro Rail Corporation Limited

KMRCL Bhawan, HRBC Office Compound

Munshi Premchand Sarani

Kolkata-700 021.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Kolkata Metro Rail Corporation Limited (hereinafter referred to as "the Company") for the year ended **31st March, 2017**, as stipulated in the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010" issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises and annexures mentioned there under (hereinafter referred to as 'the Guidelines').

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in the Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on representations made by the Directors and Management, we certify that the Company has complied with the stipulations of the guidelines except that the Company doesn't have Independent Directors (non-compliance of Composition of Board and Committee) pursuant to the Corporate Governance norms for a non-listed Central Public Sector Enterprise.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For **D. Raut & Associates**
Company Secretaries

CS Debendra Raut
Proprietor

ACS No. 16626

C.P. No. 5232

Place : Kolkata

Date : 27/12/2017

D. RAUT & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

Commerce House, 7th Floor, Room No. 10
2A-Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013
Ph. No/Fax 033-22259585, Mob. : 96810 92896
E-mail : csdraut@gmail.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2017

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule no. 9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(CIN : U60100WB2008G01127338)
'KMRCL Bhavan', HRBC Office Compound
Munshi Premchand Sarani
Kolkata-700 021.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Kolkata Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2017** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2016 according to the provisions of :

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;
- (ii) The Company is not a listed company. Hence, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder are not applicable to it;
- (iii) The Company is not a listed company. Hence, the Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder are not applicable to it;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings are not applicable to the Company;

- (v) The Company is not a listed company. Hence, the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable to it :-
- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the Audit Period);
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 (the Clause is not applicable to the Company during the period);
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (not applicable to the Company during the audit period);
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act, 2013 and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (not applicable as the Company has not delisted/propose to delist its equity share from any stock exchange during the financial year under review) and
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable as the Company has not bought back/propose to bought back its securities during the financial year under review).
- (vi) The Company (a Central Government undertaking under the Ministry of Railways) is engaged in implementing the rail-based 'East West Metro Corridor' Project in Kolkata. As identified by the Management the following laws are specifically applicable to it:
- a. Labour laws;
 - b. Provident fund;
 - c. Provision of basic safety & health provisions at worksites under various laws;
 - d. Laws relating to equal remuneration;
 - e. Environmental laws.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India (notified on 10th April, 2015) were not applicable to the Company during the audit period.
- (ii) The Company has not entered into any listing agreement with any Stock Exchange(s) with respect to the securities (shares) issued by it.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines etc. mentioned above, except that **there is no 'Independent Director' on its Board as stipulated under Section 149(4) of the Act** and Rule 4 of Companies (Appointment and Qualification of Directors), Rules, 2014.

Management Responsibility :

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on the test basis to ensure

that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of account of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

We further report that :

The Board of Directors of the Company is duly constituted except Independent Directors as mentioned above. Composition of the Audit Committee is also not in consonance with Section 177 of the Act. The changes in composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views (if any) are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Company has issued and allotted 10 Crore equity Shares of Rs. 10/- each at par on 26.05.2016 and 7.50 Crore equity Shares of Rs. 10/- each at par on 25th January, 2017 for cash to the President of India (a/c. Ministry of Railways).

For **D. Raut & Associates**
Company Secretaries

Debendra Raut
Proprietor

ACS No. 16626
C.P. No. 5232

Place : Kolkata
Date : 30th November 2017



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
Railway Production Units and Metro Railway
NKG Building (5th Floor), 14, Strand Road
Kolkata – 700 001.

No. RPU & MR/KMRCL/2017-18/ 11428

Date: 26.12.2017

To

The Managing Director,
Kolkata Metro Rail Corporation Limited,
KMRCL Bhavan (HRBC Office Compound),
Munshi Prem Chand Sarani,
Kolkata - 700 021.

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2017

Sir,

Please find enclosed herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2017.

Yours faithfully,

Aatish 26/12/17
(Satish Kumar Garg)
Principal Director of Audit

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF M/s. KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, KOLKATA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017.

The preparation of financial statements of **M/S KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, KOLKATA** for the year ended **31 March 2017** in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **20 September, 2017**.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **M/s KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED, KOLKATA** for the year ended **31 MARCH 2017**. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Balance sheet

Assets

Non-Current Assets - Capital Work-in-Progress (Note No. 7) ₹ 2346.35 crore

The above amount includes ₹ 20.97 crore being the amount reimbursed to contractors towards VAT. As the amount was receivable from Government of West Bengal, inclusion of the same under Capital Work-in-Progress was not in order and resulted in overstatement of Capital Work-in-Progress and understatement of amounts receivable from Government of West Bengal by ₹ 20.97 crore.

Liabilities

Equity and Liabilities - Equity - Other Equity (Note No. 14) - ₹ 364.14 crore

The above amount includes ₹ 99.00 crore and ₹ 96.00 crore being the interest free subordinate debt received from Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India and Government of West Bengal respectively. As per the terms and conditions of the Sanction.

- ⇒ MoUD Debt was repayable during the year 2021-25 after senior debt had been fully repaid; and
- ⇒ Regarding debt from Government of West Bengal, the terms and conditions of repayment were to be settled by the Company with the State Government.



Thus, both the loans clearly stipulated that they were repayable and no issue of equity was contemplated in the sanction. In view of the above, the above debt should have been included under Non-Current Liability. Inclusion of the above amounts under Other Equity resulted in overstatement of the same and understatement of Non-Current Liability by ₹ 195.00 crore.

Other Non-Current Liabilities - (Note No. 18) - Creditors for Capital Goods - ₹ 73.58 crore

The above amount represents the bills raised by contractors for works done, is payable within one year (30 days as per the agreements) and thus, are in the nature of Current Liability. Treating the same as Non-Current Liability resulted in overstatement of the same and understatement of Current Liability by ₹ 73.58 crore.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Satish Kumar Garg
Principal Director of Audit
RPU & Metro Railway
Kolkata

Place : Kolkata
Date : 26 December, 2017

AUDITORS' REPORT



Note : This page has been kept blank intentionally

S. K. Naredi & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Ground Floor, Apsara Apartments, 67, Park Street, Kolkata-700 016
Phone : 033-2226 8433, Email-rashmi.c@sknaredi.com, Website : www.sknaredi.com

Independent Auditor's Report

To the Members of Kolkata Metro Rail Corporation

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Kolkata Metro Rail Corporation Limited** ('the Company'), which comprise of the Balance Sheet as at 31 March 2017, the statement of Profit and Loss including the statement of Other Comprehensive Income, Statement of Cash Flows and the statement of Changes in Equity for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Ind AS financial statements").

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended-

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the company has in place an adequate internal financial controls system over the financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the financial position of the



Company as at 31 March, 2017, and its financial performance including other comprehensive income, its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date .

Emphasis of Matters

We draw the attention of the members to the matters referred to in the Note to the financial statements:

- a) **Note 15.4** - Non provision of overdue charges for the default in payment of interest on Loan taken from JICA which according to management is serviced through Ministry of Finance, which is subject to confirmation from Ministry of Finance.
- b) **Note No 25** - Claims by a party towards various expenses are subject to settlement with the party, the outcome of which is unascertainable as on date audit .
- c) **Note No 39** - Debit / credit balances of parties are subject to confirmation and reconciliation, consequential impact thereof, if any, remains unascertained.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - (c) the balance sheet, the statement of profit and loss, the statement of cash flows and the statement of changes in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - (d) in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules 2014 and Companies (Accounting Standard) Rules, 2015 ;
 - (e) According to the information and explanation given to us, the company is a Government Company; therefore provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable pursuant to the Gazette Notification No. GSR 463 (E) dated 05.06.2015 issued by the Government of India.
 - (f) on the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2017 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;
 - (g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B";
 - (h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed pending litigations in its financial statements - Refer Note 26 to the financial statements;
 - ii. The Company did not have any long term contracts including derivate contracts and as such the question of commenting on any material thereon does not arise.
 - iii. There were no amount which was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund.
 - iv. The Company does not have any specified bank notes or other denomination note as defined in the MCA notification G.S.R. 308(E) dated March 31, 2017 on the details of specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from November 8, 2016 to December 30, 2016, hence no such disclosure is required to be provided in its Ind AS financial statements. Refer Note 35 to the Ind AS financial statements.

For S.K. Naredi & Co.

Chartered Accountants

Firm's Registration No - 003333C

Abhijit Bose

Partner

Membership No. 056109

Place: Kolkata

Dated: 20.09.2017

ANNEXURE - A TO THE AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the Ind AS financial statements for the year ended 31 March 2017, we report that:

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us during the course of our audit, we report that:

- (i) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

As explained and informed to us, all the Fixed Assets have not been physically verified but there is a regular programme of verification by the management at intervals, which in our opinion is reasonable in relation to the size of the company and nature of its assets.

As explained and informed to us the Title Deeds of Immovable Property consisting of Freehold Land worth Rs 4203.01 Lakhs are not held in the name of the Company. The Land has been acquired by Land Acquisition Officer, West Bengal for the implementation of the project and possession of the same has been handed over by the Concerned Authority.

- (ii) The Company during the period under the Audit did not have any trading and other commercial activities so the question of maintenance of Inventories does not arise.
- (iii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to Companies, firms or other parties listed in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the provisions of clauses iii (a) and iii (b) of the order are not applicable to the Company.
- (iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loan, made investments, or provided guarantees and securities in respect of which provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 are applicable.
- (v) The Company has not received any deposit during the year as covered under Section 76 of the Companies Act, 2013. Therefore, provisions of clause 3 (v) of the order are not applicable to the Company.
- (vi) As informed to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148(1) of the Act for the product / services of the Company.
- (vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income-tax, sales tax, value added tax, duty of customs, service tax, cess and other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities. As explained to us, the Company is not covered under Employees' State Insurance Act, and Central Excise Duty.
- (b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, income tax, sales tax, value added tax, duty of customs, service tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at 31st March, 2017 for a period of more than six months from the date they became payable.
- (c) According to the information and explanations given to us, there are material dues of income tax, service tax and TDS that have not been deposited by the Company on account of disputes. The details of disputed service tax, TDS and income tax dues as on 31st March 2017, which have not been deposited or deposited under protest are as follows :



Name of the statute	Nature of dues	Amount (in Rs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act,1961	Income Tax	11,31,842	AY 2010-11	Appealate Tribunal 'C' Bench
Income Tax Act,1961	Income Tax	36,25,100	AY 2011-12	Appealate Tribuna 'B' Bench
Income Tax Act,1961	Income Tax	279,075	AY 2014-15	CIT (Appeals) Kolkata
Finance Act, 1994	Service Tax	18,54,944	FY 2009-10 to 2012-13	Appellate Authority Commissioner Appeals (11), Central Excise

(viii) The Company has not availed loan from any Financial Institutions or Banks or Debenture except Loan from Japan International Co-operation Agency (JICA) :

The agreement stipulates that in case of delay in payment of interest, overdue charges, to the extent of 2% on the outstanding amount was also payable. So far the Company has not paid any interest though provisions already been made, and overdue charges to the extent of such non- payment of the outstanding amount was not provided for in the books of accounts .(Refer Note 15.4)

(ix) The Company has not raised any monies by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Further in our opinion and according to the explanations given to us the term loans from Government of India against Japan International Co-operation Agency and Subordinate debt from Government of India and Government of West Bengal were applied for the purpose for which loans and Subordinate debts were raised.

(x) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

(xi) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has paid/provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.

(xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) The Company is a Government Company within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013 (Section 617 of the Companies Act, 1956) and according to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, all transactions with the related parties are in compliance with section 127 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.

(xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

(xvi) According to the information and explanation given to us , the provisions of Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934 are not applicable to the Company.

For S.K. Naredi & Co

Chartered Accountants

Firm's Registration No : 003333C

Abhijit Bose

Partner

Membership No. 056109

Place: Kolkata

Dated: 20.09.2017

ANNEXURE - B TO THE AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Kolkata Metro Rail Corporation Limited ("the Company") as of 31 March 2017 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that

receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

for S.K Naredi & Co.

Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 003333C

Abhijit Bose

Partner

Membership number: 056109

Place : Kolkata

Date : 20.09.2017

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Balance Sheet as at 31st March, 2017

Particulars	Note	March 31, 2017	March 31, 2016	(Amount in ₹) April 1, 2015
ASSETS				
Non-Current Assets				
(a) Property, Plant and Equipment	6	464,528,611	466,014,181	444,607,871
(b) Capital Work-in- Progress	7 & 8	23,463,496,307	18,472,255,732	16,937,998,881
(c) Financial Assets				
(i) Loans and Receivables		-	-	-
(ii) Trade Receivables		-	-	-
(iii) Other Financial Assets	9	5,306,101	5,288,906	5,316,211
(d) Deferred Tax Assets (net)		-	-	-
(e) Other Non-Current Assets	10	2,347,284,354	2,535,108,000	1,789,786,214
Total Non - Current Assets		26,280,615,373	21,478,666,820	19,177,709,177
Current Assets				
(a) Inventories		-	-	-
(b) Financial Assets				
(i) Investments		-	-	-
(ii) Trade Receivables		-	-	-
(iii) Cash and Cash Equivalents	11	6,980,734,103	6,336,578,878	6,277,728,528
(iv) Bank Balance other than (iii) above		-	-	-
(v) Other Financial Assets	9	56,564,426	229,118	180,022
(c) Current Tax Assets (net)	12	(5,289,431)	69,496,886	(4,148,540)
Total Current Assets		7,032,009,098	6,406,304,882	6,273,760,010
TOTAL ASSETS		33,312,624,471	27,884,971,701	25,451,469,187
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
(a) Equity Share Capital	13	10,605,000,000	8,855,000,000	5,855,000,000
(b) Other Equity	14	3,641,437,717	3,479,535,389	4,950,000,000
Total Equity		14,246,437,717	12,334,535,389	10,805,000,000
LIABILITIES				
Non-Current Liabilities				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	15	15,157,692,910	11,697,867,784	10,659,807,637
(ii) Other Financial Liabilities	16	2,288,622,667	2,120,816,438	1,965,756,893
(b) Provisions	17	2,126,063	1,328,177	1,485,630
(c) Other Non-Current Liabilities	18	1,207,933,435	863,982,936	1,115,585,188
Total Non - Current Liabilities		18,656,375,075	14,683,995,335	13,742,635,348
Current Liabilities				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings		-	-	-
(ii) Trade Payables		-	-	-
(b) Other Current Liabilities	19	409,811,679	866,440,977	903,833,839
Total Current Liabilities		409,811,679	866,440,977	903,833,839
Total Liabilities		19,066,186,754	15,550,436,312	14,646,469,187
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		33,312,624,471	27,884,971,701	25,451,469,187

Accompanying Notes to the Financial Statement 1-41

In terms of our report attached.

For S.K. Naredi & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 003333C

Abhijit Bose
Partner
Membership No. 056109
Place : Kolkata
Date : 20.09.2017

For and on behalf of the Board of Directors

Sudhir Agrawal
Managing Director
DIN 07921451

D. Nandi
Chief Financial Officer

H. K. Sahu
Director (Finance)
DIN 05174575

S. N. Mukherjee
Company Secretary

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Statement of Profit and Loss for the
year ended 31st March, 2017

Particulars	Note	March 31, 2017	March 31, 2016
INCOME			
Revenue From Operations		-	-
Other Income	20	366,352,384	347,178,046
Total Income		366,352,384	347,178,046
EXPENSES			
Employee Benefits Expense	21	44,321,797	30,415,689
Depreciation and Amortization Expense	6	6,285,458	5,618,573
Other Expenses	22	27,051,586	21,167,440
Total Expenses		77,658,841	57,201,702
Profit Before Tax		288,693,543	289,976,344
Tax Expense:			
Current Tax		126,755,512	48,773,327
Profit/(Loss) for the Period		161,938,031	241,203,017
Other Comprehensive Income:			
Items that will not be reclassified to Profit and Loss			
Re- Measurement gains/(losses) on Gratuity Plan		(35,703)	232,372
Net Other Comprehensive Income not to be reclassified to Profit or loss		(35,703)	232,372
Total Comprehensive Income for the period, net of tax		161,902,328	241,435,389
Basic Earnings Per Equity Share	29	0.31	0.33
Accompanying Notes to the Financial Statement	1-41		

In terms of our report attached.

For S.K. Naredi & Co.
 Chartered Accountants
 Firm Registration No. : 003333C

Abhijit Bose
 Partner
 Membership No. 056109
 Place : Kolkata
 Date : 20.09.2017

For and on behalf of the Board of Directors

Sudhir Agrawal
 Managing Director
 DIN 07921451

D. Nandi
 Chief Financial Officer

H. K. Sahu
 Director (Finance)
 DIN 05174575

S. N. Mukherjee
 Company Secretary



Statement of Change in Equity for the year ended 31st March, 2017

A. EQUITY SHARE CAPITAL

Particulars	
Balance as on April 1, 2015	5,855,000,000
Changes in equity share capital during the period	
Fresh Allotment of Equity Shares	3,000,000,000
Balance as on March 31, 2016	8,855,000,000
Changes in equity share capital during the period	
Fresh Allotment of Equity Shares	1,750,000,000
Balance as on March 31, 2017	10,605,000,000

B. OTHER EQUITY

Particulars	Other Equity			Total Equity attributable to equity holders of the Company
	Share Application Money Pending Allotment	Equity Component of Compound Financial Instrument	Reserve & Surplus Retained Earnings	
Balances as on April 1, 2015	3,000,000,000	1,950,000,000	-	4,950,000,000
Profit for the year	-	-	241,203,017	241,203,017
Other Comprehensive Income	-	-	232,372	232,372
Total Comprehensive Income for the year	-	-	241,435,389	241,435,389
Transaction with Owners in their Capacity As Owners				
Issue of Equity Shares	(3,000,000,000)	-	-	(3,000,000,000)
Share Application Money Received	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
Sub-Ordinate Debt Fund Received	-	288,100,000	-	288,100,000
Balance as at 31st March 2016	1,000,000,000	2,238,100,000	241,435,389	3,479,535,389
Profit for the year	-	-	161,938,031	161,938,031
Other Comprehensive Income	-	-	(35,703)	(35,703)
Total Comprehensive Income for the year	-	-	161,902,328	161,902,328
Transaction with Owners in their Capacity As Owners				
Issue of Equity Shares	(1,750,000,000)	-	-	(1,750,000,000)
Share Application Money Received	1,750,000,000	-	-	1,750,000,000
Sub-Ordinate Debt Fund Received	-	-	-	-
Balance as at 31st March 2017	1,000,000,000	2,238,100,000	403,337,717	3,641,437,717

In terms of our report attached.

For S.K. Naredi & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 003333C

Abhijit Bose
Partner
Membership No. 056109

Place : Kolkata
Date : 20.09.2017

For and on behalf of the Board of Directors

Sudhir Agrawal
Managing Director
DIN 07921451

D. Nandi
Chief Financial Officer

H. K. Sahu
Director (Finance)
DIN 05174575

S. N. Mukherjee
Company Secretary

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended March, 2017	For the year ended March, 2016
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit Before Tax & Extraordinary Items	288,693,543	289,976,344
Adjustment for :-		
Gratuity Through OCI	(35,703)	232,372
Depreciation & amortisation expenses	6,285,458	5,618,573
Interest Income	(366,260,726)	(347,027,514)
Loss/(Profit) on Sale of Asset / Investment	15,549	-
Operating profit Before Working Capital Changes	(71,301,879)	(51,200,225)
Change in Working Capital		
Increase /(Decrease) in Short Term Provisions	797,886	(157,453)
Increase /(Decrease) in Other Current Liabilities	(456,629,298)	(37,392,862)
Increase /(Decrease) in Non Current Liabilities	343,950,499	(251,602,252)
Decrease /(Increase) in Other Financial Assets	(17,195)	27,305
Decrease/(Increase) in Other Current Assets - IT	(3,195,868)	(63,849,753)
Decrease /(Increase) in Financial Assets	(56,335,308)	(49,096)
Cash Generated from Operation	(242,731,163)	(404,224,336)
Income Tax Payment	(48,773,327)	(58,569,000)
Net Cash Flow From Operation.....(A)	(291,504,490)	(462,793,336)
B. Cash Flow From Investing Activities		
Interest Received	366,260,726	347,027,514
Purchase of fixed Asset	(4,910,437)	(27,024,883)
Purchase of fixed Asset Capital WIP	(4,991,240,574)	(1,534,256,851)
Decrease /(Increase) in Non Current Assets	187,823,646	(745,321,786)
(Decrease) /Increase in Financial Liability	167,806,229	155,059,545
Net Proceeds from Sale / Purchase of Investment	95,000	-
Net Cash flow From Investing Activities.....(B)	(4,274,165,410)	(1,804,516,461)
C. Cash Flow from Financing Activities		
Proceeds From Issuance of Share Capital	1,750,000,000	3,000,000,000
Proceeds From Intt Free Subordinated debts	-	288,100,000
Proceeds From Long Term Borrowings	3,459,825,126	1,038,060,147
Repayment of Long Term Borrowings	-	-
Share Application Money received	-	(2,000,000,000)
Net Cash Flow From Financing Activities.....(C)	5,209,825,126	2,326,160,147
D. Net increase in Cash & Cash Equivalent (A + B + C)	644,155,226	58,850,350
E. Cash & Cash Equivalent at the beginning of the year	6,336,578,878	6,277,728,528
F. Cash & Cash Equivalent at the end of the year	6,980,734,104	6,336,578,878

- 1 Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method as set out in the Accounting Standards (AS) - 3
- 2 Purchase of Fixed Assets includes movement of Capital Work in Progress during the year.
- 3 Cash and Cash Equivalents at the end of the year represents Cash and Bank Balances.
- 4 Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

Accompanying Notes to the Financial Statement

1-41

In terms of our report attached.

For S.K. Naredi & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 003333C

Abhijit Bose
Partner
Membership No. 056109
Place : Kolkata
Date : 20.09.2017

For and on behalf of the Board of Directors

Sudhir Agrawal
Managing Director
DIN 07921451

H. K. Sahu
Director (Finance)
DIN 05174575

D. Nandi
Chief Financial Officer

S. N. Mukherjee
Company Secretary

Notes to the Financial Statements

1 Corporate Information

Kolkata Metro Rail Corporation Limited ('the Company'), having CIN: U60100WB2008GO127338 was incorporated under the Companies Act, 1956 on 09-07-2008 and is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013 (Section 617 of the Companies Act, 1956). The Company is engaged in the implementation of Kolkata East - West Metro Corridor Project in Kolkata, West Bengal. The company has its registered office situated at Kolkata.

2 Basis of preparation of financial statements

2.1 Statement of Compliance

These financial statements are prepared in accordance and in compliance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

Upto the year ended March 31,2016, the Company prepared its financial statements in accordance with the accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as 'Previous GAAP'). These are Company's First Ind AS financial statements. The date of Transition to Ind AS is 1st April,2015. Refer Note No 3 for details of exemptions availed by the Company for First Time adoption.

2.2 Accounting convention

The financial statements have been prepared on historical cost basis, accrual and going concern basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period. Historical Cost is generally based on the fair value of the Consideration given in exchange for goods and services. All assets and liabilities have been classified as current or non current as per the Company's normal operating cycle and other criteria as set out in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature and the time between acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

2.3 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make estimates, judgments and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Examples of such estimate include the estimated cost and useful life of fixed assets, expenditure during construction etc. Actual result could differ from these estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

3 Significant Accounting Policies

3.1 Revenue recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Interest income from a Financial Asset is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of the income can be measured reliably.

Income from Sale of Tender documents for the Construction works are reduced from the expenses pending capitalization

Interest on mobilization advances realized from Contractors is adjusted against the respective of contract stated in Capital Work in Progress

Interest Earned on Short Term Deposits with Bank is recognized as Income.

Notes to the Financial Statements (contd.)

3.2 Foreign Currencies

In preparing the Financial Statements of the Company, transactions in currencies other than the company's functional currency (foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non Monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange Differences on monetary items relating to acquisition of Fixed Asset are adjusted to the carrying cost of the related Fixed Asset/ Capital Work in Progress prior to Capitalization. Other Exchange Differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

3.3 Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale. All other Borrowing costs are recognized in Profit or loss in the period in which they are incurred.

3.4 Employee Benefits

Provident Fund, Leave Encashment :

Provision for Company Contribution to Provident fund for Company's Employees is accounted. Provision for Leave Salary is made for permanent employees of the company on the basis of Actuarial Valuation. In respect of Deputationists, employee benefits due to employees are paid to their respective organizations/employer from where they have been deputed based on the direction given by their organizations. Leave Salary and Pension Contribution of Deputed Employees are also paid transferred to their respective Organisations as per their valuation.

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan ('the Gratuity Plan') covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment with the Company.

Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary, at each balance sheet date using the projected unit credit method.

Re-measurement, comprising actuarial gains and losses and the return on plan assets (excluding net interest), is reflected immediately in the balance sheet with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur.

Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset.

3.5 Taxation

Income Tax Expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit & loss because of items of income or expense that are taxable or deductible



Notes to the Financial Statements (contd.)

in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current tax for current and prior periods, to the extent unpaid, is recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods (assessment year-wise and not cumulative), the excess shall be recognised as an asset.

Since the excess tax paid may not be recovered / realised within one year from the balance sheet date, the same is presented under non-current assets.

Deferred Tax

Deferred tax expense or benefit is recognized on timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. Deferred Tax Assets are not recognized if there is probable chance that future taxable profit will be available in near future against which they can be realized.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognised in profit or loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity

3.6 Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment (including furniture, fixtures, vehicles, etc) held for use in the production or supply of goods and services or for administrative purposes, are stated in the balance sheet at cost less accumulated depreciation impairment losses. Cost of acquisition is inclusive of freight, duties, taxes and other incidental expenses. Freehold land is not depreciated.

Entities have been given an additional option to use IGAAP carrying values of PPE and intangibles as on the transition date as deemed cost under Ind AS. The entity has thus opted to state the Capital Work in progress, Property, Plant and Equipment at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by management.

Pursuant to the requirements under schedule II of the Company Act 2013, the company has identified the cost of each component of the assets on the basis of its technical expertise and no component has a cost which is significant to the total cost of the assets and has useful life materially different from that of remaining asset.

Tangible assets will be recognized when the project is ready for commercial operation and will be dealt with as per the Ind AS 38 after apportionment of pre-operative expenditure and identifying other tangible assets.

3.7 DEPRECIATION

The company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the Written Down value method at the rates specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on assets purchased during the year are provided from the date the asset have been put to use.

The estimated useful lives of assets are as follows:

- Building - 60yrs
- Air Conditioning and others- 10 years
- Computer equipment- 3 Years
- Motor Vehicle- 8 Years
- Office equipment- 5 Years
- IT system & Networking- 6 Years

Notes to the Financial Statements (contd.)

The management believes that these estimated lives are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used.

Freehold Land is not depreciated.

3.8 Capital Work In Progress

Assets under Construction as on the Balance Sheet Date are shown as Capital Work in Progress.

Capital work in progress is considered to be in the nature of PPE under construction and the provisions of Ind AS 16 apply to it. Accordingly, the option under paragraph D7AA of Ind AS 101, to continue with the carrying value under previous GAAP as deemed cost, is also available with regards to capital work in progress.

Construction expenditures, fees paid to consultants and all other costs less any income directly attributable to the Project along with pre-operative expenditure during construction are shown as Capital Work in Progress till capitalization. The same shall be allocated to the Assets in the ratio of Assets capitalised to the total Capital Work In Progress. Recovery from Contractors towards interest and others are adjusted against Construction Expenditure pending Capitalization.

The Carrying amount of Capital Work in Progress as on transition date i.e 1st April 2015 is taken as deemed cost. Thus all the Expenses and Income that are directly attributable to the Project incurred after 1st April 2015 are transferred to Pre Operative Expenses Pending Allocation. The rest has been passed through Profit or Loss Account.

3.9 Impairment of tangible (Property, Plant and Equipment)

At the end of each reporting period, the company reviews the carrying amounts of its Property Plant & Equipment to determine whether there is any indication that those assets has suffered any impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the assets is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Recoverable amount is the higher of Fair value less cost of disposal and value in use.

3.10 Borrowing Costs

IND AS 23 states that Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset form part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense.

The company's Project is specifically funded by Japan International Cooperative Agency and Interest Free Subordinate Debt from Government for the same. Since this borrowing is specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, interest cost is eligible for capitalisation less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

In respect of an interest free subordinate loan, where no borrowing costs would arise, the interest income out of investment of such borrowed funds cannot be adjusted against the borrowing costs to be capitalized in the cost of the asset. The same has been recognized in the statement of Profit and Loss.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes based on the judgement of the management. Contingencies the likelihood of which is remote are not disclosed in the Financial Statements. Contingent Assets are not recognized until the contingency has been resolved and amounts are received or receivable.

3.12 Financial Instruments

Financial Assets and Liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments. Financial Assets and Liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial

Notes to the Financial Statements (contd.)

assets and liabilities at fair value through Profit/Loss A/c) are added to or deducted from the fair value of the Financial Assets or Financial Liabilities, as appropriate on initial recognition.

3.13 Financial assets

A financial asset is subsequently measured at amortised, if any, cost if it is held within a business model whose objective is to hold the asset in order to collect contractual Cash Flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

A financial asset is subsequently measured at fair value through other comprehensive income if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

A financial asset which is not classified in any of the above categories is measured at Fair value through Profit or Loss A/c.

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the Cash Flow from the financial assets expires, or it transfers the contractual rights to receive the cash flow from the asset, if any.

3.14 Financial liabilities

Financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest method, except for contingent consideration recognized in a business combination which is subsequently measured at fair value through profit and loss.

For trade and other payables maturing within one year from the Balance Sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

3.15 Equity Instruments

3.15.1 Equity Shares

Ordinary Shares Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance of new ordinary shares.

3.15.2 Other Equity

- Share Application Money Pending Allotment has been treated as Other Equity
- In accordance with Para 16 of IndAS 32 - Interest Free Sub ordinate Debt from Government is treated as Equity Component of Financial Instrument.
 1. There are no contract or terms and conditions for repayment of this loan
 2. There is no contractual obligation on the company to issue shares
 3. The loan received from the Government is interest free loan
 4. The instrument is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments.
The Debt is Subordinate in nature implying that it will be paid after settlement of the JICA Loan.

3.16 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) after tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on the available information.

3.17 Earning Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year /period.

Notes to the Financial Statements (contd.)

3.18 Recent Accounting Pronouncements

Standards issued but not yet effective

In March 2017, the Ministry of Corporate Affairs issued the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2017, notifying amendments to Ind AS 7, 'Statement of cash flows' and Ind AS 102, 'Share-based payment.' These amendments are in accordance with the recent amendments made by International Accounting Standards Board (IASB) to IAS 7, 'Statement of cash flows' and IFRS 2, 'Share-based payment,' respectively. The amendments are applicable to the company from April 1, 2017.

Amendment to Ind AS 7:

The amendment to Ind AS 7 requires the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the balance sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The company is evaluating the requirements of the amendment and the effect on the financial statements is being evaluated.

4. First-time adoption of Ind-AS

The company has adopted Indian Accounting Standard (Ind AS) as notified by the Ministry of Company Affairs with effect from 1st April, 2016, with the transition date of 1st April 2015.

These financial statements for the year ended 31st March 2017 are the first financial statement the company has prepared under Ind AS.

For all the periods upto and including the year ended 31st March 2016, the company prepared its Financial Statement in accordance with the Accounting Standard notified under the Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with the paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 ['Previous GAAP'].

The transition to Ind AS has resulted in change in the presentation of the financial statements, disclosures in the notes thereto and accounting policies and principles. The Accounting policies set out in Note 3 have been applied in preparing the Financial Statements for the year ended March 31st, 2017 and the comparative information as at and for the year 31st March, 2016 and the opening Ind AS Balance Sheet as at 1st April, 2015, the date of the transition to Ind AS.

An explanation of how the transition from the previous GAAP to IndAS has effected the Company's Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, is set out in Note 34.

In preparing these Ind AS financial statement, the company has availed certain exemption and exceptions in accordance with the Ind AS 101, as explained below.

4.1 Exemptions availed on first time adoption of Ind-AS 101

Ind-AS 101 allows first-time adopters certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under Ind AS. The Company has accordingly applied the following optional exemption from the retrospective application:

(a) Deemed Cost for Property, Plant And Equipment

Entities have been given an additional option to use IGAAP carrying values of PPE and intangibles as on the transition date as deemed cost under Ind AS.

(b) Foreign exchange difference on Long Term Monetary items:

Entities under IGAAP had a one time option to capitalize exchange fluctuation on long term monetary items to the carrying cost of Fixed Assets or to Reserve and then depreciate/amortize over a period of time as specified or charge it to Income Statement. Under the transition provision, an exemption has been provided to account for the exchange fluctuation on long term monetary assets/liabilities that existed till



Notes to the Financial Statements (contd.)

dated of migration (FY16-end for phase 1) to account for exchange differences arising from translation of Long Term Foreign currency items recognized in the financial statements as per previous GAAP. IND AS 101 provides an option to continue the policy adopted for accounting of exchange differences arising from translation of Long Term Foreign Currency Monetary Items recognized in the financial Statements for the period ending immediately before the beginning of the first Ind AS financial reporting period as per Previous GAAP.

(c) Exception to Retrospective Application

On assessment of the estimates made under the previous GAAP financial statement, the Company has concluded that there is no necessity to revise the estimates under Ind AS, as there is no objective evidence that those estimates were in error. However, estimates that were required under Ind AS but not required under previous GAAP are made by the Company for the relevant reporting dates reflecting conditions existing as at that date.

5 Restatement

- 5.1 The concept of restatement is new for India. Under Ind AS, change in accounting policies and correction of errors or omissions will be accounted for retrospectively by restating the comparative periods, i.e. previously finalised accounts. This will be a significant change as presently under Indian GAAP, these adjustments are recorded through the current period Income Statement as prior period items or effect of change in accounting policy.
- 5.2 Accordingly, the Profit and Loss for the previous year ended 31st March 2016 has been restated to provide for change in Accounting Policy.
- 5.3 The Company will charge to Profit and Loss all other Administrative overheads, Finance Cost, Employee Benefit expenses and Depreciation cost which are not necessarily or directly attributable to the acquisition of the Qualifying Asset. Similarly, Income earned on Term Deposits out of Equity funds is also not eligible for reduction from Pre Operative Expenditure. This should be recognised as Income and charged to Profit and Loss A/c.
- 5.4 The Company has taken the carrying amount of Capital Work in Progress (Property, Plant and Equipment) as at date of transition i.e.01-04-2015. These included Pre Operative Expenditure (net of Expenses over income till date) capitalised to Capital Work In Progress.Therefore, only the Expenses and Income after the date of transition is changed and restated in the Profit and Loss A/c.
- 5.5 Also, the Company has not provided for Taxation in financial year 2015-16 but as per Income Tax Returned to Income Tax Authorities, the Company has offered tax on interest earned on Fixed Deposit. Since the Profit and Loss and Balance Sheet is restated as per requirement of Ind AS, the Company is providing for tax for FY 2015-2016.

6 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	Note No	March31, 2017	March31, 2016	April 1, 2015
Gross Block	6.1	505,362,362	478,337,479	478,085,516
Add: Addition made during the year		4,910,437	27,024,883	251,963
Less: Deletion made during the year		(1,875,526)	-	
Less: Total Accumulated Depreciation		(43,868,662)	(39,348,181)	(33,729,608)
Net Block		464,528,611	466,014,181	444,607,871

Notes to the Financial Statements (contd.)
6.1 PROPERTY PLANT & EQUIPMENT

Following are the changes in the carrying value of the Property, Plant & Equipment for the year ended 31st March 2017:

Particulars	Land- Freehold Land	Buildings	Furniture & Fixtures	Vehicle	Office Equipment	Computer Equipment	I T System & Networking	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2016	420,301,384	46,741,731	11,803,549	917,123	15,882,406	7,873,304	1,842,865	505,362,362
Addition	-	-	227,203	-	1,061,328	2,012,329	1,609,577	4,910,437
Deletion	-	-	-	-	172,866	1,702,660	-	1,875,526
Gross Carrying value as of March 31, 2017	420,301,384	46,741,731	12,030,752	917,123	16,770,868	8,182,973	3,452,442	508,397,273
Accumulated depreciation as of April 1, 2016	-	8,907,133	9,619,030	651,260	12,114,975	6,726,302	1,329,481	39,348,181
Depreciation	-	1,853,130	757,911	94,514	1,557,114	1,263,530	759,259	6,285,458
Accumulated Depreciation on deletion	-	-	-	-	147,450	1,617,527	-	1,764,977
Accumulated depreciation as of March 31, 2017	-	10,760,263	10,376,941	745,774	13,524,639	6,372,305	2,088,740	43,868,662
Carrying value as on March 31, 2017	420,301,384	35,981,468	1,653,811	171,349	3,246,229	1,810,668	1,363,702	464,528,611

Following are the changes in the carrying value of Property, Plant & Equipment for the year ended 31 March 2016:

Particulars	Land- Freehold Land	Buildings	Furniture & Fixtures	Vehicle	Office Equipment	Computer Equipment	I T System & Networking	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2015	420,301,384	24,250,830	11,675,158	917,123	12,454,302	6,895,817	1,842,865	478,337,479
Addition	-	22,490,901	128,391	-	3,428,104	977,487	-	27,024,883
Deletion	-	-	-	-	-	-	-	-
Gross Carrying value as of March 31, 2016	420,301,384	46,741,731	11,803,549	917,123	15,882,406	7,873,304	1,842,865	505,362,362
Accumulated depreciation as of April 1, 2015	-	6,958,559	8,537,201	504,612	10,280,831	6,515,634	932,771	33,729,608
Depreciation	-	1,948,574	1,081,829	146,648	1,834,144	210,668	396,710	5,618,573
Accumulated Depreciation on deletion	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulated depreciation as of March 31, 2016	-	8,907,133	9,619,030	651,260	12,114,975	6,726,302	1,329,481	39,348,181
Carrying value as on March 31, 2016	420,301,384	37,834,598	2,184,519	265,863	3,767,431	1,147,002	513,384	466,014,181
Carrying value as on March 31, 2015	420,301,384	17,292,271	3,137,957	412,511	2,173,471	380,183	910,094	444,607,871

Note : 6.1.1 Land includes Rs.3,00,00,000 paid to Calcutta State Transport Corporation for the cost of land at 10, Lu Tsun Sarani, Kolkata for construction of New Building for rehabilitation of Project Affected people of Mohakaran and Central Station, Kolkata

Note : 6.1.2 The Land Cost represents the land that has been capitalised on possession. Title Deeds for Land are not in the name of the Company

Note : 6.1.3 There were no impairment of Assets during the year

Note : 6.1.4 Laptops Purchased during the year to the value of Rs 305,843 /- included in addition to Computers is in the name of Employees and in possession with the Company

Note : 6.1.5 Mobiles Purchased during the year to the value of Rs. 53,838 /- included in addition to Office Equipments is in the name of Employees and in possession with the Company



Notes to the Financial Statements (contd.)

7 CAPITAL WORK IN PROGRESS

	Note No	March 2017	March 2016	March 2015
Expenditure Directly Related to CWIP				
Civil Construction Expenditure				
Elevated Viaduct	7.1	2,922,466,051	2,732,643,749	2,621,195,682
Station Building and Design		2,016,510,504	1,682,981,978	1,649,863,930
Underground Tunnelling- UG-1		4,374,634,824	2,256,414,964	1,614,360,808
Underground Tunnelling- UG-2		7,604,927,024	6,978,745,933	6,674,310,613
Central Park Depot	7.2	1,163,321,464	934,013,685	802,530,593
Track		345,052,890	227,212,152	201,503,149
Electricity Power Supply		320,181,142	37,758,667	23,254,785
Signaling & Communication		155,001,655	153,861,909	140,499,768
Rolling Stock	7.3	363,441,216	-	-
A F C		6,265,505	-	-
Consultancy Fees				
General Consultants		2,730,048,694	2,399,846,342	2,197,345,752
Prime Consultants		171,375,530	164,274,380	157,027,160
Others		11,985,587	8,259,587	702,587
		<u>22,185,212,086</u>	<u>17,576,013,346</u>	<u>16,082,594,827</u>
Pre - Operative Expenditure Pending Allocation (Refer Note 3.8)	8	1,278,284,221	896,242,386	855,404,054
		<u>23,463,496,307</u>	<u>18,472,255,732</u>	<u>16,937,998,881</u>

- 7.1** Interest on mobilisation advance realised from M/s GPT Infrastructure Ltd engaged for construction of Elevated Viaduct at Duttabad to the tune of Rs 39.04 Lacs has been reduced from the Capital Expenditure on Elevated Viaduct during the year
- 7.2** Interest on mobilisation realised from M/s CCC Ltd engaged for construction of Central Park Depot at Salt Lake to the tune of Rs 21.16 Lacs has been reduced from Capital Expenditure on Central Park Depot during the year
- 7.3** Bank Gurantee of M/s CAFMELCO contracted for supply of Rolling Stock has been invoked due to non performance of the Contract. The amount involved till the year ended 31st March 2016 was Rs. 7954.73 Lacs. During the year ended 31st March, 2017, Rs 661.66 Lacs more of Bank Gurantee has been invoked for the same party. The total amount of Rs. 8616.39 Lacs has been reduced from the Capital Expenditure on Rolling Stock in the Current year.

Notes to the Financial Statements (contd.)
8 PRE-OPERATIVE EXPENDITURE (PENDING ALLOCATION)

	For the year ended 31-3-17	During the year 2016-17	During the year 2015-16	For the Year ended 31-3-15
EXPENSE				
Borrowing Cost	1,260,228,371	373,219,534	146,344,028	740,664,809
Employee Benefit Payment	149,045,993	-	-	149,045,993
Depreciation & Amortization expenses	29,755,557	-	-	29,755,557
Bank Charges	11,479,225	1,655,872	445,642	9,377,711
Advertisement Expenses	34,641,637	2,954,531	2,696,422	28,990,684
Exchange Fluctuation Cost	7,564,010	4,158,273	117,347	3,288,390
Legal Charges	7,008,435	968,624	303,471	5,736,340
Other Administrative expenses	144,146,160	-	-	144,146,160
	1,643,869,388	382,956,834	149,906,910	1,111,005,644
INCOME				
FDR Interest	353,487,015	-	-	353,487,015
Other Income	693,481	-	-	693,481
Earmest Money Forfeiture	400,000	400,000	-	-
Sale of Tender Documents	10,746,042	515,000	452,000	9,779,042
Interest on IT refund	258,630	-	-	258,630
Less : Income generated under operation	365,585,168	915,000	452,000	364,218,168
Net Pre Operative Expenses transferred to CWIP	1,278,284,221	382,041,834	149,454,910	746,787,476
Add: Balances brought forward from previous period	-	896,242,386.32	855,404,054	-
Less: Reversal of provision of Taxes of earlier years previously provided for	-	-	108,616,578	(108,616,578)
Total	<u>1,278,284,221</u>	<u>1,278,284,221</u>	<u>896,242,386</u>	<u>855,404,054</u>

8.1 Borrowing Costs during the year ended includes

	March 31, 2017	March 31, 2016
Interest Expense JICA	155,725,608	123,260,862
Commitment Charges	2,510,122	5,787,787
Interest Expense PTA	-	17,295,379
Foreign Exchange Fluctuation Expense	214,983,804	-
Total	<u>373,219,534</u>	<u>146,344,028</u>



Notes to the Financial Statements (contd.)

9 OTHER FINANCIAL ASSETS

	NOTE NO	March 31, 2017	March 31, 2016	April 1, 2015
Non-Current				
Unsecured, Considered Good				
Security Deposits	9.1	3,366,038	3,348,843	3,376,148
Other Receivables	9.2	1,940,063	1,940,063	1,940,063
Total		5,306,101	5,288,906	5,316,211
Current				
Other Advance		195,454	229,118	180,022
Fixed Deposit	9.3	56,368,972	-	-
Total		56,564,426	229,118	180,022

Note Financial Assets are carried at Amortised Cost

9.1 Security Deposits represent Deposits with Public Utility Services for Telephone, Electricity etc.

9.2 Amount Receivable denotes the balance amount receivable from HRBC against the Airconditioners and Other Electrical Equipments not shifted at the time of shifting the office.

9.3 Fixed Deposit pledged with Union Bank of India as margin money for issuance of Letter of Credit for supply of Items- Pit Jack at Central Park Depot in favor of Neuro Technology Germany.

10 OTHER ASSETS

	NOTE NO	March 31, 2017	March 31, 2016	April 1, 2015
NON CURRENT				
Secured, Considered good				
Capital Advances*				
Advance to Contractors	10.1	1,806,771,362	1,940,131,375	1,603,158,616
Advances to Government Bodies for utility Services	10.2	272,260,071	343,772,815	149,828,767
Advance towards Land Acquisition Cost	10.3	143,039,253	143,039,253	37,375,312
Total Capital Advances		2,222,070,686	2,426,943,443	1,790,362,695
Advances other than Capital Advances				
Balances with Revenue Authorities				
Income Tax	10.4	125,144,108	108,164,557	(576,481)
Service Tax		69,560	-	-
		125,213,668	108,164,557	(576,481)
		2,347,284,354	2,535,108,000	1,789,786,214

10.1 Advance to Contractors

	March 31, 2017	March 31, 2016	April 1, 2015
Mobilisation Advance	1,409,752,247	1,502,503,349	1,221,010,917
Material Advance	88,923,416	52,506,327	-
Machinery Advance	308,095,699	385,121,699	382,147,699
	1,806,771,362	1,940,131,375	1,603,158,616

Notes to the Financial Statements (contd.)

10.1.1 Mobilisation advances given to Contractors as per terms of contract are fully secured by way of Financial Bank Guarantees received from Contractors.

Advances paid to Contractors is partially secured by Financial Bank Guarantees received from Contractors."

10.1.2 Capital Advances includes advances in Foreign Currency Denominated Advances also in the nature of adjustable and Non – refundable Advances. Ind –AS 21 states if the payments made are regarded as Pre payments or Progress Payments, then the amounts should be treated as Non- Monetary item. Under Ind AS-21, Non Monetary Prepayments Assets/Liabilities recognised at cost are translated using the exchange rate on the date advance payment is made/received. Subsequent to their initial recognition, foreign currency advances are not restated for any subsequent changes in exchange rates. Thus foreign currency transactions are recorded at the spot rate at date of transaction

10.2 Capital Advances made towards utility Services is fully secured as the money has been paid to Government Agencies and the advances will be adjusted in due course as and when work is completed

10.3 Advances paid for Land represents adhoc payment to LAC, West Bengal for acquisition of Land at different locations for the project and pending for allotment. Refer Note 26 for pending legal cases on land Acquisition.

10.4 Income Tax Refundable Assessment Year Wise : Details of Assessment year Income Tax Refunds and Income Tax paid on Dispute are as under :

Asst. Year	Income Tax Refundable	Income Tax Paid under Dispute	Total
AY 2010-11	415,108	1,100,000	1,515,108
AY 2012-13	12,991,107	-	12,991,107
AY 2013-14	18,640,790	-	18,640,790
AY 2014-15	16,257,678	49,425	16,307,103
AY 2015-16	4,273,000		4,273,000
AY 2016-17	71,361,257		71,361,257
TDS Previous Years	-	-	55,743
	123,938,940	1,149,425	125,144,108

Income Tax payment of Rs. 11 lacs was made in response to Asst Order dated 31-07-2012 u/s 143(3) for the Asst Year 2010-11 out of total Assessed tax of Rs. 21,16,040/- Appeal against the same is pending before Appellate Tribunal

Income Tax payment of Rs. 49,425 was made in response to Asst Order dated 26.11.2014 u/s 143(3) for the Asst Year 2014-15 out of total Assessed tax of Rs. 3,29,500/- Appeal against the same is pending before CIT Appeals

11 CASH AND CASH EQUIVALENTS

	NOTE NO	March 31, 2017	March 31, 2016	April 1, 2015
Balance with Banks				
Current Account				
State Bank Of India	11.1	1,455,349,292	792,794,841	3,223,005,980
SBI Kol Main Branch		48,338	50,971	51,446
Union Bank of India		499,487,157	4,542,233	4,264,530
		<u>1,954,884,787</u>	<u>797,388,045</u>	<u>3,227,321,956</u>
Deposit Account with original maturity of less than three months (Incl accrued intt)		5,025,849,316	5,539,190,833	3,050,406,572
Cash on hand		-	-	-
		<u>6,980,734,103</u>	<u>6,336,578,878</u>	<u>6,277,728,528</u>

11.1 Balances with banks in Current A/c includes Deposit of Rs 1 lacs pledged with Bank towards issuance of Bank Guarantee to Department of Tele Communication



Notes to the Financial Statements (contd.)

(Amount in ₹)

12 CURRENT TAX ASSETS (NET)

	March 31, 2017	March 31, 2016	April 1, 2015
Tax Assets			
Advance Tax	93,734,300	81,996,290	38,339,420
Tax Deducted at Source	27,731,781	36,273,923	16,081,040
Total	121,466,081	118,270,213	54,420,460
Tax Liabilities			
Provision for Income Tax (refer Note 23)	126,755,512	48,773,327	58,569,000
Total	126,755,512	48,773,327	58,569,000
Net	(5,289,431)	69,496,886	(4,148,540)

13 EQUITY SHARE CAPITAL

	March 31, 2017	March 31, 2016	April 1, 2015
Authorized Share capital			
Equity Share Capital	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000
1,40,00,00,000 (1,40,00,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each			
Issued, Subscribed and Fully Paid Up			
10,605,00,000 (88,55,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each	10,605,000,000	8,855,000,000	5,855,000,000
	10,605,000,000	8,855,000,000	5,855,000,000

13.1 Terms /rights attached to equity Shares

The company has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive any of the remaining assets of the company in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

13.2 Reconciliation of the Number of Shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting year

Particulars	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	No. of Shares	Amount	No. of Shares	Amount
A. Equity Share Capital				
Balance at the beginning of the reporting period	885,500,000	8,855,000,000	585,500,000	5,855,000,000
Changes in equity share capital during the period - Fresh Allotment of Equity Shares	175,000,000	1,750,000,000	300,000,000	3,000,000,000
Balance at the end of the reporting period	1,060,500,000	10,605,000,000	885,500,000	8,855,000,000

Notes to the Financial Statements (contd.)
13.3 Detailed of Shareholder's holding more than Five percent Equity Shares

Name of shareholders	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	No. of Shares	% held	No. of Shares	% held
President of India (a/c. Ministry of Railways)	721,499,200	68.03%	546,500,000	61.72%
President of India (a/c. Ministry of Urban Development)	339,000,000	31.97%	339,000,000	38.28%

13.4 For the period of 5 Years immediately preceding the date of Balance Sheet Reporting Date

(a) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash.	NIL
(b) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares.	NIL
(c) Aggregate number and class of shares bought back	NIL

14 OTHER EQUITY

	MARCH' 2017	MARCH' 2016
Share Application Money Pending Allotment	1,000,000,000	1,000,000,000
Equity Component of Compound Financial Instrument	3.15.2	
Interest free loan from Government of India		
Subordinate Debt - Govt. of India	990,000,000	990,000,000
Subordinate Debt - Govt. of West Bengal	960,000,000	960,000,000
Subordinate Debt - MoR	288,100,000	288,100,000
	<u>2,238,100,000</u>	<u>2,238,100,000</u>
RESERVES AND SURPLUS		
Surplus :		
Opening Balance	241,435,389	
Add :		
Transfer from Profit & Loss A/c	161,938,031	241,203,017
Other Comprehensive Income		
From Remeasurement of Defined Benefit Obligation	(35,703)	232,372
Balance at the end of the year	403,337,717	241,435,389
	<u>3,641,437,717</u>	<u>3,479,535,389</u>

14.1 Share Application Money Pending Allotment

The Share Application Money does not include any Share Premium.

The Company received Share Application Money from Govt. Of India (MoR) to the tune of ₹10,000,00,000 as on the date of Balance Sheet i.e. 31st March, 2017 towards 1000,00,000 Nos of Equity Shares @ Rs. 10/- each on 17.03.2017. The shares has been allotted on 25-05-2017

The Company has an Authorised Capital of Rs 1400 crores. Hence Share Application Money Pending Allotment is well within the coverage of Authorised Share Capital

Share Capital	Nos	Amount
Existing Issued Capital	1,060,500,000	10,605,000,000
Share Application Money Received	100,000,000	1,000,000,000
Proposed Issued Capital	1,160,500,000	11,605,000,000
Authorised Capital	14,000,000,000	140,000,000,000



Notes to the Financial Statements (contd.)

14.2 Reconciliation of Changes in Other Equity for the period ended 31st March 2017

Particulars	As at	As at
	31st March, 2017	31st March, 2016
	Amount in ₹	Amount in ₹
Share Application Money Pending Allotment		
Balance at the beginning of the reporting period	1,000,000,000	3,000,000,000
Less :Share Alloted	1,750,000,000	3,000,000,000
Add : Fresh Share Application Money Recd	1,750,000,000	1,000,000,000
Balance at the end of reporting period	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Equity Component of Compound Financial Instrument		
	2,238,100,000	2,238,100,000
Add/Less : Movement during the period	-	-
Closing Balance	2,238,100,000	2,238,100,000
Retained Earnings		
Opening Balance	241,435,389	-
Add : Profit for the year	161,938,031	241,203,017
Other Comrehensive Income	-	-
From Remeasurement of Defined Benefit Obligation net of Income Tax	(35,703)	232,372
Balance at the end of reporting period	403,337,717	241,435,389

15 BORROWINGS

	MARCH' 2017	MARCH' 2016	April 1, 2015
NON CURRENT			
Unsecured			
Loan from Japan International Co-operation Agency (JICA) through Government of India	15,157,692,910	11,697,867,784	10,659,807,637
	15,157,692,910	11,697,867,784	10,659,807,637

15.1 Japan International Co-operation Agency (JICA) has entered into Agreement with President of India to provide support for the Infrastructural Development of India. One such proposal was Construction of East West Metro Project in the State of West Bengal, Kolkata to cope up with the increase of traffic demand in Kolkata Metropolitan area by extending the mass rapid transportation system, thereby promoting regional economic development and improving urban development and improving urban environment, through mitigation of traffic jams and decrease of pollution caused by increasing Motor Vehicles.

Loan is considered to be Long term in nature as the purpose for which the loan has been given - i.e. Construction of East West Metro is still in process because of reasons and circumstances not in control of the management. JICA loan is supported by the JICA Loan Agreement which details the terms and conditions of the Loan.

JICA Loan is a long term Financial Liability and is carried at Amortised Cost in the financial Statement in accordance with IND -AS - 32

Notes to the Financial Statements (contd.)
15.2 JICA Sanctioned Loans in Two Tranches detailed hereunder :

Particulars	Agreement Date	Sanctioned Amount (Amount in lacs in Yen)	Purpose of loan	Rate of Interest	Commitment Charges Payable on Unutilised Amount
Loan A/c 192 Loan A/c 192A	3/10/2008	64,370.00	Construction Cost Technical Consultancy Contingency Loan	1.20% 0.01%	0.01%
		64,370.00			
Loan A/c 207 Loan A/c 207A	3/31/2010	234,020	Construction Cost Technical Consultancy	1.40% 0.01%	0.01%
		234,020			
		298,390			

- 15.3 These loans will be repayable in half yearly instalments over 30 years (10 Years Moratorium from date of agreement & after that 20 Years repayment)
- 15.4 The agreement stipulates that in case of delay in payment of interest, overdue charges, to the extent of 2% on the outstanding amount was also payable. So far the Company has not paid any interest though provisions already been made. Overdue charges to the extent of 2% on the outstanding amount has not been provided. As per information from the Ministry, Interest is being serviced directly to JICA through Ministry of Finance. Corresponding Debit to the Company from the Ministry is pending. Hence, no overdue charges are payable
- 15.5 Foreign Exchange Fluctuations on JICA loans - The Loan has been retranslated in INR on the Balance Sheet date at the rate confirmed by CAAA (Ministry of Finance) . The conversion rate taken for such translation is 0.5849.. The same has been recognised by the company and has been capitalised as the Borrowing Cost related to Construction of Capital Asset. Refer Note 8.1

Particulars	As on 31-3-17 Loan (Yen)	As on 31-3-17 Loan (INR) Not Translated	Foreign Exchange Fluctuation Expense on Borrowing	As on 31-3-17 Loan (INR) Translated
Loan A/c 192	6,389,659,274	3,295,867,479	441,444,230	3,737,311,709
Loan A/c 207	19,525,356,815	11,646,841,627	(226,460,426)	11,420,381,201
	25,915,016,089	14,942,709,106	214,983,804	15,157,692,910
Foreign Exchange Fluctuation Expense on Borrowing	-	-	-	214,983,804
	25,915,016,089	15,157,692,910		15,157,692,910

15.6 Terms of Loan
Rate of Interest

Interest has been provided @ 1.2% p.a. on 1st Tranche Loan from JICA (ID-P192) and @ 1.4% p.a. on 2nd Tranche Loan No. (ID-P207) on the respective days for which the amounts are outstanding. Funds have been released from JICA on submission of Utilisation Bills.

Repayment Terms

P- 192 - Interest bearing Loan of 64,370 Lakh Japanese Yen from Japan International Corporation Agency (JICA) through Government of India for first Tranche (ID- P192) is repayable in half yearly installments beginning from March, 2018. This loan has been closed on 10-3-2013.

P- 207- Interest bearing Loan of 234,020 Lakh Japanese Yen from Japan International Corporation Agency (JICA) through Government of India for Second Tranche (ID- P207) is repayable in half yearly installments beginning from March, 2020. The tenure of this loan has expired on 31-3-17, Extension has been sought for further period of one year.

Commitment Charges

Commitment Charges provided @ 0.10% per annum on the total Unutilised Balance of Committed Loan from JICA up to 31st March, 2017.

For the current Financial Year Commitment Charges of Rs.25,10,122/- (Previous Year Rs 57,87,787/-)



Notes to the Financial Statements (contd.)

15.7 Details of Loan

Particulars	Opening Balance	Addition During the year	Repayment During the year	Foreign Exchange Fluctuation	Closing Balance
Principal	11,697,867,784	3,244,841,322	-	214,983,804	15,157,692,910
Interest Accrued and Due	425,460,861	155,725,608	-	-	581,186,469
Commitment Charges due	49,023,533	2,510,122	-	-	51,533,655
	12,172,352,178	3,403,077,052	-	214,983,804	15,790,413,034

16 OTHER FINANCIAL LIABILITIES

	March' 2017	March' 2016	April 1, 2015
CURRENT			
Other Current Financial Liabilities			
Pass Through Assistance - MoR	1,651,774,405	1,642,457,456	1,310,212,339
Earnest Money Deposit	4,128,138	3,874,588	3,717,605
Interest Accrued and due on Pass Through Assistance	-	-	306,391,204
Interest Accrued and Due on JICA Loan Payable	581,186,469	425,460,861	302,199,999
Commitment Charges Payable	51,533,655	49,023,533	43,235,746
	2,288,622,667	2,120,816,438	1,965,756,893

17 PROVISIONS

	March' 2017	March' 2016	April 1, 2015
Provision for Employee Benefits			
Provision for Gratuity	852,597	571,242	631,045
Provision for Leave Salary	1,273,466	756,935	854,585
	2,126,063	1,328,177	1,485,630

17.1 The Company accounts for liability of future gratuity benefits and leave salary benefits of its eligible employees on the basis of Actuarial Valuation

18 OTHER NON CURRENT LIABILITIES

	March' 2017	March' 2016	April 1, 2015
Creditors for Capital Goods	735,785,660	247,280,804	455,413,361
Others :			
Security Deposit & Retention Money	472,147,775	616,702,132	660,171,827
	1,207,933,435	863,982,936	1,115,585,188

Security Deposit and Retention money withheld by the Contractee is released only on the completion of contract to the satisfaction of the Contractee. The money so withheld represents source of protection against any potential future losses which could be suffered by the Company in case of non/poor performance of the Contractor. The amount so withheld does not involve financing by the contractor and hence the amount has not been discounted.

Notes to the Financial Statements (contd.)
19 OTHER CURRENT LIABILITIES

	March' 2017	March' 2016	April 1, 2015
Other Payables			
Advance from Contractors	2,489,074	3,385,144	2,914,824
Employee Benefit Payable	3,072,805	2,430,847	1,891,654
Liabilities for Expenses	3,768,856	2,336,022	2,539,693
Security Deposit & Retention Money	329,348,435	108,074	-
Invocation of BG	-	795,473,568	795,473,568
Statutory Liabilities Payable	31,590,264	23,165,077	19,680,392
Advance from Mani Square for skywalk	790,147	790,147	790,147
VAT Reimbursable by Government of West Bengal	38,752,098	38,752,098	80,543,561
	409,811,679	866,440,977	903,833,839

20 OTHER INCOME

	March' 2017	March' 2016
Interest received on Bank Deposits		
Interest on Fixed Deposits	362,178,397	347,027,514
Other Non-Operating Income :		
Other Income	107,207	150,532
Interest on IT Refund	4,082,329	-
Profit/(loss) on Sale of Assets	(15,549)	-
	366,352,384	347,178,046

21 EMPLOYEE'S BENEFIT EXPENSES

	March' 2017	March' 2016
Wages & Salaries & other benefits	43,355,417	29,703,160
Employers contribution to Provident Fund	636,617	548,128
Staff & Labour Welfare	329,763	164,401
	44,321,797	30,415,689

22 OTHER EXPENSES

	March' 2017	March' 2016
ADMINISTRATIVE COST		
Audit Fees 22.1	852,701	278,200
Car Hire Charges	7,630,586	3,340,426
Bank Charges	42,910	1,327
Repair and Maintenance	1,230,364	1,169,176
Travelling & Conveyance	4,380,259	5,600,845
Rates & Taxes	64,963	66,685
Security Charges	4,980,535	4,114,090
Electricity Charges	2,745,252	2,548,488
Insurance Charges	12,176	12,124
Arbitration and conciliation fees	-	236,975
Consultancy & Professional Charges	318,465	268,732
Misc Expenses	3,168,193	1,677,812
Printing & stationery	642,355	685,2463
Interest on Statutory payments	174,313	397,359
Telephone & Internet Charges	808,514	769,955
	27,051,586	21,167,440



Notes to the Financial Statements (contd.)

22.1 Audit Fees

	March' 2017	March' 2016
Statutory Audit	110,500	85,000
Tax Audit	13,200	10,000
Internal Audit	729,001	183,200
	<u>852,701</u>	<u>278,200</u>

23 Tax Expenses

During the Current year the company has made provision for Income Tax amounting Rs 12,67,55,512/- (Previous Year Rs 487,73,327/-) as per the provisions for Income Tax Act,1961.

Also, the Company has not provided for Taxation in Financial year 2015-16 but as per Income tax Returned to Income Tax Authorities, the Company has offered tax on interest earned on Fixed Deposit . Since the Profit and Loss and Balance Sheet is restated as per requirement of Ind AS, the Company is providing for tax for FY 2015-16 .

24 Deferred Tax Assets (Net)

The Deductible temporary differences do not expire under the Current Tax Legislation. Deferred Tax Asset have not been recognized in respect of these items because it is not considered probable that future taxable profit will be available in near future against which they can be realized.

25 Contingent Liabilities and Capital Commitments (to the extent not provided for) :

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
a) In respect of the following:			
Service Tax matters under appeal FY 2009-10 to 2012-13	18,54,944	18,54,944	9,27,472
Income Tax matters under Appeal A.Y.2010-11	10,16,041	10,16,041	-
Income Tax matters under Appeal A.Y.2011-12	36,25,100	36,25,100	-
Income Tax matters under Appeal A.Y.2014-15	279,075		
b) Claim against the Company not acknowledged as debt	58,85,39,223	58,85,39,223	58,85,39,223
c) Claims by Hooghly River Bridge Commissioner towards various expenses	1,33,01,360	1,33,01,360	-
d) Estimated amount of Unexecuted Capital Contracts (Net of Advances)	26,009,677,376	24,568,125,682	
e) Amount outstanding against Letter of Credit	650,560 EURO		

26 Pending Legal Cases relating to Acquisition of Land

There are 21 Nos of Court Cases against the Company which is pending as on 31-03-2017 Details are as under : All cases are civil in nature

No of Cases	Particulars	Forum
12	Land Acquisition	High Court of Kolkata
1	Land Acquisition	Howrah District Court
2	Environment	National Green Tribunal, Kolkata
6	Misc	High Court of Kolkata

Notes to the Financial Statements (contd.)

27 There is no due payable as on 31st March 2017 to any Micro, Small and Medium Enterprises nor are there are other parties that are required to be disclosed under the Companies Act, 2013 and Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

28 EMPLOYEE BENEFIT PLANS

The details of various employee benefits provided to employees are

A. Defined Contribution Plan

The defined benefit plan of the company includes entitlement of gratuity for each year of service until the retirement age. This plan typically exposes the company to actuarial risks such as : Investment risk, longevity risk and salary risk. The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of the defined benefit obligation were carried out as at March 31, 2017 by Mr. Bhudev Chatterjee M.Sc., Fellow of Institute of Actuaries of India. The present value of the defined benefit obligation, and the related current service cost, were measured using the project unit credit method.

Gratuity

The principal assumption used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:

Principal assumptions	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016
Discount rate	7.50%	8.00%
Future salary increase	6.00%	6.00%
Average expected future service (remaining working life)	22 years	9 years
Mortality Table	IALM 2006-2008	IALM 2006-2008
Superannuation at age- Male	60 years	60 years
Superannuation at age- Female	60 years	60 years
Early Retirement & Disablement (All causes combined)	.100%	.100%
Above Age 45	.06%	.06%
Between age 29-45	.03%	.03%
Below Age 29	.01%	.01%
Voluntary retirement	Ignored	Ignored

Movement in the present value of the Obligation are as follows:

Particulars	For the year ended March 31, 2017	For the year ended March 31, 2016
Present valuation of obligation as on the last valuation	5,71,242	6,31,045
Current service cost	2,02,809	1,22,085
Interest Cost	42,843	50,484
Actuarial (gain)/losses arising due to change in financial Assumption	71,282	-
Actuarial (gain)/losses arising due to change in Demographic assumption	Nil	Nil
Actuarial (gain)/losses arising on obligation due to Unexpected Experience	(35,579)	(2,32,372)
Benefits Paid	-	-
Present value of obligation as on valuation date	8,52,597	5,71,242

Amount recognized in the statement of Profit & loss



Notes to the Financial Statements (contd.)

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016
Current Service Cost	2,02,809	1,22,085
Past Service Cost	-	-
Net Interest Cost	42,843	50,484
Net Actuarial Gail loss applicable only for the last year	-	-
Benefits Cost (Expenses recognized in the Profit/loss)	2,45,652	1,72,569

Table showing amount recognized in Other Comprehensive Income

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016
Actuarial gain/(loss) on obligation due to change in Financial Assumption	71,282	-
Actuarial gain/(loss) on obligation due to change in Demographic Assumption	-	-
Actuarial gain/loss on obligation due to unexpected experiance	(35,579)	(2,32,372)
Total Actuarial Gain /Loss	(35,703)	(2,32,372)
Balance at the end of the Period	35,703	(2,32,372)
Net (Income)/ Expenses for the Period Recognized in OCI	35,703	(2,32,372)

Leave Encashment

The principal assumption used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:

Principal assumptions	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016
Discount rate	7.50%	8.00%
Future salary increase	6.00%	6.00%
Average expected future service (remaining working life)	22 years	9 years
Mortality Table	IALM 2006-2008 Ultimate	IALM 2006-2008
Superannuation at age- Male	60 years	60 years
Superannuation at age- Female	60 years	60 years
Rate of Attrition	1.00%	1.00%
Voluntary retirement	Ignored	Ignored

Movement in the present value of the Obligation are as follows:

Particulars	For the year ended March 31, 2017	For the year ended March 31, 2016
Present valuation of obligation as on the last valuation	7,56,935	8,54,585
Current service cost	1,76,301	1,07,316
Interest Cost	56,770	54,796
Actuarial (gain)/losses arising due to change in financial Assumption	1,03,172	2,33,893
Actuarial (gain)/losses arising due to change in Demographic assumption	Nil	Nil
Actuarial (gain)/losses arising on obligation due to Unexpected Experience	1,80,288	2,33,893
Benefits Paid	Nil	3,39,276
Present value of obligation as on valuation date	12,73,466	7,56,935



Notes to the Financial Statements (contd.)

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016
Current Service Cost	1,76,301	1,07,316
Past Service Cost	-	-
Net Interest Cost	56,770	54,796
Net Actuarial Gail loss applicable only for the last year	2,83,460	79,514
Benefits Cost (Expenses recognized in the Profit/loss)	5,16,531	241,626

29 Earnings Per Share

EARNING PER SHARE		For the year ended March' 2017	For the year ended March' 2016
Basic earning per share (Rs.)		0.31	0.33
Profit for the year as per statement of Profit & Loss		28,86,93,543	28,99,76,344
Weighted average number of equity shares for the purpose of basic earning per share		92,29,65,753	87,89,24,658
Basic earning per share		0.31	0.33
Opening Share Capital - Nos		88,55,00,000	58,55,00,000
Closing Share Capital - Nos		1,06,05,00,000	88,55,00,000
Nos of Shares	Days	Weighted Nos of Shares as on 31-03-2017	Weighted Nos Shares as on 31-03-2016
88,55,00,000	365	3,23,20,75,00,000	2,13,70,75,00,000
10,00,00,000	88	8,80,00,00,000	1,07,10,00,00,000
7,50,00,000	65	4,87,50,00,000	-
Total (A)		3,36,88,25,00,000	3,20,80,75,00,000
Weighted No of Shares =(A)/365		92,29,65,753	87,89,24,658

30 RELATED PARTY DISCLOSURE UNDER IND AS 24

a) Related Party Disclosure

Name of the Key Managerial Person	Nature of Relationship
Shri Mool Chand Chauhan	Chairman
Shri Satish Kumar	Managing Director
Shri Kailash Kumar Agarwal	Director
Shri Mukund Kumar Sinha	Director
Smt. Jhanja Tripathy	Director
Shri Alapan Bandyopadhyay, IAS	Director
Shri Nagsen Moreshwar Dhoke	Director
Shri Anup Kumar Kundu	Director
Shri Parashuram Singh	Director
Dr. S. K. Panday	Director



Notes to the Financial Statements (contd.)

b) Transaction with the Key Management Personnel during the year/period

Particulars	Nature of Transaction	For the year ended March 31, 2017	For the year ended March 31, 2016
Shri Satish Kumar	Remuneration	2,55,750	-
Shri Anup Kumar Kundu	Remuneration	5,13,461	-
Shri Parashuram Singh	Remuneration	2,52,878	-
Dr. S. K. Panday	Remuneration	3,30,980	-

c) Balance outstanding at the year end

Particulars	Nature of Transaction	For the year ended March 31, 2017	For the year ended March 31, 2016
Shri Satish Kumar	Remuneration	20,000	-
Shri Anup Kr Kundu	Remuneration	31,000	-
Shri Parashuram Singh	Remuneration	16,000	-
Dr. S. K. Panday	Remuneration	-	-

31 FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The company undertakes transactions denominated in foreign currencies: like Advances to Contractors, Construction expenditure, Bank charges (Tokyo) and Travelling expenses, consequently, exposures to exchange rate fluctuations arises. The total amount of transaction expended by the Company during the reporting period are as follows:

Particulars	For the year ended March 31, 2017	For the year ended March 31, 2016
Advances to Contractors		
- EURO	33,09,581	-
- YEN	30,01,22,264	-
Construction Expenditure		
- EURO	26,39,224	2,35,008
- YEN	1,26,05,134	-
- AUD	-	77,070
Bank Charges (Tokyo)		
- YEN	30,38,685	7,79,402
Travelling Expenses		
- USD	12,735	16,387

32 Fair Value Measurements

Fair value of Financial Assets and Liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset and paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants.

Cash and Cash Equivalents, Loans, Other Current Financial Assets and Liabilities approximate their carrying amounts largely due to their short maturities of these instruments.

Management uses their best judgement in estimating the fair value and its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented are not necessarily indicative of all the amounts that the Company could have realized or paid in sale transactions as of

Notes to the Financial Statements (contd.)

respective dates. As such, the fair value of the financial instruments subsequent to the respective reporting dates may be different from the amounts reported at the end of the each year/period end.

33 The details of disputed service tax and income tax dues as on 31st March 2017, which have not been deposited or deposited under protest are as follows :

Name of the statute	Nature of dues	Amount (in Rs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Income Tax	11,31,842	AY 2010-11	Appellate Tribunal 'C' Bench
Income Tax Act, 1961	Income Tax	36,25,100	AY 2011-12	Appellate Tribunal 'B' Bench
Income Tax Act, 1961	Income Tax	279,075	AY 2014-15	CIT (Appeals), Kolkata
Finance Act, 1994	Service Tax	18,54,944	FY 2009-10 to 2012-13	Appellate Authority Commissioner Appeals (11), Central Excise
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	12,647	FY 2016-17	Total Defaults as per TRACES
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	3,219	FY 2015-16	
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	1,05,893	FY 2013-14	
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	12,28,394	FY 2008-09 to FY 2012-13	



Notes to the Financial Statements (contd.)

34 FIRST TIME IND -AS ADOPTION RECONCILIATIONS

34.1 Effect of Ind AS Adoption on the balance sheet as at March 31, 2016 and April 1, 2015

Particulars	Note	As at April 1 , 2015 (Amount in ₹)		
		Previous GAAP	Effect of Transition to IND AS	As per IND AS Balance Sheet
ASSETS				
Non-Current Assets :				
(a) Property, Plant and Equipment	a	446,706,654	2,098,783	444,607,871
(b) Capital Work-in- Progress	b	16,935,914,571	(2,084,310)	16,937,998,881
(c) Investment Property		-	-	-
(d) Financial Assets		-	-	-
(i) Investments		-	-	-
(ii) Trade receivables		-	-	-
(iii) Loans		-	-	-
(iv) Other Financial Assets		5,316,211	-	5,316,211
(e) Provisions Income Tax		-	-	-
(f) Other Non-Current Assets	c	1,790,362,695	576,481	1,789,786,214
Current Assets :				
(a) Inventories		-	-	-
(b) Financial Assets		-	-	-
(i) Investments		-	-	-
(ii) Trade Receivables		-	-	-
(iii) Cash and Cash Equivalents		6,277,728,528	-	6,277,728,528
(iv) Bank Balance other than (iii) above		-	-	-
(v) Loans		-	-	-
(vi) Other financial assets		180,022	-	180,022
(c) Current Tax Assets (net)	d	(4,739,494)	(590,954)	(4,148,540)
TOTAL ASSETS		25,451,469,187	-	25,451,469,187
EQUITY AND LIABILITIES				
EQUITY :				
(a) Equity Share Capital		5,855,000,000	-	5,855,000,000
(b) Other Equity	e	3,000,000,000	(1,950,000,000)	4,950,000,000
LIABILITIES :				
Non-Current Liabilities :				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	f	12,609,807,637	1,950,000,000	10,659,807,637
(ii) Trade Payables		-	-	-
(iii) Other Financial Liabilities (other than those specified in item (b), to be specified		1,965,756,893	-	1,965,756,893
(b) Provisions		1,485,630	-	1,485,630
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-	-
(d) Other Non-Current Liabilities		1,115,585,188	-	1,115,585,188
Current Liabilities :				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings		-	-	-
(ii) Trade Payables		-	-	-
(iii) Other Financial Liabilities (other than those specified in item (b), to be specified		-	-	-
(b) Other Current Liabilities		903,833,839	-	903,833,839
(c) Provisions		-	-	-
(d) Current Tax Liabilities (Net)		-	-	-
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		25,451,469,187	-	25,451,469,187

Notes to the Financial Statements (contd.)
34.2 Effect of Ind AS Adoption on the balance sheet as at March 31, 2016 and April, 2015 (Contd.)

Particulars	Note	As at April 1, 2016 (Amount in ₹)		
		Previous GAAP	Effect of Transition to IND AS	As per IND AS Balance Sheet
ASSETS				
Non-Current Assets :				
(a) Property, Plant and Equipment		466,014,181	-	466,014,181
(b) Capital Work-in- Progress	g	18,182,047,016	290,208,716	18,472,255,732
(c) Financial Assets		-	-	-
(i) Investments		-	-	-
(ii) Trade Receivables		-	-	-
(iii) Loans		-	-	-
(iv) Others (to be specified)		5,267,158	21,748	5,288,906
(d) Income Tax (net)		-	-	-
(e) Other Non-Current Assets		2,535,108,001	-	2,535,108,001
Current Assets :				
(a) Inventories		-	-	-
(b) Financial Assets		-	-	-
(i) Investments		-	-	-
(ii) Trade Receivables		-	-	-
(iii) Cash and Cash Equivalents		6,336,578,878	-	6,336,578,878
(iv) Bank Balance other than (iii) above		-	-	-
(v) Loans		-	-	-
(vi) Others (to be specified)		250,866	(21,748)	229,118
(c) Current Tax Assets (net)	h	118,270,213	(48,773,327)	69,496,886
(d) Other Current Assets		-	-	-
TOTAL		27,643,536,312	241,435,389	27,884,971,702
EQUITY AND LIABILITIES				
EQUITY :				
(a) Equity Share Capital		8,855,000,000	-	8,855,000,000
(b) Other Equity	i	1,000,000,000	2,479,535,389	3,479,535,389
LIABILITIES :				
Non-Current Liabilities :				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	j	13,935,967,784	(2,238,100,000)	11,697,867,784
(ii) Trade Payables		-	-	-
(iii) Other Financial Liabilities (other than those specified in item (b), to be specified)		2,120,816,438	-	2,120,816,438
(b) Provisions		1,328,177	-	1,328,177
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-	-
(d) Other Non-Current Liabilities		863,982,936	-	863,982,936
Current Liabilities :				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings		-	-	-
(ii) Trade Payables		-	-	-
(iii) Other Financial Liabilities (other than those specified in item (b), to be specified)		-	-	-
(b) Provisions		-	-	-
(c) Other Current Liabilities		866,440,977	-	866,440,977
TOTAL		27,643,536,312	241,435,389	27,884,971,701



Notes to the Financial Statements (contd.)

34.3 Reconciliation of total Equity as at March 31,2016 and April 1, 2015

Particulars	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Total Equity under Previous GAAP	8,855,000,000	5,855,000,000
Other Equity		
Impact of Reclassification as per INDAS		
Share Application Money Pending Allotment	1,000,000,000	3,000,000,000
Interest Free Subordinate Debt	2,238,100,000	1,950,000,000
	3,238,100,000	4,950,000,000
Restatement of Profit & Loss Account due to Change in Accounting Policy		
Restated Profit transferred from Pre Operative Expenditure	241,203,017	-
Other Comprehensive Income	232,372	-
	241,435,389	-
Total Equity as per Ind AS	12,334,535,389	10,805,000,000

34.4 Effect of Ind AS Adoption on the profit & loss for the period ended March 31, 2016

Particulars	Note	Year ended March, 31, 2016 (Amount in ₹)		
		Previous GAAP	Effect of Transition to IND AS	As per IND AS Statement of Profit & Loss A/c
Revenue :				
Revenue From Operations		-	-	-
Other Income	k	347,693,135	515,089	347,178,046
Total Revenue		347,693,135	515,089	347,178,046
Expenses :				
Employee Benefits Expense	j	30,056,170	(359,519)	30,415,689
Finance Costs	k	146,404,445	146,404,445	-
Depreciation and Amortization Expense		5,618,573	-	5,618,573
Other Expenses	l	24,856,857	3,689,417	21,167,440
Prior Period Expenses	m	(106,528,982)	(106,528,982)	-
Total Expenses		100,407,063	43,205,361	57,201,702
Profit Before Tax		247,286,073	(42,690,272)	289,976,344
Tax Expense:				
Current Tax		-	(48,773,327)	48,773,327
Deferred Tax		-	-	-
Profit for the period		247,286,073	6,083,055	241,203,017
Less: Capitalised to Capital Work In Progress		247,286,073	-	-
Profit available		-	-	-
Other Comprehensive Income				
Item that will not be reclassified subsequently to profit & loss		-	-	-
Re- Measurement gains/(losses) on Gratuity Plan		-	(232,372)	232,372
Total Other Comprehensive income, net of tax		-	-	-
Total Comprehensive income for the period		-	5,850,683	241,435,389

Notes to the Financial Statements (contd.)
34.5 Reconciliation of Total Comprehensive Income for the year ended March 31, 2016

PARTICULARS	For period ended March 31,2016
Profit as per Previous GAAP	-
Net of Income over Expenses reclassified to Profit & Loss due to Change in Accounting Policy	289,976,344
Provision for Tax	(48,773,327)
Reclassification of actuarial (gain)/loss in respect to Gratuity to Other Comprehensive Income	232,372
Total Comprehensive Income as reported under Ind AS	241,435,389

Under Previous GAAP, Total Comprehensive Income was not reported. Therefore, the above reconciliation starts with Profit under Previous GAAP

34.6 Adjustment to Cashflow Statement

There were no material differences between the Statement of Cash Flows presented under the AS and the previous GAAP.

35 SPECIFIED BANK NOTES (SBN)

The Company does not maintain any cash balance. Therefore the disclosure in respect of Specified Bank Notes held and transacted during the period from 08/11/2016 to 31/12/2016 is not required to be given.

36 There are instances of delay in payment released to General Consultants appointed by the Company in violation of terms and conditions with them. No provision for any penal interest on such delay in payment as there is remote chance of such claims being raised.

37 There is no Segment Reporting Activities

38 The company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

39 Debit / credit balances of parties are subject to confirmation and reconciliation

40 Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/disclosure.

41 Notes 1 to 41 form an integral part of the Balance Sheet and Statement of Profit & Loss and have been duly authenticated.

Signature to Notes 1 to 41

In terms of our report attached.

For S.K. Naredi & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 003333C

Abhijit Bose
Partner
Membership No. 056109

Place : Kolkata
Date : 20.09.2017

For and on behalf of the Board of Directors

Sudhir Agrawal
Managing Director
DIN 07921451

H. K. Sahu
Director (Finance)
DIN 05174575

D. Nandi
Chief Financial Officer

S. N. Mukherjee
Company Secretary



Headwise reconciliation of each Group

Note No	Particulars	IGAAP April 1 2015	INDAS April 1 2015
a	Property Plant & Equipment	446,706,654	
	Depn. - prior period Adj FY 2016-17	2,098,783	
	Property Plant & Equipment	444,607,871	444,607,871

Note No	Particulars	IGAAP April 1 2015	INDAS April 1 2015
b	Capital Work In Progress	16,935,914,571	
	Net Pre operative exps Increase		
	Depn. - prior period Adj FY 2016-17	2,098,783	
	Intt Income on FBT AY 2009-10	-14,473	
		2,084,310	
		16,937,998,881	16,937,998,881

Note No	Particulars	IGAAP April 1 2015	INDAS April 1 2015
c	Other Non Current Assets	1,790,362,695	
	reclassification of Non Current Income Tax to Non Current Asset		
		-576,481	
	Closing Balance	1,789,786,214	1,789,786,214

Note No	Particulars	IGAAP April 1 2015	INDAS April 1 2015
d	Provisions Income Tax	-4,739,494	
	Reclassification of Non Current Income Tax to Non Current Asset		
	Prior Period Adj	576,481	
	Intt Income on FBT AY 2009-10	14,473	
	Closing Balance	-4,148,540	-4,148,540

Note No	Particulars	IGAAP April 1 2015	INDAS April 1 2015
e	Other Equity	3,000,000,000	
	Interest Free Sub Debt	1,950,000,000	
	Closing Balance	4,950,000,000	4,950,000,000

Note No	Particulars	IGAAP April 1 2015	INDAS April 1 2015
f	Borrowings	12,609,807,637	
	Less : Interest Free Sub Debt	1,950,000,000	
	Closing Balance	10,659,807,637	10,659,807,637

Headwise Reconciliation of each Group

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
g	Capital Work in Progress	18,182,047,016	
	Profit & Loss before Tax	289,976,344	
	Gratuity OCI	232,372	
		290,208,716	
	CWIP Closing Balance	18,472,255,732	18,472,255,732

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
h	Current Tax Asset Net		
	Opening Balance	118,270,213	
	Prov for Income Tax FY 2015-16 now made	48,773,327	
	Closing Balance	69,496,886	69,496,886

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
i	Other Equity	1,000,000,000	
	Interest Free Sub Debt	2,238,100,000	
	Profit 2016 trf from Pre operative Exp	290,208,716	
	Prov for Tax made in CY	-48,773,327	
		2,479,535,389	
	Closing Balance	3,479,535,389	3,479,535,389

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
j	Borrowings	13,935,967,784	
	Less : Interest Free Sub Debt	-2,238,100,000	
	Closing Balance	11,697,867,784	11,697,867,784

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
k	Other Income	347,693,135	
	Transferred to Pre Operative Exps		
	Sale of Tender Forms	-452,000	
	regroup to Salaries	-59,803	
	Interest on FD - Regroup from prior period	-3,286	
		-515,089	
	Closing Balance	347,178,046	347,178,046



Headwise Reconciliation of each Group

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
l	Employee Benefit Exps	30,056,170	
	Gratuity Transferred to OCI	232,372	
	Rent leased Accomodation - other exps	186,950	
	Regroup - Earlier Year Gratuity written back trf from Other Income	-59,803	
	Closing Balance	30,415,689	30,415,689

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
m	Finance Cost	146,404,445	
	Regroup to Other exps	-60,417	
		-146,344,028	
	Trf to Pre Operative Exp	-146,404,445	-

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
n	Other Expenses	24,856,857	
	Regroup from Finance cost	60,417	
		<u>24,917,274</u>	
	Reclassified to Salary - Rent leased accomodation	-186,950	
	Reclassified to Pre Operative Exps	-3,562,882	
	Closing Balance	21,167,442	21,167,440

Note No	Particulars	IGAAP March 31, 2016	INDAS March 31, 2016
o	Prior Period Expenses	106,528,982	
	Regrouped		
	FD Interest -	-3,286	FD Interest Decrease
	Depreciation Adjustment FY 13-14 & 14-15	-2,098,783	PPE Gross Block 1-4-15 Decrease
	Intt Income on FBT AY 2009-10	14,473	Provisions Income Tax 1-4-15 Decrease
	Prior Period Provision Tax Written off trfd to Pre op	108,616,578	
		106,528,982	
	Closing Balance	-	-

विषय-सूची

1. निदेशक मण्डल	...	3
2. वार्षिक साधारण बैठक की सूचना	...	7-10
3. निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	...	13-28
4. निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन	...	29-34
5. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	...	35-37
6. डी. राउत एण्ड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र दिनांक 27.12.2017	...	38
7. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डी. राउत एण्ड एसोसिएट्स का)	...	39-41
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	...	43-44
9. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	...	47-52
10. वार्षिक लेखा	...	54-88



KMRC

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कम्पनी सचिव

श्री एस. एन. मुखर्जी

पंजीकृत कार्यालय

केएमआरसीएल भवन (एचआरबीसी कार्यालय परिसर)

मुंशी प्रेमचन्द्र सरणी, कोलकाता-700021

टेलीफोन नं.: 033 2213 4345

फैक्स नं.: 2213 4380

वेबसाइट : www.kmrc.in

सांविधिक लेखा परीक्षक

सर्वश्री एस. के. नरेडी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

ग्राउण्ड फ्लोर, अप्सरा अपार्टमेण्ट्स

67, पार्क स्ट्रीट

कोलकाता-700016

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा, कोलकाता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धर्मतल्ला शाखा, कोलकाता



निदेशक मण्डल

1.	श्री अजय विजयवर्गीय	अध्यक्ष (दिनांक 31.10.2017 से)
2.	श्री मूल चंद चौहान	अध्यक्ष (दिनांक 26.07.2016 से 08.05.2017 तक)
3.	श्री विश्वेश चौबे	अध्यक्ष (दिनांक 09.05.2017 से 30.10.2017 तक)
4.	श्री सतीश कुमार	प्रबंध निदेशक (दिनांक 16.03.2016 से 31.07.2017 तक)
5.	श्री सुधीर अग्रवाल	प्रबंध निदेशक (दिनांक 01.08.2017 से 31.10.2017 तक)
6.	श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	निदेशक
7.	श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	निदेशक
8.	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	निदेशक
9.	श्री आलापन बंद्योपाध्याय, आईएएस	निदेशक
10.	श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक
11.	श्री हरेकृष्ण साहु	निदेशक (वित्त) (दिनांक 10.05.2017 से)
12.	डॉ. समरेश कांति पाण्डेय	निदेशक (वित्त) (दिनांक 20.03.2017 तक)
13.	श्री अनूप कुमार कुण्डू	निदेशक (आरएस एवं टी)
14.	श्री मानस सरकार	निदेशक (परियोजना एवं योजना) (दिनांक 10.11.2017 से)
15.	श्री परशुराम सिंह	निदेशक (परियोजना एवं योजना) (दिनांक 30.09.2017 तक)

द्रष्टव्य: इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

सूचना

द्रष्टव्यः इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

नौवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जा रहा है कि कंपनी की नौवीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, 27 दिसम्बर 2017 को अपराह्न 4.00 बजे सम्मेलन कक्ष, रेल भवन, रायसिना रोड, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्यों के विचार-विमर्श हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (नकद प्रवाह विवरण सहित) साथ ही निदेशक मण्डल तथा स्वतंत्र (सांविधिक) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना, विचार करना तथा अपनाना।
2. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्वतंत्र (सांविधिक) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना इस संबंध में साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को संशोधन के बिना अथवा सहित पारित करना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142(1) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधान (यदि कोई हो) के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एस.के. नरेडी एण्ड कं०, सनदी लेखाकार, स्वतंत्र (सांविधिक) लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य

निम्नलिखित साधारण संकल्पों को बिना संशोधन अथवा उसके सहित पर विचार करना तथा अगर सही समझा जाय तो पारित करना :

3. संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री विश्वेश चौबे (निदेशक, पहचान सं० 00050563) की कंपनी के निदेशक मण्डल के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति 9 मई, 2017 से 30 अक्टूबर, 2017 तक एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।
4. संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री हरेकृष्ण साहु (निदेशक, पहचान सं० 05174575) की कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति 10 मई, 2017 से एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।
5. संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री सुधीर अग्रवाल (निदेशक, पहचान सं० 07921451) की कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति 1 अगस्त, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 तक एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।
6. संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री अजय विजयवर्गीय (निदेशक, पहचान सं० 08021601) की कंपनी के निदेशक मण्डल के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति 31 अक्टूबर, 2017 से एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।
7. संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री मानस सरकार (निदेशक, पहचान सं० 08011003) की कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं योजना) के रूप में नियुक्ति 10 नवम्बर, 2017 से एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ पठित के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्ति के लिए कंपनी का अनुमोदन एतद्वारा दिया जाता है, जैसा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की पत्र सं० 2014/ई(ओ)II/40/21 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के अनुसार सूचित किया गया था, श्री मानस सरकार, एसएजी/आई आर एस ई की निदेशक (परियोजना एवं योजना) के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर (बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के कैडर के मूल वेतन पर) 5 वर्षों के लिए 10 नवम्बर, 2017 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, तत्काल आत्मसात के नियमों से पद को छूट देने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी सचिव को एतद्वारा सभी ऐसे कार्य, डीड तथा चीजें करने एवं यथा आवश्यक सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, व्यवहार करने एवं इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

नई दिल्ली

27 दिसम्बर, 2017

द्रष्टव्य :

1. एक सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए पात्र है, वह अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र होगा। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सियों का प्रभावशाली होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के समय से 48 घण्टे से पहले पहुँचना आवश्यक है।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष कार्य से संबंधित आइटमों की तालिका संलग्न है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसरण में अल्प सूचना के द्वारा बैठक आयोजित की जा रही है तथा सदस्यों से सहमति प्राप्त की जा रही है।
4. कंपनी द्वारा इसकी ओर से किए गए आवेदन के अनुसरण में कंपनियों के पंजीयक, पश्चिम बंगाल ने अपने आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2017 के द्वारा वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के लिए 28 दिसम्बर, 2017 तक यानी तीन-तीन महीने की समय वृद्धि स्वीकृत की जाती है।
5. कंपनी द्वारा इसकी ओर से किए गए आवेदन के अनुसरण में केन्द्र सरकार (निगमित कार्य मंत्रालय) ने नई दिल्ली में वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने का अनुमोदन पत्र दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के अनुसार दे दिया है।



कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विशेष कार्यों के आइटमों के सम्बंध में विवरण, जिसे 27 दिसम्बर, 2017 को आयोजित होने वाली नौवीं वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के संबंध में नोटिस में तय किया गया है।

आइटम सं० 3

श्री विश्वेश चौबे 9 मई, 2017 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता का कार्यभार संभाल लिया है। तदनुसार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की पत्र सं० 2012/प्रोजे./केएमआरसीएल/21/4/पीटी. दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अनुसार वे कंपनी के निदेशक मण्डल के अंशकालीन अध्यक्ष उस तारीख से बन गए हैं। वे 30 अक्टूबर, 2017 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के रूप में कार्यभार से मुक्त हो गए हैं और अध्यक्ष नहीं रहे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) में बताया गया है कि बचत जैसा कि उसमें अन्यथा न प्रावधान किया गया हो प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा साधारण बैठक में की जाएगी।

सूचना के आइटम सं० 3 के अधीन निर्धारित सामान्य संकल्प को इस उद्देश्य के लिए रखा गया है।

कोई निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार इसमें संबद्ध या दिलचस्पी रखने वाले नहीं हैं।

रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि सदस्यों के अवलोकन हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक उपलब्ध है तथा बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

आइटम सं० 4

भारत सरकार के रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की पत्र सं० 2014/ई(ओ)II/40/8 दिनांक 9 मई, 2017 के अनुसार कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त चार्ज अंशकालीन आधार पर श्री हरेकृष्ण साहु, आई आर ए एस, मेट्रो रेलवे, कोलकाता को अतिरिक्त चार्ज संभालने की तारीख से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए पद के भरे जाने तक अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रदान किया जाता है।

श्री साहु ने 9 मई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाल लिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) में बताया गया है कि बचत जैसा कि उसमें अन्यथा न प्रावधान किया गया हो प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा साधारण बैठक में की जाएगी।

सूचना के आइटम सं० 4 के अधीन निर्धारित सामान्य संकल्प को इस उद्देश्य के लिए रखा गया है।

श्री साहु को संकल्प में दिलचस्पी रखने वाला या संबद्ध माना जाय। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार इसमें संबद्ध या दिलचस्पी रखने वाले नहीं हैं।

रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि सदस्यों के अवलोकन हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक उपलब्ध है तथा बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

आइटम सं० 5

भारत सरकार के रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र सं० 2014/ई(ओ)II/40/8 दिनांक 31 जुलाई, 2017 के अनुसार कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर अग्रवाल, आईआरएसई, पूर्व रेलवे को अंशकालीन आधार पर अपने स्वयं के अतिरिक्त अंतरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 1 अगस्त, 2017 से नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए पद के भरे जाने तक या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रदान किया जाता है।

श्री अग्रवाल ने 1 अगस्त, 2017 से प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया है।

तत्पश्चात, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की पत्र सं. 2014/ई(ओ)II/40/8 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के अनुसार कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त चार्ज 1 अगस्त, 2017 से तीन महीने की अवधि के लिए देने का अनुमोदन सूचित किया है, जो पद पर नियमित व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

अतः श्री अग्रवाल 1 नवम्बर, 2017 से प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) में बताया गया है कि बचत जैसा कि उसमें अन्यथा न प्रावधान किया गया हो प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा साधारण बैठक में की जाएगी।

सूचना के आइटम नं० 5 के अधीन निर्धारित सामान्य संकल्प को इस उद्देश्य के लिए रखा गया है।

कोई निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार इसमें संबद्ध या दिलचस्पी रखने वाले नहीं हैं। रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि सदस्यों के अवलोकन हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक उपलब्ध है तथा बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

आइटम सं० 6

श्री अजय विजयवर्गीय ने 30 अक्टूबर, 2017 (अपराह्न) से महाप्रबंधक मेट्रो रेलवे, कोलकाता का कार्यभार संभाल लिया है। तदनुसार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की पत्र सं. 2012/प्रोजे./केएमआरसीएल/21/4/pt. दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अनुसार वे कंपनी के निदेशक मण्डल के अंशकालीन अध्यक्ष 31 अक्टूबर, 2017 से बन गये हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) में बताया गया है कि बचत जैसा कि उसमें अन्यथा न प्रावधान किया गया हो प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा साधारण बैठक में की जाएगी।

सूचना के आइटम नं० 6 के अधीन निर्धारित सामान्य संकल्प को इस उद्देश्य के लिए रखा गया है।

श्री विजयवर्गीय को संकल्प में दिलचस्पी रखने वाला या संबद्ध माना जाय। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उसमें दिलचस्पी रखने वाले नहीं हैं।

आइटम सं० 7

भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र सं. 2014/ई/(0)II/40/21 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के अनुसार श्री मानस सरकार, एसएजी/आईआरएसई की प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक (परियोजना एवं योजना) के पद पर (बिना किसी प्रतिनियुक्त भत्ता के कैंडिडेट के मूल वेतन पर) पांच वर्षों के लिए नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित किया है, जो उनके कार्यभार संभालने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति तक, तत्काल आत्मसात के नियमों से पद के छूट तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

श्री सरकार, जिनकी आयु 55 वर्ष है, भारतीय रेल के एक अधिकारी हैं तथा सिविल इंजीनियरिंग मामले में काफी अनुभव रखते हैं। उन्होंने निदेशक (परियोजना एवं योजना) पद का कार्यभार 10 नवम्बर, 2017 (पूर्वाह्न) से संभाल लिया है।

तदनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") ने श्री सरकार की नियुक्ति पूर्णकालिक निदेशक के रूप में की है तथा 10 नवम्बर, 2017 से निदेशक (परियोजना एवं योजना) के रूप में पदनामित किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में बताया गया है कि बचत जैसा कि उसमें अन्यथा न प्रावधान किया गया हो, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा साधारण बैठक में की जाएगी।

अधिनियम की धारा 196 प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति को डील करती है। श्री सरकार की कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं योजना) के रूप में नियुक्ति उसकी उप धारा (3) की जरूरतों का अनुपालन है।

कंपनी के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन की आर्टिकल 130 में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए प्रावधान का उल्लेख है। उसकी शर्तों के अनुसार, बोर्ड समय-समय पर एक या अधिक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति कर सकता है और उन्हें कार्यकारी निदेशक, तकनीकी निदेशक, वित्त निदेशक आदि के रूप में पदनामित कर सकता है, उन शर्तों पर जिसे उचित माना जाय, उसके या उनके एवं कंपनी के बीच किसी करार के प्रावधानों के अधीन, कार्यालय से उसे या उन्हें बरखास्त करने या हटाने तथा उसके या उनके स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति करने की शर्तों पर। पूर्णकालिक निदेशक सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे, जब वे कार्यालय में बने रहना जारी कर रहे हों।

सूचना के आइटम नं 7 के अधीन निर्धारित सामान्य संकल्प को इस उद्देश्य के लिए रखा गया है।

श्री सरकार को संकल्प में दिलचस्पी रखने वाला या संबद्ध माना जाय। कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उसमें दिलचस्पी रखने वाले नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि सदस्यों के अवलोकन हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक उपलब्ध है तथा बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

द्रष्टव्यः इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अंकेक्षित लेखा विवरण के साथ 9वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं साथ में सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय खास बातें

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर परियोजना के क्रियान्वयन में लगी रही, जो कि पूर्व में सॉल्टलेक सेक्टर-V को पश्चिम में हावड़ा मैदान से जोड़ने वाली एक रेल आधारित मास तीव्र परिवहन प्रणाली है।

शुद्ध व्यय (31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण बनाने वाले अंश “लाभ व हानि विवरण” के अनुसार) रु. 1619.02 लाख उस तारीख के तुलन-पत्र में “अन्य इक्विटी” शीर्ष के अधीन “आरक्षित एवं अतिरेक” में अंतरित किया गया है।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था।

परियोजना की स्थिति

जैसा कि विगत रिपोर्टों में बताया गया है भारत सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2012 को निश्चय किया कि “ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना” रेल मंत्रालय को अंतरित कर दी जाएगी तथा केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। रेल मंत्रालय के पास 74% शेयर होगा तथा शहरी विकास मंत्रालय के पास शेष 26% इक्विटी। सभी शेयर कंपनी में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा धारित, रेल मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। शहरी विकास मंत्रालय का नाम फिर से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कर दिया गया है (इसके बाद आवा, एवं श. का. मंत्रालय कहा गया है)।

भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि कंपनी परियोजना क्रियान्वयन इकाई के रूप में काम करना जारी रखेगी, जबतक कि परियोजना क्रियान्वयन का कार्य पूरा न हो जाय। तथापि, भारत सरकार कंपनी के सभी शेयर रखेगी तथा परियोजना के पूरा होने के बाद एकीकृत नियंत्रण के अधीन उत्तर दक्षिण कॉरीडोर के साथ चलेगी।

परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है- प्रथम चरण में सॉल्ट लेक सेक्टर V से फूलबगान तक तथा द्वितीय चरण में फूलबगान से हावड़ा मैदान तक। प्रथम चरण (7.27 किमी.) के जून 2018 तक तथा द्वितीय चरण (9.28 किमी.) के दिसम्बर 2020 तक चालू होने का लक्ष्य है। भूमिगत प्रणाली के क्रियान्वयन किसी और विलंब के मामले में एलेवेटेड अंश की शुरुआत कम से कम निर्धारित समय यानी जून 2018 में लक्षित है।

महाकरण एवं सेन्ट्रल स्टेशन में जमीन अधिग्रहण तथा पुनर्वास से जुड़े मसले के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वितीय चरण में मार्ग के पुनर्व्यवस्थापन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन एस्प्लानेड होकर गुजरेगा, जहाँ कॉरीडोर वर्तमान उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर तथा साथ ही जोका-एस्प्लानेड मेट्रो लाइन के साथ इंटरफेश करेगा। मेगा बस टर्मिनस के साथ एस्प्लानेड कोलकाता के सेण्ट्रल हब में अवस्थित होने के कारण यह पुनर्व्यवस्थापित मार्ग बेहतर संयुक्तता तथा यात्रा प्रदान करेगा।

इस प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन से सियालदह एवं हावड़ा के बीच 1.878 किमी. की दूरी बढ़ जाएगी और महाकरण स्टेशन को लालदीघी के सामने दक्षिण में 0.477 मीटर हटाने की जरूरत होगी। इसप्रकार रूट की लंबाई 16.55 किमी. हो जाएगी, जिसमें 5.74 किमी. एलेवेटेड अंश होगा और 10.81 किमी. भूगर्भ कॉरीडोर। एलेवेटेड 6 स्टेशन होंगे और भूगर्भ में 6 स्टेशन। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संशोधित मार्ग में कोई जमीन अधिग्रहण और/या प्रमुख पुनर्वास का मसला उपस्थित नहीं होगा।

माननीय रेल मंत्री ने (अगस्त 2015 में) घोषित किया है कि परियोजना का क्रियान्वयन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन मार्ग से किया जाएगा और इस संबंध में समस्त खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

दूसरे चरण का कार्य, जो कि दिसम्बर 2012 से रुका हुआ था, एलाइनमेंट जनित अनिश्चयता के कारण रुक जाने की वजह से सितम्बर 2015 में फिर से शुरू हुआ।

बाद में पुनर्व्यवस्थापन के कारण क्रियान्वयन में अतिरिक्त खर्च की वजह से परियोजना की लागत बढ़ गयी। अन्य कारण थे क्रियान्वयन में विलंब के कारण मेट्रो क्षेत्र में विपणन डायनामिक्स में परिवर्तन तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा का उतार-चढ़ाव। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने (2015-16 के दौरान) एक संशोधित परियोजना लागत रु. 8996.96 करोड़ रेल मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया। रेल मंत्रालय द्वारा समीक्षा के उपरान्त उसे घटाकर रु. 8416.01 करोड़ (स्वीकृत लागत रु. 4874.58 करोड़ के विरुद्ध) कर दिया गया। वह अभी रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

“ईस्ट-वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट” एक अनोखे प्रकार की रेल परियोजना है, जिसमें भूगर्भ सुरंग हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी, जो कि देश में इसप्रकार का पहला महत्वाकांक्षी प्रयास है। कोलकाता की नरम जमीन द्वारा सामना की जा रही अनोखी चुनौती तथा घनी आबादी वाला शहरी वातावरण का समाधान अर्थ प्रेसर बैलेंसिंग टनेल बोरिंग मशीन के चयन से किया जा रहा है तथा सम्यक इंजीनियर्ड टनेलिंग ऑपरेशंस द्वारा।

कंपनी द्वारा परियोजना के पूरा होने में विलंब करने वाली प्रमुख बाधाएँ, निम्नलिखित हैं जिनका सामना कंपनी द्वारा किया गया है :-

1. दत्ताबाद में जमीन की अनुपलब्धता (प्रथम चरण में),
2. सेण्ट्रल स्टेशन में पुनर्वास के मामले तथा जमीन की अनुपलब्धता (द्वितीय चरण में),
3. प्रस्तावित महाकरण स्टेशन में पुनर्वास के मामले तथा जमीन की अनुपलब्धता,
4. महाकरण स्टेशन के निर्माण में पश्चिम बंगाल सरकार से ट्रैफिक घुमाव की अनुमति की अनुपलब्धता,
5. द्वितीय चरण में एलाइनमेण्ट का निर्णय न होना,
6. जरूरत के मुताबिक कोष का प्रवाह न होना।

विलंब में योगदान करने वाले अधिकांश मामलों का समाधान कर लिया गया है।

भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की अनुमति भी तीन संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर के भीतर द्वितीय चरण में भूमिगत कॉरीडोर के निर्माण हेतु आवश्यक थी। अथक अनुनय एवं माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से एएसआई द्वारा निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गयी, वह भी इस शर्त के साथ कि स्मारकों के 100 मीटर के अंदर कोई ढांचा जमीन के ऊपर नहीं होगा।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कई रुकावटों के बावजूद ऊपरी वायडक्ट तथा साथ ही साथ भूमिगत निर्माण कार्य दोनों में युगांतकारी उपलब्धि हासिल की गयी।

पुनर्वास तथा पुनःस्थापन

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कंपनी के पास सम्यक परिभाषित पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति है। जिनकी मूल व्यवस्थापन में अनुमानित संख्या 677 है। यह संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि महाकरण एवं सेण्ट्रल स्टेशन में पुनर्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास को नीचे लिखे विवरण के अनुसार प्रस्तावित किया गया है:

- ⇒ हावड़ा मैदान में 129 दुकानों वाले सम्पूर्ण श्री मार्केट परिसर का पुनर्वास करके
- ⇒ हावड़ा मैदान क्षेत्र में बंगवासी के सामने 7 अदद वाणिज्यिक दुकानों का पुनर्वास करके
- ⇒ फूलबागान में 30 अदद अस्थायी दुकानों का निर्माण करके
- ⇒ स्थायी पुनर्वासन फ्लैटों के द्वारा स्वभूमि में 63 अदद केएमसी स्वीपर क्वार्टरों का पुनर्वास करके
- ⇒ दत्ताबाद का पुनर्व्यवस्थापन स्थायी पुनर्वासन फ्लैटों के द्वारा 80 परिवारों का पुनर्वास करके
- ⇒ सुभाष सरोवर में केआईटी स्वीपर क्वार्टरों का पुनर्वास करके।

परियोजना कार्य की प्रगति :

■ एलेवेटेड कॉरीडोर कार्य

एलेवेटेड कॉरीडोर की कुल लम्बाई है - 5.74 किमी. जिसमें शामिल हैं प्रत्येक (140मी. लम्बाई वाले 6 एलेवेटेड स्टेशन) जिसका 5.375 किमी. एलेवेटेड कॉरीडोर का कार्य पूरा हो चुका है। काफी समय से लंबित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का

मामला पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से सलट गया है। इस अंश में कार्य मई 2015 से शुरू हुआ था तथा अब पूरा हो चुका है।

सभी छ: अदद एलेवेटेड स्टेशनों का स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हो चुका है। अभी एलेवेटेड स्टेशनों की रूफिंग तथा आर्किटेक्चरल फिनिशिंग (ई एण्ड एम कार्य सहित) का कार्य चल रहा है, जिसके मार्च, 2018 तक पूरा होने की आशा है।

■ भूमिगत कार्य

इस परियोजना के भूमिगत कॉरीडोर का 10.81 किमी. मार्ग, जिसमें प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंटल टनेल लाइनर का प्रयोग करते हुए टनेल बोरिंग पद्धति के द्वारा किया जाने वाला विन टनेल शामिल है। रिटैनिंग प्रणाली के रूप में डायफ्राम का प्रयोग करते हुए “कट एण्ड कवर” तरीके से किए जाने वाले छ: भूमिगत स्टेशन होंगे।

सुभाष सरोवर से सियालदह तक प्रथम चरण में परियोजना के भूमिगत सेक्शन में अच्छी प्रगति हासिल हुई है, क्योंकि समूचे सुरंग का काम पूरा हो चुका है। एजेंसी ने दो टनेल बोरिंग मशीन लगाई है तथा छ: सफल एवं त्रुटिहीन टनेल ब्रेकथ्रू के साथ 5409 मीटर सुरंग पूरी कर दी है। टिवन टनेलों के बीच में सभी क्रॉस फैसेजों को एनएटीएम तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरा कर लिया गया है। प्रथम चरण में वाकवेज व ट्रैक बेड जोड़ने का समूचे टनेल को भी पूरा कर लिया गया है। फूलबगान एवं सियालदह में भूमिगत स्टेशनों में भी ठोस प्रगति हासिल की गयी है।

■ द्वितीय चरण में गतिरोध का समाधान :

द्वितीय चरण में टनेलिंग का कार्य दिसम्बर 2012 से एजेंसियों द्वारा रोक दिया गया था, जिसका कारण था प.बं. सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनर्व्यवस्था में परिवर्तन साथ ही साथ महाकरण एवं सेण्ट्रल स्टेशनों पर ट्रैफिक डायवर्शन की अनुमति तथा जमीन की अनुपलब्धता। पश्चिम की ओर जाने वाले टनेल की बोरिंग हावड़ा मैदान से अप्रैल 2016 से शुरू हो गयी है तथा पूर्व की ओर जाने वाली टनेल का जुलाई 2016 से।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान टनेलिंग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों सुरंगों हावड़ा रेलवे यार्ड के नीचे से पार कर गयी हैं (देश में व्यस्ततम में से एक), जिसमें रेलगाड़ी के संचालन में बिना किसी बाधा के। दोनों सुरंगों सामान्य कार्यालय के काम को प्रभावित किए बैगर हावड़ा डीआरएम कार्यालय के नीचे से भी पार कर गई हैं।

■ हुगली नदी के नीचे सुरंग

समीक्षाधीन वर्ष के अधीन 520 मीटर लम्बी हुगली नदी को पार करने की सभी तैयारियाँ कर ली गयी थीं। अप्रैल 2017 से नदी के नीचे सुरंग का काम शुरू किया गया था तथा 66 दिनों में पूरा कर लिया गया, जो कंपनी के लिए एक उल्लेखनीय सफलता है। किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे से देश की यह पहली परिवहन सुरंग है। प्रचुर चुनौतियों का समाधान सफलतापूर्वक निकाला गया।

भूमिगत सेक्शन में प्रमुख उपलब्धि :

पैकेज सं.	कुल सुरंग की लंबाई (मीटर में)	पूरी हुई सुरंग (मीटर में) 31.03.2017 तक	पूर्णता का प्रतिशत
प्रथम चरण (यूजी-2 पैकेज) सुभाष सरोवर से सियालदह	5,409	5,409	100.00
द्वितीय चरण (यूजी-2 पैकेज) सियालदह से एस्प्लानेड	4,892	नवम्बर 2016 में वैरिगेशन ऑर्डर जारी किए गए तथा 2016-17 के दौरान टनेल बोरिंग मशीनें कोलकाता पहुँचीं। मौके पर कार्य भी शुरू हो गया है।	-
द्वितीय चरण (यूजी-1 पैकेज) एस्प्लानेड से हावड़ा मैदान	7,600	2,800	36.84
कुल	17,509	8,209	46.88

- हावड़ा मैदान क्रॉस ओवर, सियालदह क्रॉस ओवर सियालदह स्टेशन तथा सुभाष सरोवर के लिए सभी डायफ्राम दीवार पैनल-कट एवं कवर तथा रैम्प स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। हावड़ा स्टेशन में डायफ्राम दीवार पैनल का कार्य प्रगति पर है।
- सियालदह क्रॉस-ओवर, फूलबगान तथा सुभाष सरोवर-कट एण्ड कवर एवं रैम्प स्ट्रक्चर-छत की स्लैब एवं आधार स्लैब ढाल दी गयी है।
- सियालदह स्टेशन एवं हावड़ा मैदान पर छत स्लैब कनकोर्स स्लैब तथा आधार स्लैब का कार्य प्रगति पर है। कार्य का ठोस अंश पूरा हो चुका है।

■ ट्रैक कार्य

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अंत तक एलेवेटेड वायडक्ट में 3.4 ट्रैक किमी. के लिए बैलास्ट रहित ट्रैक का कार्य पूरा हो चुका है। मेन लाइन तथा डिपो लाइन के सभी टर्नआउट क्रय किये गये हैं तथा डिपो में बैलास्टेड ट्रैक का कार्य भी प्रगति पर है।

■ रोलिंग स्टॉक

6 कारों वाले गठन के 14 रैकों के निर्माण, आपूर्ति एवं परीक्षण की निविदा 28 अगस्त, 2015 को खोली गयी थी। उसे बीईएमएल लि. को 15 फरवरी, 2016 को कुल लागत रु. 899.91 करोड़ पर दिया गया था। इसप्रकार प्रति कार लागत बिना कर के रु. 9.38 करोड़ आती है।

बीएमईएल लि. ने भी प्रथम चरण की शुरुआत के लिए 5 रैकों की जरूरत को पूरा करने पर राजी हो गया है। प्रथम रैक के मार्च, 2018 तक पहुँचने की आशा है।

■ विद्युत आपूर्ति

विद्युत आपूर्ति प्रणाली की प्रारंभिक डिजाइन पूरी हो चुकी है प्रथम चरण के लिए डिलिवरी योग्य तालिका के अनुसार विस्तृत डिजाइन पूरी हो चुकी है। एलेवेटेड सेक्शन तथा डिपो में सिस्टमों की स्थापना प्रगति पर है।

परियोजना के क्रियान्वयन में अस्वाभाविक विलम्ब के लिए सीमेन्स कंसोर्टियम ने लागत क्षतिपूर्ति की माँग की है। उन्होंने परियोजना के क्रियान्वयन में असाधारण विलम्ब के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए मिलान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जो कि उनके ऊपर निर्भर नहीं है। मिलान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तथा लॉर्ड कंसीलिएटर ने दोनों पार्टियों यानी कंपनी एवं सीमेन्स कंसोर्टियम की सहमति से समझौता जारी कर दिया है। समझौता जारी करने के साथ अब ठेका अगले 196 सप्ताह यानी जून, 2018 तक बढ़ा दिया गया है, एक क्षतिपूर्ति पैकेज के साथ, जो कि मूल वैधता अवधि के लिए क्षतिपूर्ति के एफआईडीआईसी फॉर्मूला पर आधारित है।

■ एसकैलेटर एवं एलेवेटर

कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के 12 स्टेशनों पर शारीरिक रूप से विकलांग एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों सहित लोगों के आसान आवागमन के सुविधार्थ नब्बे एसकैलेटरों एवं चालीस एलेवेटरों की स्थापना की जानी है। प्रथम चरण में 8 मेट्रो स्टेशनों के लिए 41 एसकैलेटरों एवं 26 एलेवेटरों की स्थापना के लिए एलओए दिसम्बर 2017 में जारी किया जा चुका है।

■ सुरंग में हवादारी प्रणाली

सुरंग हवादारी प्रणाली (टीवीएस) धुआँ के प्रवाह को नियंत्रित करने तथा आग लगने की स्थिति में सुरक्षित यात्रियों का निकलना सुनिश्चित करने एवं सुरंग एवं स्टेशन ट्रैक मार्ग में स्वीकार्य पर्यावरण की बहाली प्रदान करेगी।

समूचे कॉरीडोर के लिए टीवीएस हेतु निविदा जारी की गयी थी तथा खुली निविदा के जरिए पात्र निविदादाता की तकनीकी बोली निदेशक स्तरीय समिति द्वारा क्लीयर कर दी गयी है। वित्तीय बोली खोली जाने की प्रक्रिया में है।

■ सिग्नलिंग, टेलिकॉम तथा स्वचालित भाड़ा संग्रह (एएफसी) कार्य

सिग्नलिंग तथा टेलिकॉम के लिए प्रारंभिक डिजाइन पूरी हो चुकी है तथा उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कुछ उपकरणों का परीक्षण फैक्ट्री में किया गया है तथा वे डिलिवरी प्रक्रिया के अधीन हैं। एलेक्ट्रिक वायडक्ट में स्थापना हेतु सिग्नलिंग एवं टेलिकॉम केबल शीघ्र पहुँचने की आशा है। एएफसी कार्य के लिए निविदा पूरी हो गई है तथा ठेका सर्वश्री इंद्रा सीस्टेमास एसए (स्पेन) को दिया गया है। एएफसी कार्य प्रारंभिक स्तर पर है।

स्वतंत्र सुरक्षा आकलन का कार्य सर्वश्री सर्टिफर (फ्रांस) को दिया गया है।

■ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी)

पीएसडी एक मोटरीकृत स्लाइडिंग दरवाजा प्रणाली है, जो ट्रेनों को नियंत्रित एक्सेस प्रदान करता है तथा प्लेटफॉर्मों के किनारों की रक्षा करता है। पीएसडी प्रणाली प्लेटफॉर्म पर तथा छत के स्तर पर सिविल इंटरफेस का प्रयोग करके स्थापित पूरी ऊँचाई-आधी ऊँचाई का स्क्रीन-वर्क-लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का गठन करता है। पीएसडी एयर कंडिशनिंग की कम मात्रा के कारण विद्युतीय ऊर्जा की ठोस बचत के अलावा प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या के मामलों को भी प्रतिबंधित करेगा। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का सौंदर्यात्मक नजारा भी बढ़ जाएगा।

2 भूमिगत स्टेशनों तथा 6 एलेक्ट्रिक स्टेशनों के लिए पीएसडी कार्य के लिए एलओए दिया जा चुका है तथा प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है।

■ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन कुल मिलाकर 12 भूमि अधिग्रहण के मामले 3.3015 एकड़ निजी जमीन के अधिग्रहण से जुड़े मामले को कंपनी की ओर से प.बं. सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए थे। इनमें से 1.5233 एकड़ निजी जमीन पर कब्जा कंपनी ले चुकी है। जिसमें से सिर्फ 0.38 एकड़ का भौतिक कब्जा अंतरित किया गया है और शेष जमीन अधिग्रहण के विभिन्न स्तरों पर है। तथापि, पुनर्व्यवस्थित रूट के अनुरूप निजी जमीन के और अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की तथा रेल की 48.30 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें से 46.12 एकड़ कंपनी को पहले ही दी जा चुकी है।

पर्यावरण संबंधी मामले

कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के आकार की यह परियोजना बेहद घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रही है, जो कि एक पर्यावरण संबंधी चुनौती है। केएमआरसीएल इसकी शुरुआत से ही अपनी योजना में इस विशेष चुनौती से संबद्ध है।

मूल परियोजना तथा साथ ही साथ संशोधित परियोजना दोनों के लिए ही पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति दे दी गयी है। कंपनी पर्यावरण प्रबंधन योजना को कड़ाई से क्रियान्वित कर रही है, जैसा कि ईआईए अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है।

दि कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना पर्यावरण संरक्षण तथा हरियाली पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने को अहमियत देती है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 1335 वृक्ष हटाए गए थे। ये सभी वृक्ष स्थानीय नगरपालिका के प्रतिनिधि के साथ चिह्नित किए गए थे, जो इन वृक्षों के मालिक थे। ₹ 45.61 लाख की कुल लागत से इन वृक्षों के बदले 6900 पेड़ लगाए गए हैं।

वित्तीय व्यय

वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी को रेल मंत्रालय ने ₹ 500.00 करोड़ का संशोधित बजट आवंटित किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय ने ₹ 175.00 करोड़ इक्विटी की दिशा में तथा ₹ 325 करोड़ पास थ्रू एसिसटेंस के तरीके से जारी किए हैं।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ₹ 2.00 लाख के स्वीकृत बजट से कोई रकम जारी नहीं की है।

शेयर पूँजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी फिलहाल रु. 1400 करोड़ है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 को जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी थी रु. 1060.50 करोड़। रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी धारण (प.बं. सरकार द्वारा शेयर अंतरण सहित) कंपनी में था रु. 721.50 करोड़ (68.03%) जबकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास था रु. 339.00 करोड़ (31.97%)। रेल मंत्रालय ने इक्विटी की दिशा में रु. 100 करोड़ वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया था, जिसके तहत 31 मार्च, 2017 के बाद शेयर आवंटित किए गए थे।

रेल मंत्रालय ने पुनः 31 मार्च, 2017 के बाद रु. 467.38 करोड़ जारी किया था क्रमशः दो अंशों में रु. 216.72 करोड़ तथा रु. 250.66 करोड़।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कोई भी जमा आम जनता से आमंत्रित नहीं की थी।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन अस्थायी तौर पर तीन निदेशकों जैसे श्रीमती झंजा त्रिपाठी (अध्यक्ष के रूप में), श्री कैलाश कुमार अग्रवाल तथा श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा को साथ लेकर की गयी है :

लेखा परीक्षा समिति के अवसर / विचारणीय विषय है :

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा लेखा परीक्षकों के अवलोकन सहित लेखा परीक्षा समिति के अवसर (स्कोप) के संबंध में लेखा परीक्षकों के साथ आवधिक चर्चा।
2. निदेशक मण्डल के पास जमा करने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा।
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. उपर्युक्त विषयों में से किसी एक या बोर्ड द्वारा जैसा संदर्भ किया जाय, उसकी जाँच।
5. प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि की समीक्षा।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की तीन बैठकें दिनांक 1 जून, 2016, 12 अगस्त, 2016 एवं 3 फरवरी 2017 को आयोजित हुईं। दिनांक 12 अगस्त, 2016 को आयोजित बैठक में श्री अग्रवाल उपस्थित नहीं हो सके। उपर्युक्त के अलावा, सभी निदेशक बैठकों में उपस्थित हुए।

सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने सर्वश्री एस. के. नरेडी एण्ड कं०, सनदी लेखाकार को वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था एवं पुनः वर्ष 2017-18 के लिए उनकी नियुक्ति की गयी।

आंतरिक लेखा परीक्षक :

सर्वश्री केपीएमजी, सनदी लेखापाल की नियुक्ति कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में वर्ष 2016-17 के लिए की गयी थी। आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य एवं उनकी रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

निदेशक मण्डल

अधिकतम 15 (पंद्रह) में से 10 (दस) निदेशकों को लेकर, नॉमिनी निदेशक को छोड़कर, बोर्ड बना है, जैसा कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान है।

पिछली रिपोर्ट के बाद से श्री मूल चन्द चौहान 9 मई 2017 से बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे, महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के पद का कार्यभार छोड़ देने के उपरान्त। श्री चौहान द्वारा उनके कार्यकाल में दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड अपनी सराहना दर्ज करता है।

श्री विश्वेश चौबे ने 9 मई 2017 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेल, कोलकाता का कार्यभार संभाला है। पत्र सं 2012/ प्रोज./ केएमआरसीएल/ 21/4/pt. दिनांक 30 जनवरी 2014 के अनुसार भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने बोर्ड के अध्यक्ष (अंशकालीन) के रूप

में नियुक्ति की थी। तथापि, महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के पद से मुक्त होने के फलस्वरूप 31 अक्टूबर, 2017 से वे अध्यक्ष नहीं रहे। बोर्ड श्री चौबे द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

श्री अजय विजयवर्गीय ने 31 अक्टूबर, 2017 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता का कार्यभार संभाल लिया है। उपर्युक्त पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अनुसरण में भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने श्री विजयवर्गीय की नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में (अंशकालीन) की।

श्री सतीश कुमार, एजीएम/पूर्व रेलवे ने 16 मार्च, 2016 से प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है तथा वे इस पद पर उस समय तक बने रहेंगे, जबतक नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए पद को भर न दिया जाए या उनकी सेवानिवृत्ति न हो या अगला आदेश न हो जाय, जो भी पहले हो। उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के कारण 1 अगस्त, 2017 से प्रबंध निदेशक का पद छोड़ दिया था। बोर्ड श्री कुमार द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

रेलवे बोर्ड ने पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2017 पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के साथ श्री सुधीर अग्रवाल, सीएओ/एजीएम, पूर्व रेलवे को कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त चार्ज 1 अगस्त, 2017 से तीन महीने के लिए देने का अनुमोदन सूचित किया था। श्री अग्रवाल ने अपना कार्यभार 1 अगस्त, 2017 को संभाला था और 31 अक्टूबर, 2017 तक बने रहे। बोर्ड श्री अग्रवाल द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

डॉ. समरेश कांति पाण्डेय ने 20 मार्च, 2017 से निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार छोड़ दिया था। बोर्ड डॉ. पाण्डेय द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र दिनांक 9 मई 2017 एवं 18 जुलाई 2017 के अनुसार कंपनी के निदेशक (वित्त) पद का अतिरिक्त चार्ज श्री एच. के. साहु, आईआरएस, मेट्रो रेलवे, कोलकाता को 9 मई, 2017 से 6 महीने के लिए देने का अनुमोदन सूचित किया था। श्री साहु ने 9 मई 2017 से पद का कार्यभार संभाल लिया था।

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र सं. 2014/ई(ओ)II/40/8 दिनांक 18 जुलाई, 2017 के अनुसार श्री परशुराम सिंह के पक्ष में निदेशक (परियोजना एवं योजना) के पद के अतिरिक्त चार्ज की व्यवस्था का विस्तार 1 अप्रैल, 2017 से 6 महीने के लिए अनुमोदित कर दिया था। श्री सिंह ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 से निदेशक (परियोजना एवं योजना) पद धारण को सीज कर दिया था। बोर्ड श्री सिंह द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र सं. 2014/ई(ओ)II/40/21 दिनांक 11 अगस्त 2017 के अनुसार प्रतिनियुक्त के आधार पर (बिना प्रतिनियुक्त भत्ता के मूल वेतन पर) 5 वर्षों के लिए श्री मानस सरकार, आईआरएसई, पूर्व रेलवे के निदेशक (परियोजना एवं योजना) पद पर नियुक्ति का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सूचित किया था, जो उनके कार्यभार संभालने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति, या तत्काल आत्मसात के नियमों से पद के छूट मिलने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो होगी। श्री सरकार ने अपना कार्यभार 10 नवम्बर 2017 से ग्रहण किया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के अनुपालन में (इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) श्री चौबे, श्री विजयवर्गीय, श्री अग्रवाल, श्री साहु तथा श्री सरकार की नियुक्ति की पुष्टि का संकल्प कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित की जाएगी।

फिलहाल, अधिनियम की धारा 2(47) द्वारा यथा-परिभाषित बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। कंपनी ने अपने बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय को लिखा है।

भारत सरकार, निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2015 को एक अधिसूचना जारी की है। उसके अनुसार अधिनियम की धारा 152(6) तथा 152(7) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है, जिसकी संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्र सरकार द्वारा धारित है। इसके मद्देनजर कंपनी के किसी भी निदेशक को आगामी आम बैठक में चक्रानुक्रम से निवृत्त होने की जरूरत नहीं है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल की 4 (चार) बैठकें 26 मई, 2016, 19 अगस्त, 2016, 28 सितम्बर, 2016 तथा 25 जनवरी, 2017 को आयोजित हुईं। सिर्फ 28 सितम्बर, 2016 को आयोजित बैठक को छोड़कर, जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, अन्य सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित की गयीं।

निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (सी) तथा धारा 134 (5) की शर्तानुसार वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में निदेशक मण्डल का कहना है कि :

- (1) वार्षिक लेखे तैयार करने में प्रयोज्य लेखा मानदण्डों का अनुसरण किया गया है तथा कोई वस्तुगत विचलन नहीं हुआ है।
- (2) वित्तीय विवरण तैयार करने में यथोचित एवं विवेकसम्मत लेखा नीतियों का अनुसरण किया गया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया गया है तथा यथोचित जागरूक फैसला एवं अनुमान किया गया है, ताकि उक्त अवधि में आय व व्यय का एवं वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति का सत्य व सही स्वरूप प्रकट हो सके।
- (3) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख बनाए रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- (4) “चालू प्रतिष्ठान” के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।
- (5) सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम की धारा 203 तथा उसके साथ पठित भारत सरकार, निगमित कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुपालन में प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान श्री एस.एन. मुखर्जी, कंपनी सचिव तथा श्री देवव्रत नंदी, मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी के “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” थे।

वार्षिक रिटर्न का सार

निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिटर्न का सार, जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) के अधीन प्रावधान है, संलग्न है (अनुलग्नक-1)।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संलग्न है।

लेखे पर द्रष्टव्य के साथ पठित लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन स्वतः स्पष्ट है। इसमें योग्यता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा डिसक्लेमर नहीं किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

अधिनियम की धारा 143(6) के अधीन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ भी इसके साथ संलग्न हैं।

सीएजी ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख किया है, जैसा उसमें कहा गया है। उसका स्पष्टीकरण नीचे लिखे अनुसार दिया गया है :

- क) तुलन-पत्र-परिसंपत्तियाँ - गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ - पूँजी प्रगति पर (द्रष्टव्य सं. 7) रु. 2346.35 करोड़ : कंपनी नकद आधार पर “वैट की प्रतिपूर्ति की दिशा में प्राप्तियाँ” का लेखा रखती है। तथापि, जैसा कि सीएजी द्वारा बताया गया है, लेखा प्रक्रिया को 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी किया जाएगा।
- ख) देयताएँ - इक्विटी एवं देयताएँ - इक्विटी - अन्य इक्विटी (द्रष्टव्य सं. 14) - रु. 364.14 करोड़ : इंड एस के अधीन ऋण एवं उधार को वित्तीय इंस्ट्रूमेण्ट के रूप में माना जाता है। इंड-एस-32 का मत है कि वित्तीय इंस्ट्रूमेण्टों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाए। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार से कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त ऋण है। उन्हें वित्तीय देयताओं के रूप में माने जाने के मामले में, उस ऋण को ब्याज के बाजार दर पर मापा जाएगा, इंड एस के अनुसार, जो कि

वास्तविक एप्रोच नहीं है, क्योंकि स्वीकृति आदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में कंपनी उन ऋणों पर ब्याज देने नहीं जा रही है। यही मुख्य कारण है कि क्यों अधीनस्थ ऋण को वित्तीय इंस्ट्रुमेंट के रूप में इसकी प्रकृति के टर्म में नहीं माना जाता है। आगे, यह “अन्य इक्विटी” की अन्य शर्तों को पूरा करता है, जैसा कि वार्षिक लेखे में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के द्रष्टव्य सं. 3.15.2 में उल्लिखित है।

आगे, यह कहना सही है कि ऋण के पुनर्भुगतान के लिए वर्तमान में कोई शर्त नहीं है, क्योंकि शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में अधीनस्थ ऋण के संबंध में सिर्फ अवधि का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्दर ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा। परन्तु स्वीकृति आदेश इस प्रकार के पुनर्भुगतान का तरीका एवं अंतराल, इसकी समय अनुसूची, पैनल/ओवरड्यु चार्ज के बारे में मौन है, जो कि सामान्य ऋण लेने की शर्तों में उल्लिखित रहते हैं तथा पश्चिम बंगाल द्वारा अधीनस्थ ऋण के लिए शर्तों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

तदनुसार ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण को ‘अन्य इक्विटी’ के रूप में फिलहाल माना गया था, चूँकि यह इंड एएस में उल्लिखित अनुसार सभी शर्तों को पूरा करता है।

- ग) **अन्य गैर - वर्तमान देयताएँ - (द्रष्टव्य सं.18) पूँजीगत माल के लिए देनदार - रु. 73.58 करोड़ :** ये देयताएँ पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित हैं। अतः, इसे पूँजीगत व्यय के लिए देनदार के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये देयताएँ “व्यापार देय” नहीं होती हैं। पूँजीगत माल के लिए देनदार के खाते में देयताएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की इंड एएस अनुसूची-III के अधीन 8.2.4.2 के अनुसार भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के दिशानिर्देश नोट के अनुसार व्यापार देय नहीं हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

अधिनियम की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुपालन में कंपनी ने डी. राउत एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कोलकाता की नियुक्ति इस प्रकार की लेखा परीक्षा करने हेतु की है।

उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट दिनांक 30 नवम्बर, 2017 भी इसके साथ संलग्न है।

डी. राउत एण्ड एसोसिएट्स ने अपने प्रतिवेदन में अवलोकन किया है कि बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 149(4) तथा कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, इसके अलावा कंपनी ने उसमें उल्लिखित अधिनियम, नियम विनियम, दिशानिर्देश के प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति का गठन भी सही नहीं है।

बोर्ड का कहना है कि कंपनी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते रेल मंत्रालय के परामर्श/निर्देशों के आधार पर इस जरूरत को पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

ऋण गारंटी एवं निवेश

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण/गारंटी नहीं दिया है या कोई प्रतिभूति नहीं दिया है, जिसे अंशदान, खरीद के जरिए प्राप्त किया गया है या अन्यथा किसी अन्य निगमित निकाय की किसी अन्य प्रतिभूति जो अधिनियम की धारा 186 के दायरे में आता हो।

संबंधित पार्टियों के साथ ठेके या व्यवस्थाएँ

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने संबद्ध पार्टियों के साथ किसी ठेके अथवा व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है, जिन्हें अधिनियम की धारा 188 (1) के अधीन संदर्भित किया गया है।

अतः निर्धारित “प्रपत्र एओसी-2” में उल्लिखित विवरण नहीं दिए जा सकते हैं।

ठोस परिवर्तन तथा वादे जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई ठोस परिवर्तन अथवा वादे नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च, 2017 के बीच घटा हो। जिससे वित्तीय विवरण और प्रतिवेदन की तारीख संबद्ध हो।

ऊर्जा संरक्षण, तकनोलॉजी अंतर्लयन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी ने आशानुकूल प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय प्रारंभ किया है तथा विभिन्न सिस्टमों के लिए उचित तकनोलॉजी का चयन भी किया है। तथापि, विस्तृत उपाय आगे दिए गए हैं :

(क) ऊर्जा संरक्षण :

(i) उठाए गए कदम अथवा ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव :

- स्टेशनों पर तथा ट्रेन के कोचों में एलईडी-प्रकार की प्रकाश व्यवस्था लगायी गयी है।
- भूमिगत स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे की व्यवस्था, जो एयर कंडीशनिंग जरूरतों को काफी घटाएगी और उसके द्वारा नॉन-ट्रेक्शन एनर्जी की खपत कम होगी।
- रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए खरीदे जाने वाले रोलिंग स्टॉक की योजना बनाई गयी है, ताकि ब्रेकिंग के समय बिजली उत्पन्न की जाय, जिसका उपयोग सिस्टम में चल रही अन्य पावरिंग ट्रेनों द्वारा की जायेगी।
- एलेवेटेड स्टेशनों का स्थापत्य इस प्रकार से रखा गया है कि दिन के समय संभव सीमा तक कुदरती रोशनी का प्रयोग किया जाय। एलेवेटेड स्टेशनों पर कार्बन फूटप्रिंट कम करने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीटों का प्रयोग किया गया है।
- स्टेशनों के लिए उच्च सीओपी-तरह के यूनिट लगाए गए हैं ऊर्जा प्रबंधन सिस्टम के साथ, ताकि चिलरों, कूलिंग टावरों, पंपों आदि का आशानुरूप प्रयोग किया जा सके।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

आंतरिक खपत हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रखरखाव डिपो पर सोलर सेल के बड़े बैंक प्रदान किए जाएंगे। डिपो का लेआउट इस तरह से रखा गया है कि संभव सीमा तक कुदरती रोशनी के प्रयोग किया जा सके।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजी निवेश

परियोजना के यथोचित स्तर पर इसे बताया जाएगा।

(ख) तकनोलॉजी अंतर्लयन

(i) तकनोलॉजी अंतर्लयन की दिशा में किए गए प्रयास :

कंपनी का मत है कि परियोजना को क्रियान्वित किया जाय। तकनोलॉजी अन्तर्लयन की संभावना तलाशने हेतु खरीद के स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

(ii) प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद में विकास अथवा आयात विकल्प।

इससे प्राप्त लाभों का विस्तृत विवरण भविष्य में यथोचित स्तर पर दिया जाएगा।

(ग) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय निम्नलिखित हैं :

विदेशी मुद्रा आय	-	शून्य (2015-16 : शून्य)
विदेशी मुद्रा व्यय	-	विवरण नीचे दिए गए हैं
	2016-17	2015-16
यूरो	59,48,805	2,35,008
येन	31,57,66,083	7,79,402
यूएस डॉलर	12,735	16,387
आस्ट्रेलियन डॉलर	शून्य	77,070

कर्मचारीगण

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के पास ऐसा कोई कर्मचारी नहीं जो कुल पारिश्रमिक रु. 60 लाख से अधिक पाया है (वित्त वर्ष में कहीं भी नियुक्त) या प्रतिमाह रु. 5 लाख से अधिक पाया है (यदि वित्त वर्ष के अंश के लिए नियुक्त हुआ है)।

जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी वर्तमान में “ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर” परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार “ईस्ट वेस्ट मेट्रो” का क्रियान्वयन कंपनी करती रहेगी पूरा होने तक तथा पूरा होने पर भारत सरकार वर्तमान उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के साथ समान नियंत्रण के अधीन इसका परिचालन करेगी।

मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित रेल को परिचालन से जुड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बनाने पर विचार भविष्य में उचित समय पर किया जाएगा। वित्तीय जोखिम कवर करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा तथा साथ ही साथ सीएजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त) सनदी लेखाकार की एक बाहरी फर्म को लगाकर एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाया गया है।

निगमित सामाजिक दायित्व

चूंकि कंपनी परियोजना क्रियान्वयन स्तर पर है, इसने तत्काल पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है। अतः तत्काल विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए शुद्ध लाभ का औसतन कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता, जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 में वांछित है, इस पर लागू नहीं है।

निदेशक मण्डल की एक निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है। इस समिति में वर्तमान में शामिल हैं- श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके, डॉ. समरेश कान्ति पाण्डेय तथा श्री अनूप कुमार कुण्डू।

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी “केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों” में यथा-वांछित निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन इसके साथ संलग्न है (अनुलग्नक-II)। वह इस प्रतिवेदन का अंश है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथा वांछित, “प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण” पर एक अलग से प्रतिवेदन भी इसके साथ संलग्न है (अनुलग्नक-III)।

महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, रोकथाम एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आभार ज्ञापन

परियोजना के कार्यान्वयन में वित्त मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग एवं अनवरत समर्थन के लिए निदेशक मण्डल आभार प्रदर्शन करता है तथा साथ ही साथ बंगाल सरकार से प्राप्त उसीप्रकार के समर्थन के लिए आभारी है।

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, विधाननगर म्युनिसिपलिटी, कोलकाता पुलिस, बीएसएनएल, सीईएससी, पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लि० तथा विभिन्न अन्य अथॉरिटियों एवं एजेंसियों से प्राप्त सहयोग एवं समर्थन के लिए निदेशक मण्डल अपना हार्दिक आभार भी दर्ज करता है।

उक्त परियोजना के लिए जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन / जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी द्वारा सॉफ्ट लोन सहायता के रूप में दी गयी मदद बहुमूल्य है। कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशक मण्डल परियोजना के क्रियान्वयन में इस सहायता के महत्व के लिए शुक्रगुजार रहेगा।

निदेशक मण्डल विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, सलाहकारों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को उनके निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है तथा आभार प्रदर्शित करता है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी निदेशक मण्डल का विशेष आभार व धन्यवाद है।

कोलकाता, सॉल्टलेक व हावड़ा के विभिन्न भागों में निवासियों, दुकानदारों, पथचारियों को, जहाँ निर्माण कार्य प्रगति पर है, कार्यस्थल पर गतिविधियों के कारण असुविधा हुई है। ऐसे लोगों तथा नागरिकों के प्रति निदेशक मण्डल आभारी है कि उन्होंने धैर्य के साथ इन गतिविधियों को सहा है और वृहद् कोलकाता क्षेत्र में शहरी परिवहन के चेहरे को बदलने में परियोजना की कार्यक्षमता को पहचाना है। परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में सभी स्तर पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान, कठोर परिश्रम, संकल्प तथा अनवरत प्रयास के लिए निदेशक मण्डल अपना आभार दर्ज करता है।

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के
निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

नई दिल्ली

दिनांक : 27 दिसम्बर, 2017



अनुलग्नक-1

वार्षिक प्रतिवेदन का सार
31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष को

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

- (i) सीआईएन : U60100WB2008GOI127338
(ii) पंजीकरण की तारीख : 9 जुलाई, 2008
(iii) कंपनी का नाम : कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(iv) कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी : पब्लिक कंपनी/शेयरों द्वारा लिमिटेड
(v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण : 'केएमआरसीएल भवन', एचआरबीसी कार्यालय परिसर मुंशी प्रेमचंद सरणी, कोलकाता - 700021.
टेली: (033) 2213-4345;
फैक्स: (033) 2213-4380
(vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है : नहीं
(vii) पंजीयक तथा ट्रांसफर एजेण्ट का नाम, पता व सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

समस्त व्यापारिक गतिविधियाँ जो कुल टर्नओवर के 10% या अधिक का योगदान करती हैं :

क्रमांक	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का प्रतिशत
	कंपनी परियोजना के क्रियान्वयन स्तर पर	लागू नहीं	लागू नहीं

III. होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण : शून्य

IV. शेयरधारण पद्धति (कुछ इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर धारण : भारतीय प्रवर्तक

केन्द्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति) :

वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या :

- डीमैट : शून्य
भौतिक : 88,55,00,000
कुल शेयरों का % : 100%

वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या :

- डीमैट : शून्य
भौतिक : 106,05,00,000
कुल शेयरों का % : 100%
वर्ष के दौरान परिवर्तन का % : 19.76



(ii) प्रवर्तकों का शेयर धारण :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयर धारण में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति (a/c. रेल मंत्रालय)	54,65,00,000	61.72	-	72,15,00,000	68.03	-	-
2.	भारत के राष्ट्रपति (a/c. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)	33,90,00,000	38.28	-	33,90,00,000	31.97	-	-
	योग	88,55,00,000	100.00	-	106,05,00,000	100.00	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों के शेयरधारण में परिवर्तन

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	88,55,00,000	100	106,05,00,000	100
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारण का उल्लेख करते हुए	25.05.2016-10,00,00,000 (शेयर आवंटित)	9.43	-	-
		25.01.2017-7,50,00,000 (शेयर आवंटित)	7.07	-	-
	वर्ष के अंत में	106,05,00,000	100	106,05,00,000	100

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर)

क्र. सं.	सर्वोच्च 10 शेयरधारकों के प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री अमर प्रकाश द्विवेदी	100	0.0001	100	0.0001
2.	श्री संजय लवानिया	100	0.0001	100	0.0001
3.	श्री श्रीभगवान भामू	100	0.0001	100	0.0001
4.	श्री तरूण बेनीवाल	100	0.0001	100	0.0001
5.	श्रीमती रुत चांगसन	100	0.0001	100	0.0001
6.	श्री संजय कुमार साहा	100	0.0001	100	0.0001

(उपर्युक्त सभी शेयरधारक भारत के राष्ट्रपति खाता रेल मंत्रालय के नामांकित व्यक्ति हैं)

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण

क्र. सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण (01.04.2016 को)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारण (31.03.2017 को)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	100	0.0001	100	0.0001
2.	श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	100	0.0001	100	0.0001

द्रष्टव्य: उपर्युक्त सभी व्यक्ति कंपनी के निदेशक हैं। वर्ष के दौरान किसी अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों ने कोई शेयरधारण नहीं किया।

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया/अर्जित ब्याज सहित, परन्तु भुगतान के लिए बकाया नहीं :

	सुरक्षित ऋण जमा को छोड़ कर (रु.)	असुरक्षित ऋण (रु.)	जमा (रु.)	कुल ऋणग्रस्तता (रु.)
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	-	1169,78,67,784	-	1169,78,67,784
(ii) ब्याज बकाया परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज अर्जित परन्तु बकाया नहीं	-	42,54,60,861	-	42,54,60,861
योग (i + ii + iii)	-	1212,33,28,645	-	1212,33,28,645
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- संयोजन	-	345,98,25,126	-	345,98,25,126
- घटाव	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	345,98,25,126	-	345,98,25,126
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	-	1515,76,92,910	-	1515,76,92,910
(ii) ब्याज बकाया परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज अर्जित परन्तु बकाया नहीं	-	58,11,86,469	-	58,11,86,469
कुल (i + ii + iii)	-	1573,88,79,379	-	1573,88,79,379

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक :
सकल वेतन-

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	: रु. 13,53,069
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	: शून्य
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	: शून्य
स्टॉक ऑप्शन	: शून्य
स्वीट इक्विटी	: शून्य
कमीशन - लाभ के % के रूप में	: शून्य
अन्य	: शून्य
योग	: रु. 13,53,069
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीमा	: लागू नहीं



VII. अपराधों का जुर्माना/सजा/कंपाउण्डिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई कंपाउंडिंग फीस/ जुर्माना/सजा का विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एनएल सीटी/कोर्ट]	की गई अपील यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
कंपाउण्डिंग	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
कंपाउण्डिंग	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
ग. चूक वाले अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
कंपाउण्डिंग	शून्य	लागू नहीं	-	-	-

अनुलग्नक-II

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

01. निगमित अभिशासन पर कंपनी का दर्शन :

निगमित अभिशासन पर कंपनी के दर्शन का लक्ष्य है :

(क) निम्नलिखित के जरिए दीर्घकालीन स्ट्रेकधारक मूल्य तथा अपनी स्वयं की संपदा उत्पन्न क्षमता में वृद्धि-

- ठोस व्यावसायिक निर्णय लेने में सर्वोच्च प्रबंधन की मदद करना,
- दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन।

(ख) अपनी सभी गतिविधियों एवं निर्णयों में पारदर्शिता एवं पेशेवरता हासिल करना।

(ग) प्रकटन का अनुपालन करना।

(घ) निम्नलिखित के द्वारा निगमित अभिशासन में उत्कृष्टता हासिल करना :

- निगमित अभिशासन तथा उत्कृष्टता पर वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण करना, जहाँ कहीं संभव हो;
- वर्तमान सिस्टम तथा और सुधार के लिए नियंत्रण की आवधिक समीक्षा;
- व्यवसाय के आचार में नैतिक मानक ऊँचा रखना;
- विधि एवं नियमों का अनुपालन;
- बोर्ड द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन तथा असरदार निगरानी।

02. निदेशक मण्डल

2.1 गठन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के आशय के अन्तर्गत कंपनी एक “सरकारी कंपनी” है। वर्तमान में समूची प्रदत्त शेयर पूँजी रेल मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व में शहरी विकास के रूप में विदित) के जरिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की आर्टिकल 124(ए) के अनुसार निदेशक मण्डल में निम्नलिखित निदेशक होंगे :

- (i) रेल मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित निदेशक
- (ii) प्रबंध निदेशक
- (iii) पूर्णकालिक निदेशकगण/कार्यशील निदेशक
- (iv) डिबेंचर धारकों द्वारा नामांकित निदेशक
- (v) स्वतंत्र निदेशक

आर्टिकल 124(बी) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास निदेशक मण्डल में अध्यक्ष सहित दस व्यक्तियों को नामांकित करने हेतु कंपनी को संबोधित लिखित में नोटिस देने का अधिकार है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की आर्टिकल 125 के अनुसार बोर्ड की संख्या तीन से कम तथा पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, नामित निदेशकों को छोड़कर।

भारत सरकार ने अभी तक निदेशक मण्डल का स्ट्रेथ सूचित नहीं किया है।

दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या 9 थी, जिसमें 3 (तीन) कार्यशील निदेशक जैसे प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजना एवं योजना) तथा निदेशक (आरएस एण्ड टी) शामिल थे। रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसरण में सभी कार्यशील निदेशकों के पास अंशकालीन आधार पर संबंधित पदों के अतिरिक्त चार्ज थे। आज की तारीख में निदेशकों की संख्या अपरिवर्तित यानी 9 (नौ) है। समस्त निदेशकगण (कार्यशील निदेशकों सहित) भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए हैं।

निदेशक मण्डल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं (जैसा कि मई 2010 में भारत सरकार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1.4 में यथा पारिभाषित)। अतः वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल का गठन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

जिन निदेशकों की नियुक्ति वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान की गयी है, उनकी पृष्ठभूमि नीचे लिखे अनुसार है :

- (1) श्री आदित्य कुमार मित्तल, आईआरएसई - महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में रेल मंत्रालय के पत्र सं० 2012/Proj./KMRC/21/4/Pt. दि. 30.01.2014 के अनुसार, 13.04.2016 से प्रभावी।
- (2) श्री आशीष कुमार गोयल, आईआरएसएस, महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार, रेल मंत्रालय के पत्र सं० 2012/Proj./KMRC/21/4/Pt. दिनांक 30.01.2014 के अनुसार 01.06.2016 से प्रभावी।
- (3) श्री मूल चन्द चौहान, आईआरएसईई, महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में रेल मंत्रालय के पत्र सं० 2012/Proj./KMRC/21/4/Pt. दिनांक 30.01.2014 के अनुसार, 26.07.2016 से प्रभावी।

निम्नलिखित निदेशकगण वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अपने कार्यभार से मुक्त हुए:

- (1) श्री अश्विनी कुमार कपूर दिनांक 06.04.2016 से (अंशकालीन अध्यक्ष) महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के रूप में कार्यभार से मुक्त हुए।
- (2) श्री आदित्य कुमार मित्तल (अंशकालीन अध्यक्ष) दिनांक 01.06.2016 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के रूप में कार्यभार से मुक्त हुए।
- (3) श्री आशीष कुमार गोयल (अंशकालीन अध्यक्ष) दिनांक 26.07.2016 से महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के पद से कार्यमुक्त हो गए।
- (4) डॉ. समरेश कांति पाण्डेय, निदेशक (वित्त) दिनांक 21.03.2017 से एफए एण्ड सीएओ/एफ एण्ड बी (पूर्ववर्ती 'सीओएन'), मेट्रो रेलवे, कोलकाता के कार्यभार से मुक्त हुए।

निदेशक मण्डल का गठन तथा निदेशकों की संख्या 31.03.2017 को नीचे दी जा रही है :

निदेशक का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अन्य बोर्डों की संख्या जिसमें अध्यक्ष या सदस्य हैं	अन्य कंपनियों में धारित समिति की सदस्यता	
			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
01. श्री मूल चन्द चौहान (26.07.2016 से)	अध्यक्ष	शून्य	-	-
02. श्री सतीश कुमार	प्रबंध निदेशक	शून्य	-	-
03. श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	निदेशक	4	2	-
04. श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	निदेशक	8	4	1
05. श्रीमती झंजा त्रिपाठी	निदेशक	8	3	-
06. श्री अनूप कुमार कुण्डू	निदेशक (आरएस एण्ड टी)	शून्य	-	-
07. श्री आलापन बंद्योपाध्याय	निदेशक	शून्य	-	-
08. श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक	4	-	-
09. श्री परशुराम सिंह	निदेशक (परि. एवं योजना)	शून्य	-	-

2.2 बोर्ड की बैठकें :

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद यथोचित सूचना देकर बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान सार्थक चर्चा के सुविधार्थ बैठक के सात दिन पूर्व बोर्ड सदस्यों के मध्य अग्रिम में कार्यसूची नोट तथा वृहद पृष्ठभूमि सूचना से समर्थित अन्य कागजात परिचालित किए जाते हैं। जहाँ पर संबंधित पृष्ठभूमि सूचनाएँ कार्यसूची नोट/पेपर के अंश के रूप में भेजना या संलग्न करना व्यावहारिक नहीं पाया जाता, उन्हें बैठक में पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

बैठकें एवं उपस्थिति :

31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की 4 (चार) बैठकें 26.05.2016, 19.08.2016, 28.09.2016 तथा 25.01.2017 को आयोजित हुई थीं।

निदेशक मण्डल की बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

निदेशकों के नाम	कितनी बैठकों में उपस्थित हुए	28.09.2016 को पिछली एजीएम में उपस्थिति
श्री आदित्य कुमार मित्तल	1	लागू नहीं
श्री आशीष कुमार गोयल	शून्य	लागू नहीं
श्री मूल चन्द चौहान	2	जी हाँ
श्री सतीश कुमार	4	जी हाँ
श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	2	जी हाँ
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	5	नहीं
श्रीमती झंजा त्रिपाठी	5	नहीं
डॉ. समरेश कांति पाण्डेय	4	जी हाँ
श्री अनूप कुमार कुण्डू	7	जी हाँ
श्री आलापन बंद्योपाध्याय	7	नहीं
श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	2	नहीं
श्री परशुराम सिंह	4	जी हाँ

प्रत्येक बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही मिनट बुक में दर्ज की गयी। प्रत्येक बोर्ड की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त पुष्टि हेतु अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अगली बैठक में प्रस्तुत किया गया।

03. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन वर्तमान में श्रीमती झंजा त्रिपाठी के साथ (अध्यक्ष के रूप में), श्री कैलाश कुमार अग्रवाल तथा श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा के साथ किया गया था।

डॉ. समरेश कांति पाण्डेय, निदेशक (वित्त) ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष में आयोजित 20.03.2017 तक समिति की सभी बैठकों में भाग लिया। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में काम करते हैं।

लेखा परीक्षा समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (जैसा कि निदेशक मण्डल द्वारा 27.08.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है) नीचे लिखे अनुसार है :

1. लेखा परीक्षकों के अवलोकनों सहित लेखा परीक्षा के अवसर एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में समय-समय पर लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।
2. निदेशक मण्डल को जमा देने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. उपर्युक्त किसी भी मामले में जाँच अथवा जैसा बोर्ड के द्वारा संदर्भ किया जाए, तथा



5. प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि की समीक्षा

भारत सरकार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा मई 2010 में जारी “केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों” के पैराग्राफ 4.2 की शर्तों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति को दी गयी भूमिका का भी अनुसरण किया जा रहा है।

प्रबंधन, सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों एवं निदेशक मण्डल के मध्य यह समिति सम्पर्क सूत्र का कार्य करती है तथा वित्तीय प्रणाली का निर्धारण करती है।

तथापि, बोर्ड के गठन एवं शक्ति से संबंध रखते हुए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन सिर्फ गैर-कार्यशील निदेशकों को लेकर किया गया है।

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान समिति की 3(तीन) बैठकें दिनांक 01.06.2016, 12.08.2016 तथा 03.02.2017 को आयोजित हुईं। श्री अग्रवाल दिनांक 12.08.2016 को आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा उपर्युक्त बैठकों में समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

04. पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अनुपालन में वर्ष के दौरान एक “नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। तथापि, इस प्रकार की समिति का गठन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था, जिसमें कहा गया है कि इस समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक करेंगे। तथापि, कंपनी के कार्मिकों को वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन के रूप में कोई रकम वितरित नहीं की गयी। (कंपनी के मानव संसाधन मैनुअल के अनुसार भत्तों एवं प्रतिपूर्ति के रूप में) कुल रु. 13,53,069 की रकम पारिश्रमिक के रूप में कार्यशील निदेशकों को भुगतान 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष, के दौरान की गयी है।

05. आचार संहिता

निदेशक मण्डल बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिकता एवं व्यापार आचार संहिता का निर्धारण किया है – निर्धारित मानकों को बनाए रखने एवं विधिक जरूरतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

06. वार्षिक साधारण बैठकें

पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष	दिनांक व समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित, यदि कोई हो
2015-16	28.09.2016 को 13.00 बजे	रेल भवन, रायसिना रोड, नई दिल्ली-110 001	शून्य
2014-15	30.12.2015 को 15.00 बजे	रेल भवन, रायसिना रोड नई दिल्ली-110 001	शून्य
2013-14	26.11.2014 को 11.30 बजे	रेल भवन, रायसिना रोड नई दिल्ली-110 001.	शून्य

वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक साधारण बैठक रेल भवन, नई दिल्ली में 27.12.2017 को 16.00 बजे आयोजित की जाएगी।

07. प्रकटन

i) ठोस महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी से लेन-देन, जिसके कंपनी के हितों के साथ द्वंद होने की संभावना है- इसप्रकार का कोई लेन-देन नहीं था। तथापि, लेखा मानक एएस-18 के अधीन यथा वांछित प्रकटन “लेखों की टिप्पणियों” में शामिल किया गया है।

- ii) कंपनी द्वारा गैर-अनुपालनों का विवरण, आर्थिक दण्ड, प्रतिबंध विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना या प्रतिबंध-कोई नहीं।
- iii) हिसिल ब्लोअर नीति एवं स्वीकार्यता कि कोई भी कार्मिक लेखा परीक्षा समिति को मना नहीं किया था-कंपनी के पास फिलहाल 'हिसिल ब्लोअर' नीति नहीं है। तथापि, कोई भी कार्मिक लेखा परीक्षा समिति को मना नहीं किया था।
- iv) दिशानिर्देशों की जरूरतों के अनुपालन का विवरण-आम तौर पर कंपनी ने दिशानिर्देशों की जरूरतों का अनुपालन किया है। तथापि, भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय) को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की वांछित संख्या में नियुक्ति की आवश्यकता है।
- v) केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का विवरण और वर्ष के दौरान और विगत तीन वर्षों में भी उनका अनुपालन-वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में भी राष्ट्रपति के निर्देश जारी नहीं किए गए।
- vi) लेखा खातों में नामे लिखे गए खर्च का आइटम, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है- वर्ष के दौरान इस प्रकार के खर्च का कोई आइटम नहीं है।
- vii) किया गया खर्च, जो व्यक्तिगत प्रकृति का है और निदेशक मण्डल या सर्वोच्च प्रबंधन के लिए व्यय किया गया-कोई नहीं।
- viii) प्रशासनिक एवं कार्यालय खर्चों का विवरण-कुल व्यय के प्रतिशत एवं उसके विरुद्ध वित्तीय व्यय के रूप में एवं वृद्धि के कारण-प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय 2016-17 के दौरान कुल व्यय का 11.71% था, वर्ष 2015-16 में 10.54% के विरुद्ध। अतः मामूली बढ़ोत्तरी हुई है, जो ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर परियोजना के क्रियान्वयन को समर्पित है, जो ट्रेक्शन एवं उच्च ऑडिट फीस हासिल कर रहा है।

08. संचार के साधन :

कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। अतः तिमाही परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाते। तथापि, वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.kmrc.in) पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

पत्राचार का पता:

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
 केएमआरसीएल भवन, एचआरबीसी कार्यालय परिसर
 मुंशी प्रेमचंद सरणी
 कोलकाता-700 021.

09. लेखा परीक्षा योग्यताएँ :

वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कोई अयोग्यता नहीं है।

10. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर परियोजना का कोलकाता में क्रियान्वयन हेतु कंपनी एक स्पेशल परपज वेहिकल है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय (23.08.2012 को आयोजित बैठक में) के अनुसार कंपनी सिर्फ कोलकाता में ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर परियोजना की "परियोजना क्रियान्वयन इकाई" है। यह परियोजना के पूरा होने तक कार्य करती रहेगी। तथापि, कम्पनी के सभी शेयर भारत सरकार के पास होंगे, जो परियोजना के पूरा होने के बाद संयुक्त नियंत्रण के अधीन वर्तमान उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के साथ सिस्टम को चलाएगी। परियोजना के क्रियान्वयन के उपरान्त ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर का परिचालन मेट्रो रेलवे, कोलकाता के साथ विलय हो जाएगा।

इसलिए कंपनी के व्यापार मॉडल में बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता अबतक महसूस नहीं की गयी। तथापि, भविष्य में उचित समय पर इसपर विचार किया जाएगा।

11. **हिसिल ब्लोअर नीति :**

कंपनी ने हिसिल ब्लोअर नीति अपनायी है, जिसे वेबसाइट पर डाला गया है। ऐसी नीति कंपनी के अन्दर गंभीर अनियमितताओं के संबंध में चिन्ता जाहिर करने वाले कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है, जो शोषण भय के बगैर हो तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित प्रकटन कवर करती है।

12. **अनुपालन प्रमाणपत्र :**

यह प्रतिवेदन “केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों” की जरूरतों का अनुपालन करता है। निगमित अभिशासन के अनुपालन पर तिमाही प्रतिवेदन, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है, रेल मंत्रालय को भेजा जाता है।

निगमित अभिशासन पर उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्राप्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 दिसम्बर, 2017

अनुलग्नक-III

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

हमारी दुनिया आज तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। 2030 में, 4.9 बिलियन लोग शहरी क्षेत्र में रहेंगे, जो कि विश्व की जनसंख्या का 60% है। अतः शहरों की भावी डिजाइन का लक्ष्य है बड़ी जनसंख्या को स्थान प्रदान करना जो समाज को उच्च क्वालिटी का शहरी जीवन दे सके। आज दुनिया भर के घनी आबादी वाले आधुनिक शहर को कुशल आम तीव्र आवागमन प्रणाली (एमआरटीएस) की आवश्यकता है। इस प्रकार की प्रणाली प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। एमआरटीएस प्रणाली इस संबंध में सबसे आदर्श पायी गयी है, क्योंकि बढ़ते हुए शहर आज उसे अपना रहे हैं, भारत और विदेशों दोनों में।

कंपनी का गठन ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर, कोलकाता के क्रियान्वयन हेतु स्पेशल परपज वेहिकल के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था, जो पूर्व में सॉल्टलेक सेक्टर V से पश्चिम में हावड़ा मैदान को जोड़ेगी। परियोजना का विधिक कवरेज मेट्रो रेलवे (कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स) एक्ट, 1978 तथा कलकत्ता मेट्रो रेलवेज (ऑपरेशन एण्ड मेनटेनेंस) टंप्रेरी प्रोविजन एक्ट, 1985 के अधीन होगा। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कंपनी सिर्फ 'परियोजना क्रियान्वयन इकाई' होगी तथा परियोजना के पूरा होने तक काम करती रहेगी। तथापि, कंपनी के समस्त शेर भारत सरकार के पास होंगे, जो परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तर दक्षिण कॉरीडोर के साथ संयुक्त नियंत्रण के अधीन सिस्टम को चलाएगी।

विजन, मिशन एवं उद्देश्य

विजन

परियोजना को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए वैश्विक परियोजना क्रियान्वयन पद्धति अपनाते हुए टोस वित्तीय एवं तकनोलॉजी आधार पर रेल-आधारित शहरी संरचना के लिए सबसे कुशल इकाई के रूप में उभरना। इसके उपरान्त, देश में सबसे कुशल एमआरटीएस सेवा प्रदाता के रूप में निष्पादन की दिशा में प्रयास करना तथा सार्वजनिक सेवा एवं वित्तीय स्थिरता के बीच अच्छे वातावरण में इस्तेमालकर्ताओं की संतुष्टि तथा सुरक्षा की दृष्टि से ख्याल रखना।

मिशन

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर' एमआरटीएस परियोजना का कोलकाता शहर में शहरी क्षेत्रों में तथा हावड़ा एवं सॉल्टलेक के आस-पास विकसित हो रहे शहरीकरण की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करना एवं इस क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाना।

उद्देश्य :

1. शहरी जिन्दगी को परेशानीमुक्त, सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त एवं सक्षम आवागमन की सुविधा प्रदान करते हुए अत्याधुनिक शहरी यात्री मास ट्रांजिट सिस्टम के रूप में कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर को स्थापित करना।
2. कोलकाता शहर के लिए वृहद आवागमन योजना तथा एकीकृत ट्रैफिक औचित्यकरण योजना के अंश के रूप में मेट्रो यात्रियों को सुविधा प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
3. वित्तीय मजबूती एवं स्थायित्व हासिल करने के लिए परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वांछित संसाधनों को जुटाना।
4. आशान्वित समय का लक्ष्य हासिल करने के लिए उपलब्ध वित्तीय एवं तकनोलॉजी संबंधी संसाधनों को सुसंगत करने हेतु उचित उन्नत कुशलता के साथ कम से कम लागत वृद्धि के साथ परियोजना को क्रियान्वित करना।
5. एक प्रेरित तथा परिणामपरक परियोजना टीम तैयार करने के लिए सर्वोत्तम मानकों वाले मूल्य वर्द्धित कार्यक्रमों एवं उचित प्रशिक्षण क्रियान्वित करने हेतु एक लागत किफायती संगठनात्मक सेटअप की स्थापना एवं रखरखाव।
6. क्रियान्वयन के समय क्वालिटी एवं सुरक्षा का सर्वोत्तम मानक बनाए रखना।

परियोजना क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयाँ

परियोजना की अनुसूची (जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित है) जमीन की अनुपलब्धता तथा साथ ही साथ व्यवस्थित करने के मसले के कारण विलंबित हुई है, जो कि कंपनी द्वारा समाधान के नियंत्रण से बाहर है। इससे समय और लागत बढ़ी है। परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है - प्रथम चरण में सॉल्ट लेक सेक्टर V से फूलबगान और द्वितीय चरण में फूलबगान से हावड़ा मैदान तक।

प्रथम चरण में दत्ताबाद में जमीन की अनुपलब्धता के कारण 365 मीटर तक एलेवेटेड वायडक्ट का निर्माण प्रभावित हुआ है। तथापि, जमीन पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास 2015 में कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य पूरा हो गया है, सिवाय कुछ फिनिशिंग कार्य के। प्रथम चरण के सभी मसले 2015 तक सलटा दिए गए थे और तब से परियोजना क्रियान्वयन महत्वपूर्ण ढंग से आकार ले चुका है।

दूसरे चरण में, प्रस्तावित सेन्ट्रल एवं महाकरण स्टेशनों के निर्माण हेतु जमीन की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्ग को व्यवस्थित करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे 1.878 किमी. मार्ग बढ़ जाएगा। यह (व्यवस्थित मार्ग के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन) अतिरिक्त समय एवं लागत से जुड़ा है। रेल मंत्रालय ने अगस्त 2015 में व्यवस्थित करने का प्रस्ताव मान लिया है तथा वर्ष 2012 से द्वितीय चरण की बाधा समाप्त हो गयी है तथा इस सेक्शन का कार्य सितम्बर 2015 से बहाल हो गया है।

आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से महत्वपूर्ण अनुमति हाल में प्राप्त हो गयी है (क्योंकि मार्ग के आस-पास कई सुरक्षित स्मारक पड़ते हैं) तथा रक्षा प्राधिकारियों से भी अनुमति मिल गयी है, क्योंकि स्टेशनों में से एक सेना के स्वामित्व की जमीन में पड़ती है।

अवसर

चूँकि संशोधित व्यवस्था के अनुसार परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, प्रस्तावित एस्प्लानेड स्टेशन (ईस्ट-वेस्ट तथा उत्तर-दक्षिण का इण्टरचेंज स्टेशन) पर महत्वपूर्ण ढंग से अधिक यात्री ट्रैफिक होने की आशा है। जोका-बीबीडी बाग मेट्रो लाइन भी एस्प्लानेड में समाप्त हो जाएगी। प्रस्तावित स्टेशन के पास एक बस हब भी एस्प्लानेड में पड़ता है तथा इसके अलावा, कोलकाता के व्यावसायिक केन्द्र के पास पड़ता है। पूरा हो जाने पर, परियोजना हावड़ा एवं सियालदह पर दो भूतल रेल स्टेशनों, फेरी, बस एवं ट्राम के साथ संयुक्तता भी प्रदान करेगी। कदाचित, भारत में कोई अन्य मास परिवहन प्रणाली नहीं है, जो इतनी तरह के परिवहन माध्यम को एकसाथ जोड़े।

कोलकाता की घनी आबादी के कारण ईस्ट-वेस्ट लाइन की सवारी के लिए संभावित मांग को दुनिया भर में अनोखा माना गया है। इन सभी जन केन्द्रित मूल्यों तथा परियोजना से जुड़े अवसरों के मद्देनजर यूनाइटेड किंगडम के सिविल इंजीनियरिंग के कोवेटेड संस्थान ने हाल ही में अपनी द्वि-शताब्दी के अवसर पर परियोजना को सूचीबद्ध किया है, जो कि दुनियाभर में दो सौ परियोजनाओं में से एक है, जो लोगों का जीवन बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान परियोजना क्रियान्वयन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने हेतु हौसला बढ़ाया है।

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो की अवधारणा इस तरह से बनाई गयी है कि यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इण्टरनेशनल एयरपोर्ट को सॉल्टलेक सेण्ट्रल पार्क अथवा राजारहाट से जोड़ने की संभावना है। इसीप्रकार, पश्चिमी तरफ लाइन को आवश्यकतानुसार सांतरागाछी या रामराजातला या और आगे उत्तर की ओर बाली/बेलुड़ तक बढ़ाया जा सकता है। हल्दीराम तक परियोजना का विस्तार पूर्वी छोर पर 5.5 किमी. तक रेलवे बजट में स्वीकृत किया जा चुका है तथा वर्ष 2017-18 के लिए रु. 10 लाख की टोकन रकम "गुलाबी पुस्तिका" में दिखाई गयी है। इस सेक्शन के लिए विस्तृत डीपीआर क्रियान्वयन शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति हेतु राइट्स द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है। हावड़ा एवं सियालदह स्टेशन दुनिया में सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से हैं। सुबह एवं शाम को भीड़-भाड़ वाले समय में इन स्टेशन को जोड़ने वाली मेट्रो में अत्यधिक यात्री ट्रैफिक उत्पन्न होगी। ईस्ट-वेस्ट मेट्रो केन्द्रीय व्यापार केन्द्र, पूर्व में न्यूटाउन, सॉल्टलेक तथा राजारहाट एवं पश्चिम में हावड़ा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए काफी लाभजनक सिद्ध होगा।

खतरे

संशोधित समय-सारिणी के अनुसार परियोजना की डिलिवरी समय पर करने हेतु-समस्त स्टेकधारकों जैसे रेल मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी आदि के बीच सहयोगी प्रयास की जरूरत होगी। तथापि, परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सहयोगी प्रयास पर्याप्त नहीं भी हो सकता है, जिसका कारण कई बाहरी फैक्टर्स तथा इसप्रकार की जटिल परियोजना में मार्केट डायनामिक्स सिस्टम डिसिप्लिन में समस्त प्रमुख निविदाओं की निश्चयात्मकता,

जिन्हें अभी दिया नहीं गया है, नियमित रूप से निगरानी होनी चाहिए – समय प्रबंधन के लिए संभावित जोखिम तत्व के रूप में। विभिन्न उपयोगिताओं का रीलोकेशन (खासकर भूमिगत) संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत पड़ता है, जो अधिक समय लगने का एक खतरा है। क्योंकि पहचान, अनुमति प्राप्त करना तथा कोलकाता जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्रियान्वयन बहुआयामी स्टेकधारक शामिल हैं तथा अत्यंत समय सापेक्ष है।

आंतरिक नियंत्रण

औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए एक सशक्त आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क की पूर्व-आवश्यकता जरूरी है कि संगठन के मिशन के अनुसरण में परियोजना के क्रियान्वयन के सामान्य उद्देश्य को नैतिक, आर्थिक एवं प्रभावशाली तरीके से हासिल किया जाए। इस संबंध में, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार के अनुसार है।

भावी दृष्टिकोण

कंपनी की मंशा है कि “कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो” एक अत्याधुनिक शहरी यात्री मास ट्रांजिट सिस्टम के रूप में स्थापित हो, जो शहरी जीवन को सक्षम, परेशानीमुक्त, सुरक्षित एवं प्रदूषणमुक्त परिवहन व्यवस्था प्रदान करे। इसके मद्देनजर कंपनी परियोजना के क्रियान्वयन में सुरक्षा एवं साथ ही साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है।

डी. राउत एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

कॉमर्स हाउस, 7वीं मंजिल, कमरा नं 10
2ए, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
फोन नं./फैक्स : 033-22259585, मोबाइल: 96810 92896
ई-मेल : csdraut@gmail.com

निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

प्रति
सदस्यगण
कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
केएमआरसीएल भवन, एचआरबीसी कार्यालय परिसर
मुंशी प्रेमचंद सरणी
कोलकाता-700021

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (इसके बाद “कंपनी” कहा गया) द्वारा निगमित अभिशासन के अनुपालन की जाँच की, जैसा कि भारत सरकार, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी “केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश 2010” और उसके अधीन उल्लिखित अनुलग्नकों (इसके बाद “दशानिर्देश” कहा गया) में वर्णित है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई उसकी प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन तक सीमित थी, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं निदेशकों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने दिशानिर्देशों में उल्लेखों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए निगमित अभिशासन मानकों के अनुसरण में कंपनी के पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं (बोर्ड एवं लेखा परीक्षा समिति के गठन का गैर अनुपालन)।

हम पुनः बताते हैं कि इसप्रकार का अनुपालन भविष्य में कंपनी की जीवनक्षम के रूप में न तो आश्वासन है न ही प्रभावशीलता की कार्यकुशलता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27 दिसम्बर, 2017

डी. राउत एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

कॉमर्स हाउस, 7वीं मंजिल, कमरा नं 10
2ए, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
फोन नं./फैक्स : 033-22259585, मोबाइल: 96810 92896
ई-मेल : csdraut@gmail.com

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति

सदस्यगण

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(सीआईएन: U60100WB2008G01127338)

केएमआरसीएल भवन, एचआरबीसी कार्यालय परिसर

मुंशी प्रेमचंद सरणी

कोलकाता-700021

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों तथा कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि० (इसके बाद “कंपनी” कहा गया है) द्वारा अच्छी निगमित कार्यपद्धति के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गयी है, निगमित आचार जो सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने एवं उसपर अपने मत व्यक्त करने का हमें समुचित आधार प्रदान करता है।

कंपनी के लेखों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजिका, प्रपत्र तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेण्टों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा संचालित करने के दौरान, हम एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मत से कंपनी ने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, इसके अधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ हैं तथा सीमा तक अनुपालन मैकनिज्म हैं तथा इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे जा रहे लेखों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजिकाओं, फॉर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है, इन प्रावधानों के अनुसार :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) और उसके अधीन बनाए गए नियम।
- (ii) कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अतः सिक्वोरिटीज कंट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, 1956 (“SCRA”) और उसके अधीन बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते हैं।
- (iii) कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अतः डिपोजिटरी अधिनियम 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं बाई-लाज इस पर लागू नहीं होते हैं।

- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।
- (v) कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अतः सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 (सेबी एक्ट) के अधीन उल्लिखित निम्न विनियम तथा दिशानिर्देश इसके ऊपर लागू नहीं हैं :
- (क) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सब्सटेंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) रेगुलेशन, 2011,
- (ख) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन, 1992,
- (ग) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (ईश्यु ऑफ कैपिटल एण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट) रेगुलेशन, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
- (घ) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम एण्ड एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम) गाइडलाइन्स, 1999 (अवधि के दौरान कंपनी पर क्लॉज लागू नहीं है),
- (ङ) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (ईश्यु एण्ड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज) रेगुलेशन, 2008 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है),
- (च) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (रजिस्ट्रार टू ऐन ईश्यु एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेण्ट्स) रेगुलेशन 1993, कंपनी अधिनियम 2013 एवं ग्राहक के साथ डीलिंग के संबंध में।
- (छ) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन, 2009 (कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों को किसी स्टॉक एक्सचेंज से समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान न तो डीलस्ट किया है न ही डीलस्टिंग का प्रस्ताव दिया है) और
- (ज) दि सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज) रेगुलेशन, 1998 (कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि कंपनी अपने इक्विटी शेयरों को समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान न तो किया है और न ही बाई बैक का प्रस्ताव दिया है)।
- (vi) कंपनी (रेल मंत्रालय के अधीन एक केन्द्र सरकार का उपक्रम) कोलकाता में रेल आधारित “ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर” के क्रियान्वयन से जुड़ी है। प्रबंधन द्वारा जैसा चिह्नित किया गया है, निम्नलिखित विशिष्ट लॉ इस पर लागू हैं :
- क) श्रम कानून
- ख) भविष्य निधि
- ग) विभिन्न कानूनों के अधीन कार्यस्थल पर मूलभूत सुरक्षा का प्रावधान एवं स्वास्थ्य प्रावधान
- घ) समान पारिश्रमिक संबंधी कानून
- च) पर्यावरण संबंधी कानून।

हमने निम्नलिखित के लागू क्लॉजों के अनुपालन की भी जाँच की है :

- (i) दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक (10 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं था।
- (ii) कंपनी ने अपने द्वारा जारी सिक्योरिटीज (शेयरों) के संबंध में किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीबद्धता करार नहीं किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित अवलोकन के :

अधिनियम की धारा 149(4) तथा कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन निर्धारित अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेख के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेख पर अपने विचार व्यक्त करें।

2. हमने लेखा परीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है, जैसा कि सचिवीय अभिलेखों की विषय वस्तु की सत्यता के संबंध में हम उचित आश्वासन पाने के लिए उचित हो। टेस्ट के आधार पर सत्यापन किया गया ताकि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य का प्रदर्शित होना सुनिश्चित किया जा सके। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धति एवं प्रक्रिया हमारे अभिमत को यथोचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कम्पनी के लेखा खातों तथा वित्तीय अभिलेखों की सच्चाई तथा औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगमित एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच टेस्ट के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा न तो कंपनी की भावी जीवनक्षम के रूप में कोई आश्वासन है और न ही गुण या प्रभावशीलता है, जिनके साथ प्रबंधन कम्पनी के कार्यों को संचालित करता है।

हम आगे भी रिपोर्ट देते हैं कि-

कंपनी का निदेशक मण्डल कार्यकारी निदेशकों, गैर-अधिकांशी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित किया गया है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के जैसा कि ऊपर कहा गया है। निदेशक मण्डल के गठन में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुआ है, उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

समस्त निदेशकों को बोर्ड की बैठक की अनुसूची, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट के लिए पर्याप्त सूचना कम से कम सात दिन पहले भेज दी गयी थी तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए बैठक के पूर्व कार्यसूची के आइटमों पर और अधिक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं माँगने की एक प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णय तभी लिए गए जब असंतुष्ट सदस्यों के विचार (यदि कोई हो) लिए गए तथा कार्यवृत्त के अंश के रूप में दर्ज किए गए।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि- लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं निगरानी रखने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नकद के समकक्ष 26.05.2016 को ₹ 10 प्रत्येक के 10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा 25.01.2017 को रु. 10 प्रत्येक के 7.50 करोड़ इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय के खाते) को जारी एवं आवंटित किए हैं।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 30 नवम्बर, 2017



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
Railway Production Units and Metro Railway
NKG Building (5th Floor), 14, Strand Road
Kolkata – 700 001.

सं.: आरपीयू एण्ड एमआर/केएमआरसीएल/2017-18/1438

दिनांक: 26.12.2017

प्रति

प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

केएमआरसीएल भवन

(एचआरबीसी कार्यालय परिसर)

मुंशी प्रेमचंद सरणी

कोलकाता-700021

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अधीन कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न की जा रही हैं।

भवदीय

Aati
26/12/17

(सतीश कुमार गर्ग)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सर्वश्री कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (केएमआरसीएल), कोलकाता का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखांकन और आश्वासन मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। यह बताया गया है कि अपने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार ऐसा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सर्वश्री कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अधीन की है। पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील कागजात के एकसेस के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा प्रारंभिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और लेखा अभिलेखों की कुछ चुनी हुई परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो मेरे ध्यान में आया है तथा वित्तीय विवरण एवं उससे संबद्ध लेखा परीक्षा को बेहतर समझने में सहूलियत के लिए मेरे विचार से आवश्यक है।

(क) तुलन-पत्र

परिसंपत्तियाँ

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ-पूँजी कार्य प्रगति पर (द्रष्टव्य सं.7) रु. 2346.35 करोड़

उपर्युक्त रकम में रु. 20.97 करोड़ भी शामिल है, जिसे वैट की दिशा में ठेकेदारों को प्रतिपूर्ति की गयी है। चूँकि रकम पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्य थी, अतः उसे पूँजी कार्य प्रगति पर के अन्तर्गत शामिल करना सही नहीं था, जिसके फलस्वरूप पूँजी कार्य प्रगति पर में अधिक दिखाया गया है तथा पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्य रकम में रु. 20.97 करोड़ कम दिखाया गया है।

देयताएँ

इक्विटी एवं देयताएँ-इक्विटी-अन्य इक्विटी (द्रष्टव्य सं.14) रु. 364.14 करोड़

उपर्युक्त रकम में रु. 99.00 करोड़ तथा रु. 96.00 करोड़ की रकम शामिल है, जो ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण क्रमशः आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ था।

स्वीकृति की शर्तों के अनुसार -

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का ऋण वर्ष 2021-25 के दौरान पुनर्भुगतान योग्य है, वरिष्ठ ऋण का पूरी तरह से पुनर्भुगतान के बाद।
- पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण के संबंध में पुनर्भुगतान की शर्तें कंपनी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ तय की जानी चाहिए थी।

इसप्रकार दोनों ऋणों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे पुनर्भुगतानयोग्य हैं तथा इक्विटी के निर्गम के संबंध में स्वीकृति में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, उपर्युक्त ऋण को गैर-वर्तमान देयताओं के अधीन शामिल किया जाना चाहिए था। अन्य इक्विटी के अधीन उस रकम को शामिल करने के फलस्वरूप उसे अधिक दिखाया गया है और गैर-वर्तमान देयताएँ रु. 195.00 कम दिखाया गया है।



KMRC

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ (द्रष्टव्य सं. 18) पूँजीगत माल के लिए लेनदार रु. 73.58 करोड़

उपर्युक्त रकम ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए बनाये गए बिल दर्शाए गए हैं, एक वर्ष के भीतर देय हैं (करार के अनुसार 30 दिन)। अतः यह वर्तमान देयताओं की प्रकृति का है। उसे गैर-वर्तमान देयताएँ मानने के फलस्वरूप उसे अधिक दिखाया गया है तथा वर्तमान देयताएँ रु. 73.58 करोड़ कम दिखाई गई हैं।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017

सतीश कुमार गर्ग
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

द्रष्टव्य: इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

S. K. Naredi & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

Ground Floor, Apsara Apartments, 67, Park Street, Kolkata-700 016
Phone : 033-2226 8433, Email-rashmi.c@sknaredi.com, Website : www.sknaredi.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

प्रति: सदस्यगण,
कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें शामिल हैं- 31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण, तथा उस तारीख को समाप्त इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (इसके बाद इंड एएस वित्तीय विवरण कहा गया है)।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) के संदर्भ में लेखा मानकों तथा अधिनियम की धारा 133 तथा उसके साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के अधीन वर्णित लेखा मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की एएस वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकद प्रवाह का सही एवं साफ-सुथरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के (भारतीय लेखा मानक नियम, 2015 सहित यथा संशोधित इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है।

जिम्मेदारी में ये भी शामिल हैं - इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोगी निर्णय लेना और अनुमान करना जो उचित एवं साक्ष्य हो और आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन तथा रखरखाव, जो कि लेखों अभिलेखों की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं तथा इंड एएस वित्तीय विवरण के तैयार करने एवं प्रस्तुति से संबंधित हैं, जो सही एवं साफ-सुथरी छवि देती हो एवं ठोस झूठे वक्तव्यों से मुक्त हो, चाहे वह गलती से हो या धोखाधड़ी से।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंकेक्षण के आधार पर इन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करें।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को लेखा एवं अंकेक्षण मानक तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में शामिल करना आवश्यक है।

हमने भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी अंकेक्षण मानक के अनुसार अपना अंकेक्षण किया है जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) में उल्लिखित है। उन मानकों में इस बात की जरूरत है कि हम नैतिक जरूरतों व योजनाओं को पूरा करें तथा अंकेक्षण करें, ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण ठोस झूठे वक्तव्य से मुक्त हो।

एक ऑडिट में वित्तीय विवरणों का खुलासा तथा रकम के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य हासिल करने के लिए प्रक्रियाओं का कार्यनिष्पादन जुड़ा होता है। चुनी गयी प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के ठोस झूठे वक्तव्यों के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी से हुई हो या फिर गलती से। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो अंकेक्षण पद्धति की डिजाइन करने के लिए जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हों और सही एवं साफ सुथरी तस्वीर पेश करे। परन्तु यह मत व्यक्त करने के लिए नहीं कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर क्या पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल सिस्टम है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशीलता चल रही है। वित्तीय विवरणों का कंपनी द्वारा तैयार करना तथा साफ सुथरा प्रस्तुत करना जुड़ा होता है। इस्तेमाल की गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमान का औचित्य और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी अंकेक्षण में शामिल होते हैं।

हमें विश्वास है कि हमें जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण मत के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

मत

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा वांछित जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में इंड एएस सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुपालन में सही एवं सत्य तस्वीर पेश करते हैं : 31 मार्च, 2017 को यथा-स्थित कंपनी की कार्य स्थिति का, इसके लाभ व हानि विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए इस के नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन का।

जोर दिए जाने वाले मसले

हम वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य में संदर्भित मामलों को सदस्यों के ध्यान में लाना चाहते हैं :

- (क) द्रष्टव्य 15.4 - जेआईसीए से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान में हुई चूक के लिए ओवरड्यू चार्जों का गैरो प्रावधान, जो कि प्रबंधन के अनुसार वित्त मंत्रालय के लिए सेवा दी जाती है, जो कि वित्त मंत्रालय से पुष्टि के अधीन है।
- (ख) द्रष्टव्य सं. 25 - विभिन्न व्ययों की दिशा में पार्टी द्वारा दावा पार्टी के साथ निपटारे के अधीन है जिसका परिणाम लेखा परीक्षा की तारीख को अनिश्चययोग्य है।
- (ग) द्रष्टव्य सं. 39 - पार्टियों से जमा व नामे का शेष मिलान व पुष्टि के अधीन, उसके परिणाम संबंधी प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित रह जाता है।

अन्य विधिक एवं विनियम संबंधी आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2016 ("आदेश") के द्वारा यथापेक्षित अधिनियम की धारा 143(11) के शर्तानुसार भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश के पैरा 3 व 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर हम अनुलग्नक - ए विवरण संलग्न कर रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा यथापेक्षित हम निम्नलिखित प्रतिवेदन देते हैं :-
 - (क) हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण माँगी है तथा हमें प्राप्त हुए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए जरूरी थे।
 - (ख) हमारी राय में, जहाँ तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, विधिसम्मत समुचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गयी हैं।
 - (ग) तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, जो इस प्रतिवेदन द्वारा संव्यवहृत हैं, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (घ) हमारी राय में, इस प्रतिवेदन द्वारा संव्यवहृत इंड एस वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 एवं कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 में उल्लिखित लेखा मानदण्डों का अनुपालन करता है।
 - (ङ) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी गजट सूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुपालन में लागू नहीं है।
 - (च) दिनांक 31 मार्च, 2017 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अभिलेख में लिया गया, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2017 को अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अधीन निदेशक के रूप में चुने जाने के अयोग्य नहीं हैं।
 - (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता हमारे अलग प्रतिवेदन अनुलग्नक-बी में संदर्भित है, तथा
 - (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
 - (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है। वित्तीय विवरण का द्रष्टव्य 26 देखें।
 - (ii) कंपनी के पास कोई दीर्घकालीन करार नहीं है, व्युत्पन्न करारों सहित, उसपर उत्पन्न होने वाली कोई ठोस अदृश्य हानियों पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता
 - (iii) कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक हो।
 - (iv) कंपनी के पास कोई विशिष्ट बैंक नोट अथवा अन्य मुद्रांकन नोट नहीं है, जैसा कि विशिष्ट बैंक नोट के विवरण पर एमसीए अधिसूचना सं. जीएसआर 308 (ई) दिनांक 31 मार्च, 2017 में परिभाषित है तथा 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के बीच लेन-देन किया गया हो। अतः इसके इंड एस वित्तीय विवरणों में प्रावधान की घोषणा आवश्यक नहीं है। देखें इंड एस वित्तीय विवरण का नोट 35।

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 003333 सी

अभिजित बोस

भागीदार

सदस्यता सं. 056109

स्थान: कोलकाता

दिनांक : 20.09.2017

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-ए

यह अनुलग्नक स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन से संदर्भित है जो 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एस वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को संबोधित प्रतिवेदन है।

इस प्रकार की जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित पाया है तथा हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गयी सूचना तथा जानकारी के आधार पर हम सूचित करते हैं कि -

- (i) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति के साथ के परिमाणात्मक विवरण, पूर्ण ब्योरा प्रदर्शित करते हुए स्थायी परिसंपत्तियों का उचित अभिलेख रखा है।
जैसा कि हमें बताया गया सभी स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया परन्तु प्रबंधन द्वारा अंतराल पर सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में यथोचित है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है रु. 4203.01 लाख मूल्य की फ्री होल्ड जमीन से जुड़ी स्थायी परिसंपत्तियों की टाइटिल डीड कंपनी के नाम में नहीं है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जमीन का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया तथा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा उसके कब्जे के लिए दे दिया गया।
- (ii) लेखा परीक्षा के अधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई व्यापार तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं की हैं, अतः वस्तुसूची रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।
- (iii) हमारी लेखों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत रजिस्टर में सूचीभुक्त कंपनियों, प्रतिष्ठानों सीमित दायित्व भागीदारी तथा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत कंपनी ने मंजूर नहीं किया है। अतः ऑर्डर को क्लॉज iii (क) तथा iii (ख) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करायी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के संबंध में कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है, निवेश नहीं किया है तथा कोई गारंटी सिक्क्योरिटी प्रदान नहीं की है।
- (v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 76 के अधीन कवर होता है। अतः क्लॉज 3(v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- (vi) कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) की उपधारा (1) के अधीन कंपनी के उत्पाद एवं सेवा के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए केन्द्र सरकार ने प्राधिकृत नहीं किया है, जैसा कि हमें बताया गया है।
- (vii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों एवं अभिलेखों के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर हमारी राय में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, पेशा कर, सर्विस टैक्स, वैल्यू ऐडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सेस तथा अन्य सांविधिक अविवादित देयों, जैसा लागू है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें सूचित लिए गए अनुसार कंपनी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम तथा केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी के अधीन कवर नहीं होती है।
(ख) हमें दी गयी सूचना एवं जानकारी के अनुसार भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, वैल्यू ऐडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेस तथा अन्य ऐसे सांविधिक देयों का कोई पिछला बकाया 31 मार्च, 2017 तक शेष नहीं है, जो कि देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय से बकाया है।
(ग) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर एवं सेवा कर एवं टीडीएस का ठोस बकाया है, जिसे विवादित होने के कारण जमा नहीं किया गया 31 मार्च, 2017 तक बकाया विवादित सेवा कर। टीडीएस तथा आयकर जिसे जमा नहीं दिया गया

है अथवा प्रतिवाद के अधीन जमा दिया गया है उन्हें नीचे दिया जा रहा है :

अधिनियम का नाम	बकाए की प्रकृति	रकम (रु. में)	रकम जिस अवधि से सम्बंधित है	मंच जहाँ विवाद लम्बित है
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	11,31,842	आ.व. 2010-11	अपीलेट ट्रिब्यूनल 'सी' बेंच
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	36,25,100	आ.व. 2011-12	अपीलेट ट्रिब्यूनल 'बी' बेंच
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	2,79,075	आ.व. 2014-15	सीआईटी(अपील्स) कोलकाता
वित्तीय अधिनियम 1994	सेवा कर	18,54,944	वि.व. 2009-10 से 2012-13	अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर अपील्स (11), सेण्ट्रल एक्साइज

- (viii) कंपनी ने किसी वित्तीय प्रतिष्ठान या बैंक, या डिबेंचर से कोई ऋण नहीं लिया है। सिवाय जापान इंटरनेशनल को - ऑपरेशन एजेंसी (JICA) से ऋण के।
- करार में बताया गया है कि बकाया देय रकम के 2% की सीमा तक ब्याज, ओवरड्यू चार्ज के भुगतान में विलम्ब के मामले में वह रकम भी देय है। अभी तक कंपनी ने किए गए प्रावधान से कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया है तथा बकाया रकम के इसप्रकार गैर-भुगतान की सीमा तक ओवरड्यू चार्ज का खातों में प्रावधान नहीं किया गया है (देखें द्रष्टव्य 15.4)।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम या आगे सार्वजनिक ऑफर (ऋण दस्तावेज सहित) तथा सावधि ऋणों के माध्यम से किसी रकम की उगाही नहीं की है। आगे, हमारे विचार से तथा हमें दी गयी स्पष्टीकरण के अनुसार जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी के तहत भारत सरकार से ऋण तथा भारत सरकार से और पश्चिम बंगाल सरकार से अधीनस्थ उधार उस उद्देश्य के लिए लागू है जिसके लिए ऋण एवं अधीनस्थ उधार लिए गए थे।
- (x) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी के ऊपर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई ठोस धोखाधड़ी ध्यान में नहीं आई है या सूचित नहीं की गयी है।
- (xi) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पठित धारा-197 के प्रावधानों द्वारा जरूरी वांछित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है / प्रावधान किया है।
- (xii) हमारे मत से तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार ऑर्डर का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617) के आशय के अन्दर कंपनी एक सरकारी कंपनी है तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 तथा 127 के अनुपालन में संबद्ध पार्टियों के साथ लेन देन, जहाँ कहीं लागू है तथा ऐसे लेन देन का विवरण वित्तीय विवरणों में घोषित किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा वांछित है।
- (xiv) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई शेयरों का प्रेफरेंशियल अथवा निजी प्लेसमेण्ट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनशील डिबेंचरों का आवंटन नहीं किया है।
- (xv) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी करार नहीं किया है। तदनुसार ऑर्डर का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं है।
- (xvi) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1A का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003333 सी

अभिजित बोस
भागीदार
सदस्यता सं. 056109

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 20.09.2017

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-बी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के क्लॉज (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन हमने कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि० ("कंपनी") की 31 मार्च, 2017 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है, जो कि उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबद्ध है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पात्रता के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी स्थापना कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। इन दायित्वों में शामिल है पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव, जो कि इसके व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए असरदार तरीके से कार्य कर रहे थे। इनमें शामिल है कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा भूल एवं धोखाधड़ी को दूढ़ना एवं उसकी रोकथाम लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं सटीकता तथा भरोसेमंद वित्तीय सूचनाओं की तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में वांछित है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व है कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना विचार व्यक्त करना, जो कि संचालित की गयी मेरी/हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) तथा ICAI द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन उल्लिखित माना गया, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की सीमा तक हो, तथा जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू हो एवं जिन दोनों को भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं दिशा निर्देशों में वांछित है कि यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाएं एवं कार्य करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा रखरखाव किया गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी ठोस संबंध में असरदार तरीके से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में शामिल है - वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का संचालन और उनका असरदार तरीके से परिचालन। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल है - वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिमों का आकलन करना कि कोई ठोस कमजोरी विद्यमान है तथा आकलित जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता की जांच एवं मूल्यांकन करना। चुनी गयी प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है - जिसमें शामिल है इंड एएस वित्तीय विवरणों की ठोस बयानबाजी की जोखिम का आकलन चाहे वह गलती से हो अथवा धोखाधड़ी से।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने पाया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त एवं यथोचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जिसकी डिजाइन आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल है - वे नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ जो

- (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के डिस्पोजिशन एवं लेन-देन को सटीक व सही तरीके से दर्शाए,
- (2) यथोचित आश्वासन प्रदान करे कि लेन-देन को दर्ज किया गया है जैसा कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथा आवश्यक है तथा कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय को सिर्फ कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकरण के

अनुसार किया गया है, तथा (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों के डिस्पोजिशन या इस्तेमाल, अनधिकृत अधिग्रहण को समय पर ढूढ़ निकालने एवं रोकथाम के लिए यथोचित आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर ठोस प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, नियंत्रण के ऊपर अनुचित प्रबंधकीय ओवरराईड या कोल्यशन की संभावना सहित, गलती या धोखाधड़ी के कारण ठोस बयानबाजी घट सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में गिरावट आ सकती है।

मत

हमारे मत में कंपनी के पास सभी तरह से परिपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2017 को असरदार तरीके से चल रहे थे, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पात्रता के आधार पर था, जिसे कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापना की गयी है, जैसा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित है।

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 003333 सी

अभिजित बोस

भागीदार

सदस्यता सं. 056109

स्थान: कोलकाता

दिनांक : 20.09.2017

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वार्षिक लेखा 2016-17

**KMRC**

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	(राशि रु. में) 31 मार्च, 2015
परिसंपत्तियाँ				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
(क) संपत्ति, प्लॉट एवं उपकरण	6	464,528,611	466,014,181	444,607,871
(ख) चालू पूँजी कार्य	7 एवं 8	23,463,496,307	18,472,255,732	16,937,998,881
(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ऋण एवं प्राप्य		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	5,306,101	5,288,906	5,316,211
(घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		-	-	-
(च) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	10	2,347,284,354	2,535,108,000	1,789,786,214
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		26,280,615,373	21,478,666,820	19,177,709,177
वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
(क) वस्तु सूचियाँ		-	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	11	6,980,734,103	6,336,578,878	6,277,728,528
(iv) बैंक शेष उपर्युक्त (iii) के अलावा		-	-	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	56,564,426	229,118	180,022
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	12	(5,289,431)	69,496,886	(4,148,540)
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		7,032,009,098	6,406,304,882	6,273,760,010
कुल परिसंपत्तियाँ		33,312,624,471	27,884,971,701	25,451,469,187
इक्विटी एवं देयताएँ				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	13	10,605,000,000	8,855,000,000	5,855,000,000
(ख) अन्य इक्विटी	14	3,641,437,717	3,479,535,389	4,950,000,000
कुल इक्विटी		14,246,437,717	12,334,535,389	10,805,000,000
देयताएँ				
गैर-वर्तमान देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	15	15,157,692,910	11,697,867,784	10,659,807,637
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	16	2,288,622,667	2,120,816,438	1,965,756,893
(ख) प्रावधान	17	2,126,063	1,328,177	1,485,630
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	18	1,207,933,435	863,982,936	1,115,585,188
कुल गैर-वर्तमान देयताएँ		18,656,375,075	14,683,995,335	13,742,635,348
वर्तमान देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार		-	-	-
(ii) व्यापार देयताएँ		-	-	-
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	19	409,811,679	866,440,977	903,833,839
कुल वर्तमान देयताएँ		409,811,679	866,440,977	903,833,839
कुल देयताएँ		19,066,186,754	15,550,436,312	14,646,469,187
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		33,312,624,471	27,884,971,701	25,451,469,187

वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य 1 से 41

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं० 003333सी

अभिजित बोस
भागीदार
सदस्यता सं० 056109

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.09.2017

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

सुधीर अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07921451

डी. नन्दी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एच. के. साहु
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 05174575

एस. एन. मुखर्जी
कंपनी सचिव



कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ व हानि का विवरण

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
आय			
परिचालन से आय		-	-
अन्य आय	20	366,352,384	347,178,046
कुल आय		366,352,384	347,178,046
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	44,321,797	30,415,689
मूल्य हास एवं परिशोधन व्यय	6	6,285,458	5,618,573
अन्य व्यय	22	27,051,586	21,167,440
कुल व्यय		77,658,841	57,201,702
कर पूर्व लाभ		288,693,543	289,976,344
कर व्यय			
वर्तमान कर		126,755,512	48,773,327
अवधि का लाभ/(हानि)		161,938,031	241,203,017
अन्य वृहद आय			
आइटम जिसे लाभ व हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा ग्रैच्युटी योजना पर पुनः माप लाभ/(हानि)		(35,703)	232,372
शुद्ध अन्य वृहद आय-लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाए		(35,703)	232,372
अवधि की कुल वृहद् आय, शुद्ध कर		161,902,328	241,435,389
मूल आय प्रति इक्विटी शेयर	29	0.31	0.33
वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य	1 से 41		

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं० 003333सी

अभिजित बोस

भागीदार

सदस्यता सं० 056109

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 20.09.2017

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

सुधीर अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07921451

डी. नन्दी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

एच. के. साहु

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 05174575

एस. एन. मुखर्जी

कंपनी सचिव

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	रकम रु. में
1 अप्रैल, 2015 को शेष	5,855,000,000
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन इक्विटी शेयरों का नया आवंटन	3,000,000,000
31 मार्च, 2016 को शेष	8,855,000,000
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन इक्विटी शेयरों का नया आवंटन	1,750,000,000
31 मार्च, 2017 को शेष	10,605,000,000

ख) अन्य इक्विटी

विवरण	अन्य इक्विटी			कुल इक्विटी इक्विटी धारकों को आर्टिब्यूटेबल
	आवंटन लंबित शेयर आवेदन रकम	कंपाउण्ड वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी कंपोनेण्ट	आरक्षित एवं अतिरेक रखी गयी आय	
1 अप्रैल, 2015 को शेष	3,000,000,000	1,950,000,000	-	4,950,000,000
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	241,203,017	241,203,017
अन्य वृहद् आय	-	-	232,372	232,372
वर्ष के लिए कुल वृहद् आय	-	-	241,435,389	241,435,389
मालिकों के साथ लेन देन, मालिक के रूप में उनकी क्षमता में इक्विटी शेयरों का निर्गम	(3,000,000,000)	-	-	(3,000,000,000)
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
अधीनस्थ ऋण कोष प्राप्त	-	288,100,000	-	288,100,000
31 मार्च, 2016 को शेष	1,000,000,000	2,238,100,000	241,435,389	3,479,535,389
वर्ष का लाभ	-	-	161,938,031	161,938,031
अन्य वृहद् आय	-	-	(35,703)	(35,703)
वर्ष के लिए कुल वृहद् आय	-	-	161,902,328	161,902,328
मालिकों के साथ लेन-देन, मालिक के रूप में उनकी क्षमता में इक्विटी शेयरों का निर्गम	(1,750,000,000)	-	-	(1,750,000,000)
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	1,750,000,000	-	-	1,750,000,000
अधीनस्थ ऋण कोष प्राप्त	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	1,000,000,000	2,238,100,000	403,337,717	3,641,437,717

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं० 003333सी

अभिजित बोस
भागीदार
सदस्यता सं० 056109

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.09.2017

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

सुधीर अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07921451

डी. नन्दी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एच. के. साहु
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 05174575

एस. एन. मुखर्जी
कंपनी सचिव

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रकम रु. में)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (रकम रु. में)
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर एवं आसाधारण आइटमों से पूर्व शुद्ध लाभ	288,693,543	289,976,344
निम्न के लिए समायोजन :		
OCI के जरिए ग्रेच्युटी	(35,703)	232,372
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	6,285,458	5,618,573
ब्याज से आय	(366,260,726)	(347,027,514)
परिसंपत्तियों की बिक्री / निवेश से हानि/(लाभ)	15,549	-
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ	(71,301,879)	(51,200,225)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन :		
अल्पकालीन प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	797,886	(157,453)
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(456,629,298)	(37,392,862)
गैर-चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	343,950,499	(251,602,252)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(17,195)	27,305
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)-आईटी	(3,195,868)	(63,849,753)
वित्तीय परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	(56,335,308)	(49,096)
प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न नकद	(242,731,163)	(404,224,336)
आयकर भुगतान	(48,773,327)	(58,569,000)
प्रचालन से शुद्ध नकद प्रवाह (क)	(291,504,490)	(462,793,336)
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :		
प्राप्त ब्याज	366,260,726	347,027,514
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(4,910,437)	(27,024,883)
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद - पूँजी WIP	(4,991,240,574)	(1,534,256,851)
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (कमी)/वृद्धि	187,823,646	(745,321,786)
वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि	167,806,229	155,059,545
निवेश की खरीद/बिक्री से शुद्ध रकम	95,000	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	(4,274,165,410)	(1,804,516,461)
ग) वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
शेयर पूँजी जारी से प्राप्त रकम	1,750,000,000	3,000,000,000
ब्याज मुक्त अधीनस्थ वकाये से रकम	-	288,100,000
दीर्घकालीन उधार से प्राप्त रकम	3,459,825,126	1,038,060,147
दीर्घकालीन उधार का पुनः भुगतान	-	-
शेयर आवेदन मनी प्राप्त	-	(2,000,000,000)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग)	5,209,825,126	2,326,160,147
घ) नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध (क+ख+ग)	644,155,226	58,850,350
ङ) वर्ष की शुरुआत में नकद तथा नकद समतुल्य	6,336,578,878	6,277,728,528
त) वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य	6,980,734,104	6,336,578,878

- 1 नकद प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष पद्धति से तैयार किया गया है, जैसा लेखा मानक (एएस)-3 नकद में निर्धारित किया गया है।
- 2 परिसंपत्तियों की खरीद में शामिल है वर्ष के दौरान पूँजी कार्य में प्रगति की हलचल।
- 3 वर्ष के अंत में नकद या नकद समतुल्य दर्शाता है नकद व बैंक शेष।
- 4 पिछले वर्ष के ऑकड़े पुनः समूहीकृत वर्गीकृत किए गए हैं, जहां कही लागू है।

वित्तीय विवरण के संलग्न दृष्टव्य

1 से 41

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

 कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण सं० 003333सी

अभिजित बोस

भागीदार

सदस्यता सं० 056109

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 20.09.2017

 सुधीर अग्रवाल
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन 07921451

 डी. नन्दी
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

 एच. के. साहू
 निदेशक (वित्त)
 डीआईएन 05174575

 एस. एन. मुखर्जी
 कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य

1. निगमित सूचनाएँ

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) जिसका सीआईएन : U60100WB2008GOI27338 है, की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 09.07.2008 को की गयी थी तथा यह एक सरकारी कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617) के आशय के अन्तर्गत है। कंपनी ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर परियोजना के कोलकाता, पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन से जुड़ी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में अवस्थित है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुपालन के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अधीन अधिसूचित किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक, कंपनी ने अपना वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैराग्राफ 7 (इसके बाद जिसे 'पिछला जीएएपी' कहा गया है) के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार करती रही है। ये कंपनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण हैं। इंड एएस में संक्रमण की तारीख है 1 अप्रैल, 2015। कंपनी द्वारा पहली बार अंगीकरण के लिए लाभ ली गयी छूटों का विवरण द्रष्टव्य सं० 3 में देखें।

2.2 लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत, जीविकात्मक एवं चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय इंस्ट्रुमेंटों के, जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उचित मूल्यों पर मापा जाता है। ऐतिहासिक लागत आमतौर पर मुआवजा के आधार पर होता है, जिसे माल एवं सेवाओं के बदले में दिया जाता है। समस्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कंपनी के सामान्य ऑपरेटिंग चक्र तथा अन्य पात्रता के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के डिविजन-II में निर्धारित किया गया है। प्रकृति तथा प्रक्रिया के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकद अथवा नकद समतुल्य में वसूली के बीच समय के आधार पर कंपनी ने वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए 12 महीने का अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

2.3 अनुमानों का प्रयास

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमान, निर्णय एवं आकलन करने की जरूरत होती है। ये अनुमान, निर्णय तथा आकलन लेखा नीतियों तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सूचित रकम, आकस्मिक परिसंपत्तियों की घोषणा और वित्तीय विवरण की तारीख पर देयताओं, राजस्व की सूचित रकम एवं अवधि के दौरान व्यय की प्रयोज्यता को प्रभावित करते हैं। ऐसे अनुमानों के उदाहरण में शामिल हैं स्थायी परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत तथा उपयोगी जीवन, निर्माण आदि के समय व्यय। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकता है। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित हो सकता है, जिसमें परिवर्तन किया गया है। यदि परिवर्तन हो जाता है, तो उसका प्रभाव वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य में प्रकट किया जा सकता है।

3 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

3.1 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त अथवा प्रायः मुआवजा के सही मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसम्पत्ति से ब्याज आय की पहचान तब की जाती है, जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होगी तथा आय की रकम को निर्भरयोग्य तरीके से मापा जा सकता है।

निर्माण कार्य के लिए निविदा कागजातों की बिक्री से आय को पूँजीकरण के लिए लंबित व्यय से घटा दी जाती है।

ठेकेदारों से वसूले गए लाभबंदी अग्रिम पर ब्याज को चल रहे पूँजीगत कार्य में वर्णित संबंधित ठेके के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

बैंक से अल्पकालीन जमा पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में माना जाता है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

3.2 विदेशी मुद्राएँ

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी के कार्यशील मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राएँ (विदेशी मुद्राएँ) लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर स्वीकार की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्राओं में लिखित मॉनीटरी आइटमों को उस तारीख को प्रचलित दर पर पुनः परिवर्तित किया जाता है। गैर-मॉनीटरी आइटम, जिसे ऐतिहासिक लागत के रूप में विदेशी मुद्रा में मापा जाता है, उन्हें पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े मॉनीटरी आइटमों पर विनिमय फर्क को पूँजीकरण से पूर्व संबद्ध स्थायी परिसंपत्ति/चालू पूँजीगत कार्य के वहन लागत के साथ समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय फर्क को उस अवधि में लाभ व हानि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे होती हैं।

3.3 उधार की लागत

उधार की लागत जो सीधे अधिग्रहण, निर्माण अथवा योग्य परिसंपत्तियों के उत्पादन से सीधे जुड़ी है, जो वह परिसंपत्ति है जो बिक्री अथवा प्रयोग की उनकी इच्छा के लिए तैयार होने में काफी समय लगने की जरूरत होती है, उन्हें उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है, उस समय तक जब वे बिक्री या प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार न हो जाए।

अन्य सभी उधार की लागत को उस अवधि के लाभ हानि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे घटती हैं।

3.4 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण :

कंपनी के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान हेतु प्रावधान को लेखाबद्ध किया जाता है। छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी के स्थायी कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

प्रतिनियुक्तियों के संबंध में कर्मचारियों को बकाये लाभ का भुगतान उनकी संस्था/नियोक्ता (जहाँ से वे आए हैं) को किया जाता है, जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर होता है। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के पेंशन अंशदान तथा छुट्टी वेतन को उनकी संबंधित संस्था को उनके मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ग्रेच्युटी :

कंपनी ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान करती है, जो एक पारिभाषित सेवानिवृत्ति योजना है (ग्रेच्युटी योजना) जिसमें सभी पात्र कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता अथवा नियोजन से बर्खास्तगी पर निहित कर्मचारियों को एक मुरत राशि भुगतान करती है, जो कंपनी में संबंधित कर्मचारी के वेतन एवं नियोजन की अवधि पर निर्भर होती है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएँ वास्तविक मूल्यांकन, स्वतंत्र वेतन द्वारा कार्यनिष्पादन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो "प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट" पद्धति का प्रयोग कर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर होता है।

पुनर्माप, जिसमें वास्तविक लाभ व हानि तथा प्लान एसेट्स पर रिटर्न शामिल होते हैं (शुद्ध ब्याज को छोड़ कर) तुलन-पत्र में तुरंत दर्शाया जाता है, चार्ज या दूसरे वृहद् आय में चिह्नित क्रेडिट के साथ उस अवधि में, जिसमें वे घाटती हैं।

पुनर्माप अन्य वृहद् आय में चिह्नित रखी गयी आय में तुरंत दर्शायी जाती हैं। लाभ व हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती है। शुद्ध ब्याज की गणना उस अवधि के शुरू में छूट दर का उपयोग करके की जाती है, जो कि शुद्ध परिभाषित लाभ देयताएं अथवा परिसंपत्तियाँ की होती हैं।

3.5 कराधन :

आपकर व्यय वर्तमान में देय एवं आस्थगित कर की रकम का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर :

वर्तमान में देय कर वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित होता है। कर योग्य लाभ कर पूर्व लाभ से अलग होता है, जैसा कि लाभ व हानि के विवरण में सूचित किया गया है, जिसका कारण है आय व व्यय के आइटम जो अन्य वर्षों में कर योग्य या काटने योग्य हैं तथा वे आइटम जो

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

कभी भी कर योग्य या काटने योग्य नहीं है। कंपनी के वर्तमान कर की गणना कर की दर का प्रयोग कर किया जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाद में निष्क्रिय कर दिया जाता है या पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया है।

वर्तमान तथा पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर को, अभुगतान की सीमा तक, देयता के रूप में चिह्नित किया जाता है। यदि वर्तमान तथा पूर्व अवधियों के संबंध में पहले ही भुगतान की गयी रकम उन अवधियों के लिए बकाया रकम से अधिक हो जाती है (वर्ष वार आकलन न कि संचयी), तो वह अधिक रकम परिसम्पत्ति के रूप में चिह्नित की जाती है।

चूँकि अदा किया गया कर तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर वसूल/पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः उसे गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर व्यय अथवा लाभ समय के फर्क पर चिह्नित किया जाता है जो कि करयोग्य आय और लेखा आय के बीच फर्क होता है, जो एक अवधि में निकलता है तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में वसूलीयोग्य होता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ चिह्नित नहीं होती हैं, यदि ऐसा होने की संभावना हो कि भावी करयोग्य लाभ निकट भविष्य में उपलब्ध हो, जिसके तहत उनकी वसूली की जा सकती है।

वर्ष हेतु वर्तमान एवं आस्थगित कर

वर्तमान एवं आस्थगित कर लाभ व हानि में चिह्नित किया जाता है। सिवाय तब जब वे उन आइटमों से जुड़े होते हैं, जो अन्य वृहद् आय या सीधे इक्विटी में चिह्नित होते हैं, जिसके मामले में वर्तमान एवं आस्थगित कर को भी अन्य वृहद् आय या सीधे इक्विटी में भी चिह्नित होते हैं।

3.6 सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण

सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण (फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन आदि सहित) को उत्पादन, या माल तथा सेवा की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्य से प्रयोग के लिए रखे जाते हैं, उन्हें तुलन-पत्र में लागत से संचित मूल्यहास क्षति की हानि को घटा कर दिखाया जाता है। अधिग्रहण की लागत में शामिल है - भाड़ा, ड्यूटी, कर एवं अन्य आनुषंगिक व्यय/प्री होल्ड जमीन पर मूल्यहास नहीं होता।

एनटिटी को IGAAP का प्रयोग करने का विकल्प दिया गया है, जो पीपीई तथा अगोचरों का मूल्य वहन करते हैं, जैसा संक्रमण अवधि को इंड एस के अधीन लागत माना जाता है। इस प्रकार एनटिटी ने कहने का विकल्प चुना कि पूँजीगत कार्य प्रगति पर, सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण लागत पर घटाएँ संचित मूल्य हास तथा हानि, यदि कोई हो। लागत जो अधिग्रहण से सीधे जुड़ा हुआ होता है जबतक कि सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण इस्तेमाल के लिए तैयार न हो जाएँ, जैसा कि प्रबंधन द्वारा चाहा जाय।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अधीन जरूरतों के अनुसरण में कंपनी ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर परिसंपत्तियों के प्रत्येक घटक की लागत को चिह्नित किया है तथा उस घटक की लागत नहीं होती है, जो परिसम्पत्तियों की कुल लागत में महत्वपूर्ण है तथा उपयोगी जीवन रखता है, अन्य शेष परिसंपत्ति से अलग।

गोचर परिसंपत्तियों की पहचान तब होगी, जब परियोजना वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार हो जाय तथा पूर्व-प्रचालन व्यय के विभाजन के बाद इंड एस 38 के अनुसार संव्यवद्धत तथा अन्य गोचर परिसंपत्तियों की पहचान करके किया जाएगा।

3.7 मूल्यहास :

कंपनी सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण का मूल्यहास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में उल्लिखित दर पर घटती हुई मूल्य पद्धति का प्रयोग करके करती है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान परिसम्पत्तियों को कार्य में लगाने की तारीख से किया जाता है।

परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन नीचे लिखे अनुसार है :

भवन - 60 वर्ष

एयर कंडीशन एवं अन्य - 10 वर्ष

कम्प्यूटर उपकरण - 3 वर्ष

मोटर वाहन - 8 वर्ष

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष

आईटी सिस्टम एवं नेटवर्किंग - 6 वर्ष

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमानित जीवन वास्तविक हैं तथा उस अवधि का उचित विभाजन प्रदर्शित करता है, जबतक परिसंपत्ति के प्रयोग होते रहने की संभावना है।

फ्री होल्ड जमीन पर मूल्यहास नहीं किया जाता।

3.8 पूँजी कार्य प्रगति पर

तुलन-पत्र की तारीख को निर्माण के अधीन परिसम्पत्तियों को पूँजी कार्य प्रगति पर के रूप में दर्शाया जाता है।

पूँजी कार्य प्रगति पर को निर्माण के अधीन पीपीई की प्रकृति तथा इसपर लागू इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुरूप माना जाता है। तदनुसार, इंड एस 101 के पैराग्राफ D7AA के अन्तर्गत विकल्प, विगत GAAP के अधीन वहन किए जा रहे मूल्य जारी रखने के लिए, जैसा लागत माना गया, पूँजी कार्य प्रगति के संबंध में भी उपलब्ध है।

निर्माण व्यय सलाहकारों को भुगतान की गयी फीस तथा अन्य सभी लागत घटाइए निर्माण के दौरान पूर्व-प्रचालन व्यय के साथ परियोजना को सीधे संबद्ध कोई आय, पूँजीकरण तक पूँजी कार्य प्रगति पर के रूप में दिखाया जाता है। उसे परिसंपत्तियों को कुल पूँजी कार्य प्रगति पर में पूँजीबद्ध परिसंपत्तियों के अनुपात में आवंटित किया जाता है। ब्याज एवं अन्य के रूप में ठेकेदारों से वसूली को पूँजीकरण लंबित निर्माण व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

संक्रमण तारीख यानी 1 अप्रैल 2015 को ली गयी पूँजी कार्य प्रगति पर की वहन रकम को लागत माना जाता है। इसप्रकार, समस्त आय और व्यय जो सीधे परियोजना में 1 अप्रैल 2015 के बाद व्यय किया जाता है, उसे आवंटन लंबित पूर्व-प्रचालन व्यय में अंतरित किया जाता है। शेष लाभ व हानि खाते से गुजारा जाता है।

3.9 गोचर (संपत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण) की हानि

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अन्त में कंपनी अपनी संपत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण की वहन की जा रही रकम की समीक्षा करती है, यह निश्चित करने के लिए कि उन परिसम्पत्तियों में किसी क्षय या हानि का संकेत तो नहीं है। यदि इसप्रकार का कोई संकेत मिलता है तो सम्पत्ति की वसूलीयोग्य रकम का अनुमान लगाया जाता है, ताकि क्षय या हानि की सीमा का निर्धारण किया जा सके (यदि कोई हो)। वसूली योग्य रकम है-उचित मूल्य से अधिक घटाइए निपटान लागत एवं प्रयोग में मूल्य।

3.10 उधार लागत :

इंड एस 23 बताता है की उधार लागत जो सीधे अधिग्रहण, निर्माण या योग्यता वाली परिसंपत्तियों के उत्पादन से जुड़ा है, परिसंपत्तियों की लागत का अंश बनाता है। अन्य उधार लागत को व्यय के रूप में चिह्नित किया गया है।

कंपनी की परियोजना का वित्तपोषण जापान इंटरनेशनल को ऑपरेटिव एजेंसी तथा सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। चूँकि यह उधार विशेष रूप से योग्यता वाली परिसंपत्तियों को पाने के उद्देश्य के लिए है, ब्याज लागत पूँजीकरण के लिए पात्र है, उसमें से उन उधारों के अस्थायी निवेश पर किसी निवेश आय को घटाइए।

ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के संबंध में, जहाँ कोई उधार लागत उत्पन्न नहीं होती है, इसप्रकार के उधार लिए गए कोष के निवेश से हुए ब्याज की आय उधार लागत के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, जिसे परिसंपत्तियों की लागत में पूँजीकृत किया जाना है। उसे लाभ-हानि विवरण में चिह्नित किया गया है।

3.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को तब चिह्नित किया जाता है, जब कंपनी के पास विगत घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान दायित्व है (कानूनी या रचनात्मक)। यह संभव है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करने की जरूरत हो। आकस्मिक देयताएँ चिह्नित नहीं की जाती हैं, परन्तु प्रबंधन के निर्णय के आधार पर नोट में प्रकट किया जाता है। आकस्मिकताएँ जिसकी संभावना क्षीण हो उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को तबतक चिह्नित नहीं किया जाता है, जबतक आकस्मिकताओं का समाधान नहीं हो जाता और रकम प्राप्त या प्राप्य नहीं हो जाती है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

3.12 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ तब चिह्नित की जाती हैं, जब कंपनी दस्तावेज के करारीय प्रावधानों की पार्टी हो जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ शुरू में सही मूल्य पर मापी जाती हैं। लेन-देन की लागत जो सीधे अधिग्रहण या वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं से जुड़ा है (लाभ/हानि लेखे के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में शुरुआती पहचान पर उचित के रूप में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसम्पत्तियों को बाद में परिशोधन लागत पर, यदि कोई हो, मापा जाता है यदि यह बिजनेस मॉडल के अन्दर रखा गया हो, जिसका उद्देश्य है करारी नकद प्रवाह पर संग्रह करने के लिए परिसंपत्तियों को रोकना है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की करारी शर्तों पर नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीख पर वृद्धि देता है। जो कि बकाया मूल रकम पर मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान है।

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में अन्य वृहद् आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि इसे बिजनेस मॉडल के अन्दर रखा गया हो, जिसका उद्देश्य करारी नकद प्रवाह का संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा हासिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की करारी शर्तों पर नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीख पर वृद्धि देता है, जो कि बकाया मूल रकम पर मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान है।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों को, जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनको लाभ व हानि लेखे के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब गैर चिह्नित करती है, जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह का करारी अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए करारी अधिकार को अंतरित कर देता है, यदि कोई हो।

3.14 वित्तीय देयताएँ

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए शोधन लागत पर वहन किया जाता है। सिवय बिजनेस संयोजन में चिह्नित आकस्मिक विचार के, जिसे बाद में लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

व्यापार एवं अन्य देयों के लिए, जो तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं, इन दस्तावेजों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण लगभग उचित मूल्य की रकम वहन करते हैं।

3.15 इक्विटी दस्तावेज

3.15.1 इक्विटी शेयर :

साधारण शेयर : साधारण शेयर को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्द्धित लागत सीधे नए साधारण शेयर के जारी होने से जुड़ा है।

3.15.2 अन्य इक्विटी

- आवंटन लंबित शेयर आवेदन रकम को अन्य इक्विटी के रूप में माना जाता है।
- इंड एस-32 के पैरा 16 के अनुसार सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ उधार (ऋण) को वित्तीय दस्तावेज का इक्विटी घटक माना जाता है।
 - 1 इस ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कोई करार या शर्तें नहीं हैं।
 - 2 शेयर जारी करने के लिए कंपनी पर करारी दायित्व नहीं है।
 - 3 सरकार से प्राप्त ऋण ब्याज मुक्त ऋण है।
 - 4 दस्तावेज, दस्तावेज की श्रेणी में है, जो दस्तावेजों की समस्त अन्य श्रेणियों के अधीनस्थ है। ऋण प्रकृति के अनुसार अधीनस्थ है, जिसका आशय है कि इसका भुगतान JICA ऋण के निपटान के बाद किया जाएगा।

3.16 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह में अप्रत्यक्ष तरीका प्रयुक्त होता है ऐसा बताया गया है, जिसके द्वारा कर-पश्चात लाभ/(हानि) का समायोजन गैर नकद प्रकृति वाले लेन-देन तथा विगत अथवा भावी नकद प्राप्ति या भुगतान के किसी फर्क या जीवनांकिक के प्रभाव के लिए किया जाता है। प्रचालन निवेश तथा कंपनी की वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर अलग किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

3.17 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात लाभ को अवधि/वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा विभाजित कर की जाती है।

3.18 हालिया लेखा उद्घोषणा

मानक जारी, परन्तु अभी तक प्रभावी नहीं

मार्च 2017 में, निगमित कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया था, जिसमें इंड एस-7 “नकद प्रवाह विवरण” तथा इंड एस 102, “शेयर आधारित भुगतान” में संशोधन अधिसूचित किया गया था। ये संशोधन अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (IASB) द्वारा आईएसएस 7 “नकद प्रवाह विवरण” तथा आईएफआरएस-2 “शेयर आधारित भुगतान” में किए गए संशोधन के अनुसार थे। ये संशोधन कंपनियों पर 1 अप्रैल, 2017 से लागू हैं।

इंड एस-7 में संशोधन

इंड एस-7 में संशोधन में यह जरूरी है कि कंपनियाँ यह घोषित करें जो वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में वित्तीय विवरणों के इस्तेमालकर्ताओं की मदद करे, जिसमें नकद प्रवाह तथा गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों बदलाव शामिल हैं, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों के बीच मिलान शामिल किया जाय, ताकि प्रकटन की जरूरतें पूरी हों।

कंपनी संशोधन की जरूरतों का मूल्यांकन कर रही है तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

4. इंड - एस का पहली बार अंगीकरण

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक (इंड एस) अपनाया है, जैसा कि कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी अधिसूचित किया है, 1 अप्रैल 2015 की संक्रमण तारीख के साथ।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण पहला है, जिसे कंपनी ने इंडएस के अधीन तैयार किया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक तथा उसके सहित सभी अवधि के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा उसके साथ पठित कंपनी लेखा नियम, 2014 (विगत GAAP) 7 के पैराग्राफ के अधीन अधिसूचित लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

इंड एस में परिवर्तन ने वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण, उसके द्रष्टव्यों में प्रकटन तथा लेखा नीतियों एवं सिद्धान्तों में परिवर्तन कर दिया है। द्रष्टव्य 3 में निर्धारित लेखा नीतियों का उपयोग 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने में किया गया है तथा तुलनात्मक सूचनाएँ 31 मार्च, 2016 को तथा प्रारंभिक इंड एस तुलन-पत्र दिनांक। 1 अप्रैल 2015 को, जो कि इंड एस में परिवर्तन की तारीख है।

एक व्याख्या कि विगत GAAP से इंड एस में परिवर्तन कैसे कंपनी के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण को प्रभावित किया है, द्रष्टव्य सं. 34 में दी गयी है।

इन इंड एस वित्तीय विवरण की तैयार करने में कंपनी ने कुछ छूट का लाभ उठाया है तथा इन छूटों की व्याख्या इंड एस 101 के अनुसार नीचे दी गयी है।

4.1 इंड एस 101 के पहली बार अंगीकरण पर लाभ उठाए गए छूट

पहली बार इंड एस 101 अपनाने वाले को इंड एस के अधीन कुछ जरूरतों का उपयोग इसके लागू होने की तारीख से दी गयी है। तदनुसार, कंपनी ने लागू होने की तारीख से निम्नलिखित वैकल्पिक छूट को लागू किया है।

(क) संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण के लिए लागत माना जाता

कंपनियों को पीपीई तथा अगोचरों का मूल्य वहन कर रहे IGAAP का अतिरिक्त विकल्प परिवर्तन की तारीख से दिया गया है, जिसे इंड एस के अधीन लागत माना गया है

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

(ख) दीर्घकालीन मौद्रिक आइटमों पर विदेशी मुद्रा का फर्क

IGAAP के अधीन कंपनियों के पास दीर्घकालीन मौद्रिक आइटमों पर विनिमय में उतार-चढ़ाव के पूँजीकृत का एककालीन विकल्प है, जो कि स्थायी परिसंपत्तियों की वहन लागत है या आरक्षण हेतु और फिर एक समयावधि के ऊपर मूल्य ह्रास। परिशोधन, यथा उल्लिखित या उसे आय विवरण में चार्ज करें। परिवर्तन प्रावधान के अधीन दीर्घकालिक मौद्रिक परिसंपत्तियों/देयताओं पर विनिमय उतार-चढ़ाव के लिए लेखे में छूट का प्रावधान दिया है, जो कि माइग्रेशन की तारीख तक विद्यमान है (वित्त वर्ष 16 समाप्त-प्रथम चरण के लिए), विनिमय फर्क के लेखों हेतु जो वित्तीय विवरणों में विगत GAAP के अनुसार चिह्नित दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा आइटमों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय फर्क को लेखाबद्ध करने के लिए। इंड एस 101 विकल्प प्रदान करता है, दीर्घकालीन मौद्रिक आइटम के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय फर्क को लेखा बद्ध करने के लिए अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए, जिसे विगत GAAP के अनुसार पहली इंड एस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि शुरू होने से तत्काल पहले समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में चिह्नित किया गया है।

(ग) पूर्व व्यापी प्रयोज्यता का विकल्प :

विगत GAAP वित्तीय विवरण के अधीन किए गए अनुमान के आकलन पर कंपनी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इंड एस के अधीन अनुमानों को संशोधित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई उद्देश्यमूलक साक्ष्य नहीं है कि उन अनुमानों में भूल है। तथापि, इंड एस के अधीन जो अनुमान वांछित था, परन्तु विगत GAAP के अधीन वांछित नहीं था, कंपनी द्वारा उस तारीख को मौजूद शर्तों को दर्शाने वाली संबंधित रिपोर्टिंग तारीखों के लिए बनाया गया है।

5. पुनर्कथन

- 5.1 पुनर्कथन की अवधारणा भारत में नई है। इंड एस के अधीन लेखा नीतियों में परिवर्तन तथा भूल व त्रुटियों के सुधार को तुलनात्मक अवधि के पुनर्कथन द्वारा पूर्वव्यापी के लिए लेखाबद्ध किया जाएगा यानी पूर्व में अंतिम रूप दिए गए लेखों को। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि भारतीय GAAP के अधीन वर्तमान में इन समायोजनों को चालू अवधि आय विवरण के जरिए पूर्व अवधि आइटमों के रूप में दर्ज किया जाता है या लेखा नीति में बदलाव को प्रभावी किया जाता है।
- 5.2 तदनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त विगत वर्ष के लाभ व हानि को लेखा नीति में बदलाव के लिए पुनः कहा गया है।
- 5.3 कंपनी समस्त अन्य प्रशासनिक व्यय, वित्तीय लागत, कर्मचारी लाभ व्यय, तथा मूल्यह्रास लागत, जो आवश्यकता या सीधे योग्यता वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ी नहीं है, लाभ व हानि में चार्ज किया जाएगा। इसीप्रकार, इक्विटी निधि के सावधि जमा पर अर्जित आय भी पूर्व-प्रचालन व्यय से घटाने योग्य नहीं है। इसे आय के रूप में चिह्नित किया जाना और लाभ-हानि लेखे में चार्ज किया जाना चाहिए।
- 5.4 कंपनी ने प्रगति पर पूँजी कार्य (संपत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण) के वहन रकम को परिवर्तन की तारीख यानी 01.04.2015 से लिया है। इसमें पूर्व-प्रचालन व्यय को शामिल किया गया है (आज तक आय के ऊपर शुद्ध व्यय), जिसे प्रगति पर पूँजी कार्य में पूँजीबद्ध किया गया है। अतः सिर्फ बदलाव की तारीख के बाद आय व व्यय को लाभ व हानि लेखे में परिवर्तित किया जाता है।
- 5.5 कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 में कराधान के लिए भी प्रावधान नहीं किया है, परन्तु आयकर प्राधिकारियों को लैटाए गए आयकर के अनुसार कंपनी ने स्थायी जमा पर अर्जित ब्याज पर कर ऑफर किया है। चूँकि इंड एस की जरूरत के अनुसार लाभ व हानि तथा तुलन-पत्र को पुनः कहा गया है, कंपनी वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए कर हेतु प्रावधान कर रही है।

6 सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
सकल ब्लॉक	6.1	505,362,362	478,337,479	478,085,516
जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया संयोजन		4,910,437	27,024,883	251,963
घटाइए : वर्ष के दौरान की गयी समाप्ति		(1,875,526)	-	
घटाइए : कुल एकत्रित मूल्यह्रास		(43,868,662)	(39,348,181)	(33,729,608)
शुद्ध ब्लॉक		464,528,611	466,014,181	444,607,871

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

6.1 सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

विवरण	लैण्ड फ्रीहोल्ड जमीन	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर उपकरण	आईटी सिस्टम एवं नेटवर्किंग	योग
सकल वहन मूल्य 1 अप्रैल, 2016 को संयोजन	420,301,384	46,741,731	11,803,549	917,123	15,882,406	7,873,304	1,842,865	505,362,362
समाप्ति	-	-	227,203	-	1,061,328	2,012,329	1,609,577	4,910,437
31 मार्च, 2017 को सकल वहन मूल्य	420,301,384	46,741,731	12,030,752	917,123	16,770,868	8,182,973	3,452,442	508,397,273
1 अप्रैल, 2016 को संचित मूल्यहास	-	8,907,133	9,619,030	651,260	12,114,975	6,726,302	1,329,481	39,348,181
मूल्य हास	-	1,853,130	757,911	94,514	1,557,114	1,263,530	759,259	6,285,458
समाप्ति पर संचित मूल्यहास	-	-	-	-	147,450	1,617,527	-	1,764,977
31 मार्च, 2017 को संचित मूल्यहास	-	10,760,263	10,376,941	745,774	13,524,639	6,372,305	2,088,740	43,868,662
31 मार्च, 2017 को वहन मूल्य	420,301,384	35,981,468	1,653,811	171,349	3,246,229	1,810,668	1,363,702	464,528,611

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में सम्पत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

विवरण	लैण्ड फ्रीहोल्ड जमीन	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर उपकरण	आईटी सिस्टम एवं नेटवर्किंग	योग
सकल वहन मूल्य 1 अप्रैल, 2015 को संयोजन	420,301,384	24,250,830	11,675,158	917,123	12,454,302	6,895,817	1,842,865	478,337,479
समाप्ति	-	22,490,901	128,391	-	3,428,104	977,487	-	27,024,883
31 मार्च, 2016 को सकल वहन मूल्य	420,301,384	46,741,731	11,803,549	917,123	15,882,406	7,873,304	1,842,865	505,362,362
1 अप्रैल, 2015 को सकल वहन मूल्य	-	6,958,559	8,537,201	504,612	10,280,831	6,515,634	932,771	33,729,608
मूल्य हास	-	1,948,574	1,081,829	146,648	1,834,144	210,668	396,710	5,618,573
समाप्ति पर संचित मूल्यहास	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 को संचित मूल्यहास	-	8,907,133	9,619,030	651,260	12,114,975	6,726,302	1,329,481	39,348,181
31 मार्च, 2016 को वहन मूल्य	420,301,384	37,834,598	2,184,519	265,863	3,767,431	1,147,002	513,384	466,014,181
31 मार्च, 2015 को वहन मूल्य	420,301,384	17,292,271	3,137,957	412,511	2,173,471	380,183	910,094	444,607,871

6.1.1 जमीन में शामिल है रु. 3,00,00,000 कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को 10, वू सुन सरणी, कोलकाता की लागत के रूप में अदा किया गया, जो कि निम्नलिखित स्थान पर परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भवन निर्माण के रूप में था :

महाकरण एवं सेप्टल स्टेशन कोलकाता

6.1.2 जमीन की लागत दर्शाती है, जमीन जिसे कब्जे पर पूंजीकृत किया गया। जमीन की टाइटिल डीड कंपनी के नाम में नहीं है।

6.1.3 वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की क्षति नहीं थी।

6.1.4 वर्ष के दौरान खरीदे गए रु. 305,843/- मूल्य के लैपटॉप को कंप्यूटर में संयोजन में शामिल किए गए जो कर्मचारी के नाम से कंपनी के कब्जे में है।

6.1.5 वर्ष के दौरान रु. 53,838/- मूल्य के खरीदे गए मोबाइल कार्यालय उपकरण में शामिल किए गए, जो कर्मचारी के नाम से कंपनी के कब्जे में है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
7.0 पूँजीगत कार्य प्रगति पर

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
सीडब्ल्यूआईपी से सीधे जुड़ा व्यय				
सिविल निर्माण व्यय				
एलेवेटेड वायडक्ट	7.1	2,922,466,051	2,732,643,749	2,621,195,682
स्टेशन बिल्डिंग एवं डिजाइन		2,016,510,504	1,682,981,978	1,649,863,930
भूमिगत सुरंग - यूजी -1		4,374,634,824	2,256,414,964	1,614,360,808
भूमिगत सुरंग - यूजी -2		7,604,927,024	6,978,745,933	6,674,310,613
सेन्ट्रल पार्क डिपो	7.2	1,163,321,464	934,013,685	802,530,593
ट्रैक		345,052,890	227,212,152	201,503,149
बिजली आपूर्ति				
सिग्नलिंग एवं संचार		320,181,142	37,758,667	23,254,785
रोलिंग स्टॉक	7.3	155,001,655	153,861,909	140,499,768
ए एफ सी		363,441,216	-	-
सलाहकार शुल्क		6,265,505	-	-
सामान्य सलाहकार		2,730,048,694	2,399,846,342	2,197,345,752
मुख्य सलाहकार		171,375,530	164,274,380	157,027,160
अन्य		11,985,587	8,259,587	702,587
		22,185,212,086	17,576,013,346	16,082,594,827
पूर्व-प्रचालन व्यय - आवंटन लंबित				
(देखें द्रष्टव्य 3.8)	8	1,278,284,221	896,242,386	855,404,054
		23,463,496,307	18,472,255,732	16,937,998,881

- 7.1 दत्ताबाद में एलेवेटेड वायडक्ट के निर्माण से जुड़े सर्वश्री जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लि. से वसूले गये लामबंदी पर ब्याज रु. 39.04 लाख वर्ष के दौरान एलेवेटेड वायडक्ट पर पूँजीगत व्यय से घटाया गया है।
- 7.2 सल्टलेक के सेण्ट्रल पार्क के निर्माण से जुड़े सर्वश्री सीसीसी लिमिटेड से वसूले गए लामबंदी पर ब्याज रु. 21.16 लाख वर्ष के दौरान सेण्ट्रल पार्क पर पूँजीगत व्यय से घटाया गया है।
- 7.3 रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति के लिए ठेकाकृत सर्वश्री कैपमेलको की बैंक गारण्टी को ठेके के गैर निष्पादन के कारण मांग लिया गया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक जुड़ी रकम थी रु. 7954.73 लाख। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक गारंटी से रु. 661.66 लाख अधिक उसी पार्टी के लिए इंबोक कर ली गयी। चालू वर्ष में रोलिंग स्टॉक पर पूँजीगत व्यय से कुल रकम रु. 8616.39 लाख घटा की गयी है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
8 पूर्ब प्रचालन व्यय (आवंटन लंबित)

	31.3.17 को समाप्त वर्ष	वर्ष 2016-17 के दौरान	वर्ष 2015-16 के दौरान	31.3.15 को समाप्त वर्ष
व्यय				
उधार लागत	1,260,228,371	373,219,534	146,344,028	740,664,809
कर्मचारी हित लाभ भुगतान	149,045,993	-	-	149,045,993
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	29,755,557	-	-	29,755,557
बैंक चार्जेज	11,479,225	1,655,872	445,642	9,377,711
विज्ञापन व्यय	34,641,637	2,954,531	2,696,422	28,990,684
विनिमय उतार-चढ़ाव लागत	7,564,010	4,158,273	117,347	3,288,390
कानूनी व्यय	7,008,435	968,624	303,471	5,736,340
अन्य प्रशासनिक व्यय	144,146,160	-	-	144,146,160
	1,643,869,388	382,956,834	149,906,910	1,111,005,644
आय				
एफडीआर ब्याज	353,487,015	-	-	353,487,015
अन्य आय	693,481	-	-	693,481
बंयाना राशि की जब्ती	400,000	400,000	-	-
निविदा कागजात की बिक्री	10,746,042	515,000	452,000	9,779,042
आईटी रिफण्ड- पर ब्याज	258,630	-	-	258,630
घटाइए : प्रचालन के अधीन उत्पन्न आय	365,585,168	915,000	452,000	364,218,168
शुद्ध पूर्व-प्रचालन व्यय - सीपीआईडब्ल्यू को अंतरित	1,278,284,221	382,041,834	149,454,910	746,787,476
जोड़िए : विगत अवधि से लाया गया शेष	-	896,242,386.32	855,404,054	-
घटाइए : कर के प्रावधान की वापसी, जिसका प्रावधान विगत वर्षों में किया गया	-	-	108,616,578	(108,616,578)
कुल	1,278,284,221	1,278,284,221	896,242,386	855,404,054

8.1 वर्ष की समाप्ति के दौरान शामिल उधार लागत

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ब्याज खर्च - जेआईसीए	155,725,608	123,260,862
वादा चार्जेज	2,510,122	5,787,787
ब्याज खर्च - पीटीए	-	17,295,379
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव व्यय	214,983,804	-
कुल	373,219,534	146,344,028

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
9 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर-वर्तमान				
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए				
प्रतिभूति जमा	9.1	3,366,038	3,348,843	3,376,148
अन्य प्राप्य	9.2	1,940,063	1,940,063	1,940,063
योग		5,306,101	5,288,906	5,316,211
वर्तमान				
अन्य अग्रिम		195,454	229,118	180,022
स्थायी जमा	9.3	56,368,972	-	-
योग		56,564,426	229,118	180,022

द्रष्टव्य : वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर लाया जाता है।

- 9.1 प्रतिभूति जमा दर्शाता है - टेलीफोन, बिजली आदि के लिए सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के पास जमा।
- 9.2 प्राप्य रकम दर्शाता है - एचआरबीसी से प्राप्य रकम का शेष - एयरकंडीशनर एवं अन्य बिजली के उपकरण, जिसे कार्यालय शिफ्टिंग के समय हटाया गया।
- 9.3 स्थायी जमा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक है, वह न्यूरो टेक्नोलॉजी जर्मनी के पक्ष में सेंट्रल पार्क डिपो में पिट जैक की आपूर्ति हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में है।

10 अन्य परिसंपत्तियाँ

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर वर्तमान				
सुरक्षित, अच्छे माने गए				
पूँजी अग्रिम*				
ठेकेदार को अग्रिम उपयोगी सेवाओं के लिए सरकारी निकाय को अग्रिम	10.1	1,806,771,362	1,940,131,375	1,603,158,616
जमीन अधिग्रहण लागत की दिशा में अग्रिम	10.2	272,260,071	343,772,815	149,828,767
कुल पूँजीगत अग्रिम	10.3	143,039,253	143,039,253	37,375,312
पूँजीगत अग्रिम की अपेक्षा अन्य अग्रिम				
राजस्व प्राधिकारी के पास शेष आय कर	10.4	125,144,108	108,164,557	(576,481)
सेवा कर		69,560	-	-
		125,213,668	108,164,557	(576,481)
		2,347,284,354	2,535,108,000	1,789,786,214

10.1 ठेकेदारों को अग्रिम

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
लामबंदी अग्रिम	1,409,752,247	1,502,503,349	1,221,010,917
सामग्री अग्रिम	88,923,416	52,506,327	-
मशीनरी अग्रिम	308,095,699	385,121,699	382,147,699
	1,806,771,362	1,940,131,375	1,603,158,616

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- 10.1.1 ठेके के अनुसार ठेकेदार को दिए गए लामबंदी अग्रिम वित्तीय बैंक गारण्टी से पूरी तरह से सुरक्षित है जिसे ठेकेदार से प्राप्त किया गया है। ठेकेदार को अदा किया गया अग्रिम ठेकेदार से प्राप्त वित्तीय बैंक गारण्टी से आंशिक रूप से सुरक्षित है।
- 10.1.2 पूंजीगत अग्रिम में शामिल है - विदेशी मुद्रा में मुद्रांकित अग्रिम समायोजन प्रकृति के एवं अप्रतिदेय अग्रिम हैं। इंड एस 21 बताता है कि यदि किया गया भुगतान पूर्व-भुगतान या प्रगति भुगतान के रूप में है तो रकम को गैर - मॉनीटरी आइटम माना जाएगा। इंड एस 21 के अधीन गैर मॉनीटरी पुनर्भुगतान परिसंपत्तियाँ देयताएँ लागत के रूप में चिह्नित किया जाता है, भुगतान किए गए प्राप्त किए गए अग्रिम की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करके बदला जाएगा। उनके प्रारंभिक मान्यता के पश्चात विदेशी मुद्रा अग्रिम विनिमय दर में किसी प्रकार के परिवर्तन बदलाव के लिए पुनः नहीं कहा गया है। इसप्रकार, विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तारीख को स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है।
- 10.2 उपयोगी सेवाओं की दिशा में किया गया पूंजी अग्रिम पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि पैसे सरकारी एजेंसी को अदा किए गए हैं तथा जब कार्य पूरा हो जाएगा, तब उस समय समायोजित किया जाएगा।
- 10.3 जमीन के लिए दिया गया अग्रिम एलएसी प. बंगाल को तदर्थ भुगतान दर्शाता है, जो परियोजना के लिए विभिन्न स्थानों पर जमीन के अधिग्रहण के लिए है, तथा आवंटन के लिए लंबित है। जमीन अधिग्रहण पर कानूनी मामलों के लिए द्रष्टव्य सं. 26 देखें।
- 10.4 आयकर वापसीयोग्य - आकलन वर्षवार : आकलन वर्ष आय कर वापसी तथा विवादस्त अदा किए गए आय कर का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

आकलन वर्ष	आयकर वापसीयोग्य	विवाद के अधीन प्रदत्त आयकर	कुल
2010-11	415,108	1,100,000	1,515,108
2012-13	12,991,107	-	12,991,107
2013-14	18,640,790	-	18,640,790
2014-15	16,257,678	49,425	16,307,103
2015-16	4,273,000		4,273,000
2016-17	71,361,257		71,361,257
टीडीएस - गत वर्ष	-	-	55,743
	123,938,940	1,149,425	125,144,108

रु. 11 लाख आय कर का भुगतान आकलन वर्ष 2010-11 के लिए धारा 143(3) के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2012 के आकलन आदेश के उतर में किया गया था, कुल आकलित कर रु. 21,16,040/- में से। उसके खिलाफ अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लंबित है।

रु. 49,425 आय कर का आकलन वर्ष 2014-15 के लिए धारा 143(3) के अन्तर्गत दिनांक 26.11.2014 के आकलन आदेश के उतर में किया गया था। कुल आकलन कर रु. 3,29,500/- में से। उसके खिलाफ अपील सीआईटी अपील के समक्ष लंबित है।

11 नकद एवं नकद समतुल्य

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
बैंक में शेष				
चालू खाता				
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11.1	1,455,349,292	792,794,841	3,223,005,980
एसबीआई कोलकाता मुख्य शाखा		48,338	50,971	51,446
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		499,487,157	4,542,233	4,264,530
		1,954,884,787	797,388,045	3,227,321,956
जमा खाता, जिसकी मूल परिपक्वता 3 महीने से कम है (अर्जित ब्याज सहित)		5,025,849,316	5,539,190,833	3,050,406,572
नकद हाथ में		-	-	-
		6,980,734,103	6,336,578,878	6,277,728,528

- 11.1 चालू खाता में बैंक में शेष में शामिल है रु. 1 लाख का जमा, जो कि दूर संचार विभाग को दी जाने वाली बैंक गारण्टी जारी करने की दिशा में बैंक में बन्धक है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

(रकम रु. में)

12 चालू कर परिसम्पत्ति (शुद्ध)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
कर परिसम्पत्ति			
अग्रिम कर	93,734,300	81,996,290	38,339,420
कर कटौती स्रोत पर	27,731,781	36,273,923	16,081,040
कुल	121,466,081	118,270,213	54,420,460
कर दायित्व			
आयकर के लिए प्रावधान (देखें द्रष्टव्य सं. 23)	126,755,512	48,773,327	58,569,000
कुल	126,755,512	48,773,327	58,569,000
शुद्ध योग	(5,289,431)	69,496,886	(4,148,540)

13 इक्विटी शेयर पूँजी

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
प्राधिकृत शेयर पूँजी			
इक्विटी शेयर पूँजी	14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000
1,40,00,00,000 (1,40,00,00,000)			
इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक			
जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त			
10,605,00,000 (88,55,00,000)			
इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक	10,605,000,000	8,855,000,000	5,855,000,000
	10,605,000,000	8,855,000,000	5,855,000,000

13.1 इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास सिर्फ एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, जिसका समपार मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक वोट प्रति शेयर के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का कुछ भी शेयर धारक द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्ते करने का पात्र होगा।

13.2 प्रतिवेदन वाले वर्ष की शुरुआत एवं अंत में शेयरों की संख्या तथा बकाया रकम का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	शेयरों की संख्या	रकम	शेयरों की संख्या	रकम
क) इक्विटी शेयर पूँजी				
प्रतिवेदन अवधि के शुरू में शेष	885,500,000	8,855,000,000	585,500,000	5,855,000,000
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन-इक्विटी शेयरों का नया आवंटन	175,000,000	1,750,000,000	300,000,000	3,000,000,000
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष	1,060,500,000	10,605,000,000	885,500,000	8,855,000,000

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
13.3 पांच प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर धारकों का विवरण

शेयर धारको का नाम	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय खाते)	721,499,200	68.03%	546,500,000	61.72%
भारत के राष्ट्रपति (शहरी विकास मंत्रालय खाते)	339,000,000	31.97%	339,000,000	38.28%

13.4 5 वर्षों की अवधि के लिए, तुलन पत्र की प्रतिवेदित तारीख से तत्काल पूर्व

(क) आवंटित शेयरों की श्रेणी तथा कुल संख्या पूर्ण प्रदत्त के रूप में करार के अनुसार बिना भुगतान के नकद में प्राप्त	शून्य
(ख) आवंटित शेयरों की श्रेणी तथा कुल संख्या पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के जरिए	शून्य
(ग) वापस खरीदे गए शेयरों की श्रेणी एवं कुल संख्या	शून्य

14 अन्य इक्विटी

	मार्च 2017	मार्च 2016
शेयर आवेदन रकम - आवंटन लंबित	1,000,000,000	1,000,000,000
कंपाउण्ड वित्तीय दस्तावेज का इक्विटी कंपोनेण्ट 3.15.2		
भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण		
अधीनस्थ ऋण - भारत सरकार	990,000,000	990,000,000
अधीनस्थ ऋण - पश्चिम बंगाल सरकार	960,000,000	960,000,000
अधीनस्थ ऋण - रेल मंत्रालय	288,100,000	288,100,000
	2,238,100,000	2,238,100,000
आरक्षित एवं अधिशेष		
अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	241,435,389	
जोड़िए		
लाभ व हानि लेखे से अंतरित	161,938,031	241,203,017
अन्य वृहद् आय		
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से	(35,703)	232,372
वर्ष के अंत में शेष	403,337,717	241,435,389
	3,641,437,717	3,479,535,389

14.1 शेयर आवेदन रकम - आवंटन लंबित

शेयर आवेदन रकम में कोई शेयर प्रीमियम शामिल नहीं है

कंपनी ने भारत सरकार (रेल मंत्रालय) से रु. 10,000,00,000 की रकम तुलन-पत्र की तारीख यानी 31 मार्च, 2017 को प्राप्त किया 1000,00,000 इक्विटी शेयर @ रु. 10/- प्रत्येक की दिशा में दिनांक 17.03.2017 को। शेयर 25-05-2017 को आवंटित किए गए

कंपनी के पास रु. 1400 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी है, अतः आवंटन लंबित शेयर आवेदन की रकम प्राधिकृत शेयर पूँजी के कवरेज के पूरी तरह भीतर है।

शेयर पूँजी	सं.	रकम
वर्तमान जारी पूँजी	1,060,500,000	10,605,000,000
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	100,000,000	1,000,000,000
प्रस्तावित जारी पूँजी	1,160,500,000	11,605,000,000
प्राधिकृत पूँजी	14,000,000,000	140,000,000,000

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)
14.2 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2017 को (रकम रु. में)	31 मार्च, 2016 को (रकम रु. में)
शेयर आवेदन रकम - आवंटन लंबित		
प्रतिवेदन अवधि के शुरू में शेष	1,000,000,000	3,000,000,000
घटाइए : शेयर आवंटित	1,750,000,000	3,000,000,000
जोड़िए : नई शेयर आवेदन रकम प्राप्त	1,750,000,000	1,000,000,000
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष	1,000,000,000	1,000,000,000
कम्पाउण्ड वित्तीय दस्तावेज का इक्विटी कंपोनेंट	2,238,100,000	2,238,100,000
जोड़िए/घटाइए : अवधि के दौरान हलचल	-	-
अन्तिम शेष	2,238,100,000	2,238,100,000
प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	241,435,389	-
जोड़िए : वर्ष का लाभ	161,938,031	241,203,017
अन्य वृहद् आय	-	-
शुद्ध आय कर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से	(35,703)	232,372
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष	403,337,717	241,435,389

15 उधार ग्रहण

	मार्च, 2017	मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर-वर्तमान			
असुरक्षित			
ऋण जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी से भारत सरकार के जरिए	15,157,692,910	11,697,867,784	10,659,807,637
	15,157,692,910	11,697,867,784	10,659,807,637

15.1 जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी ने भारत में संरचना विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार किया है। इसीप्रकार की एक परियोजना थी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का निर्माण, ताकि सामूहिक तेज परिवहन प्रणाली के विस्तार द्वारा कोलकाता मेट्रो-पोलिटन क्षेत्र में ट्राफिक की माँग को पूरा किया जा सके, जिसके द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और शहरी विकास में सुधार हो एवं बढ़ते हुए मोटर वाहन से हो रहे प्रदूषण को कम करने एवं ट्रैफिक जाम से छुटकारा के जरिए शहरी वातावरण में सुधार हो।

ऋण को दीर्घकालीन प्रकृति का माना गया है, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए ऋण दिया गया है - यानी ईस्ट-वेस्ट मेट्रो का निर्माण अभी भी प्रक्रिया में है। जिसका कारण एवं परिस्थिति प्रबंधन के नियंत्रण में नहीं है। जीका ऋण, जीका ऋण करार से समर्पित है, जिसमें ऋण की शर्तों का वर्णन है।

जीका ऋण दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व है तथा इंड एस-32 के अनुसार वित्तीय विवरण में परिशोधन लागत पर किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

15.2 जीका ने ऋण को दो खण्डों में स्वीकृत किया था, जिसका विवरण निम्न है :

विवरण	करार की तारीख	स्वीकृत रकम (रकम लाख येन में)	ऋण का उद्देश्य	ब्याज दर	अप्रयुक्त रकम पर देय कमिटेमेण्ट चार्ज
ऋण A/c 192 ऋण A/c 192A	10/03/2008	64,370.00	निर्माण लागत तकनीकी सलाह आकस्मिक ऋण	1.20% 0.01%	0.01%
		64,370.00			
ऋण A/c 207 ऋण A/c 207A	31/03/2010	234,020	निर्माण लागत तकनीकी सलाह	1.40% 0.01%	0.01%
		234,020			
		298,390			

- 15.3 ये ऋण अर्द्धवार्षिक किश्तों में 30 वर्षों तक देय होगा (करार की तारीख से 10 वर्ष विलंबकाल और उसके बाद 20 वर्ष पुनर्भुगतान)
- 15.4 करार में बताया गया है कि ब्याज के भुगतान में विलम्ब के मामले में, बकाया रकम के ऊपर 2% की सीमा तक ओवर ड्यु चार्ज भी देय है। अभी तक कंपनी ने किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया है, अद्यापि प्रावधान किया जा चुका है। बकाया रकम के डपर 2% की सीमा तक ओवर ड्यु के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रालय से सूचना के अनुसार ब्याज वित्त मंत्रालय के जरिए सीधे जीका को दिया जा रहा है। मंत्रालय से कंपनी का तत्संबंधी डेबिट लंबित है। अतः ओवरड्यु चार्जेज देय नहीं है।
- 15.5 जीका ऋण पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव-ऋण को तुलन-पत्र की तारीख को CAAN (वित्त मंत्रालय) द्वारा पुष्टि की गई दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है। इस परिवर्तन की बदली दर है 0.5849। उसे कंपनी द्वारा मान्यता दिया गया है तथा उधार लागत के रूप में पूँजीबद्ध किया गया है - पूँजी परिसंपत्तियों के निर्माण से संबद्ध देखें द्रष्टव्य 8.1।

विवरण	31-3-17 को ऋण (येन)	31-3-17 को ऋण (रु.) परिवर्तित नहीं	विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव खर्च उधार पर	31-3-17 को ऋण (रु.) परिवर्तित
ऋण A/c 192	6,389,659,274	3,295,867,479	441,444,230	3,737,311,709
ऋण A/c 207	19,525,356,815	11,646,841,627	(226,460,426)	11,420,381,201
	25,915,016,089	14,942,709,106	214,983,804	15,157,692,910
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खर्च उधार पर	-	-	-	214,983,804
	25,915,016,089	15,157,692,910		15,157,692,910

15.6 ऋण की शर्तें
ब्याज दर

ब्याज का प्रावधान जीका (ID-P192) से प्रथम वित्तांश पर @ 1.2% प्रति वर्ष तथा जीका (ID-P207) से द्वितीय वित्तांश पर @ 1.4% प्रति वर्ष संबंधित दिनों पर, जिसके लिए रकम बकाया है। उपयोग बिल जमा करने पर जीका से निधि की वसूली की गयी।

पुनर्भुगतान शर्तें

पी 192 - जापान इंटरनेशनल को - ऑपरेटिव एजेंसी (जीका) से 64,370 लाख जापानी येन ऋण पर ब्याज मार्च 2018 से अर्द्धवार्षिक किश्तों में प्रथम वित्तांश के लिए (आईडी पी-192) के लिए भारत सरकार के जरिए पुनर्भुगतानयोग्य है। यह ऋण 10-3-2013 को बंद कर दिया गया है।

पी - 207- जापान इंटरनेशनल को - ऑपरेटिव एजेंसी (जीका) से 234,020 लाख जापानी येन ऋण पर ब्याज मार्च 2020 से अर्द्धवार्षिक किश्तों में द्वितीय वित्तांश के लिए (आईडी-पी 207) के लिए भारत सरकार के जरिए पुनर्भुगतानयोग्य है। इस ऋण का कार्यकाल 31-3-17 को समाप्त हो गया। एक और वर्ष तक अवधि बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी गई है।

आकस्मिक चार्जेज

31 मार्च, 2017 तक जीका से वचनबद्धता ऋण के कुल अप्रयुक्त शेष @ 0.10% प्रति वर्ष वचनबद्धता प्रदान किया गया था।

चालू वित्त वर्ष के लिए वचत बद्धता शुल्क है रु. 25,10,122/- (गत वर्ष रु. 57,87,787/-)।



वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

15.7 ऋण का विवरण

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव	अंतिम शेष
मूलधन	11,697,867,784	3,244,841,322	-	214,983,804	15,157,692,910
अर्जित ब्याज एवं बकाया	425,460,861	155,725,608	-	-	581,186,469
आकस्मिक शुल्क बकाया	49,023,533	2,510,122	-	-	51,533,655
	12,172,352,178	3,403,077,052	-	214,983,804	15,790,413,034

16 अन्य वित्तीय देयताएँ

	मार्च, 2017	मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
वर्तमान			
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ			
सहायता के जरिए पास - रेल मंत्रालय	1,651,774,405	1,642,457,456	1,310,212,339
बयाना राशि जमा	4,128,138	3,874,588	3,717,605
अर्जित ब्याज तथा सहायता के जरिए पास पर बकाया	-	-	306,391,204
अर्जित ब्याज तथा देय जीका ऋण पर बकाया	581,186,469	425,460,861	302,199,999
देय वचन बद्धता शुल्क	51,533,655	49,023,533	43,235,746
	2,288,622,667	2,120,816,438	1,965,756,893

17 प्रावधान

	मार्च, 2017	मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान			
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	852,597	571,242	631,045
छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	1,273,466	756,935	854,585
	2,126,063	1,328,177	1,485,630

17.1 जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर अपने पात्र कर्मचारियों के ग्रेच्युटी एवं छुट्टी वेतन लाभ की देयताओं के लिए कंपनी हिसाब रखती है।

18 अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

	मार्च, 2017	मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पूँजीगत माल के लिए उधारदाता	735,785,660	247,280,804	455,413,361
अन्य :			
प्रतिभूति जमा एवं रिटेंशन मनी	472,147,775	616,702,132	660,171,827
	1,207,933,435	863,982,936	1,115,585,188

ठेकादाता द्वारा रखा गया प्रतिभूति जमा एवं रिटेंशन मनी सिर्फ ठेकादाता की संतुष्टि के अनुसार ठेका पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। इस प्रकार से रोकी गयी रकम किसी संभावित हानियों के विरुद्ध बचाव का स्रोत दर्शाती है, जो हानि कंपनी द्वारा की जाएगी ठेके के गैर खराब कार्यनिष्पादन के मामले में। रोकी गयी रकम ठेकेदार द्वारा वित्तपोषण शामिल नहीं है तथा रकम डिस्काउण्ट नहीं किया गया।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)
19 अन्य वर्तमान देयताएँ

	मार्च, 2017	मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
अन्य देय			
ठेकेदारों से अग्रिम	2,489,074	3,385,144	2,914,824
कर्मचारी हित लाभ देय	3,072,805	2,430,847	1,891,654
व्यय के लिए देयताएँ	3,768,856	2,336,022	2,539,693
प्रतिभूति जमा एवं रकम प्रतिधारण	329,348,435	108,074	-
बीजी का इंवोकेशन	-	795,473,568	795,473,568
देय संवैधानिक देयताएँ	31,590,264	23,165,077	19,680,392
स्काईवाक के लिए मणि स्क्वायर से अग्रिम	790,147	790,147	790,147
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वैट प्रतिपूर्ति	38,752,098	38,752,098	80,543,561
	409,811,679	866,440,977	903,833,839

20 अन्य आय

	मार्च, 2017	मार्च, 2016
निम्न पर प्राप्त ब्याज		
बैंक जमा		
स्थायी जमा पर ब्याज	362,178,397	347,027,514
अन्य गैर-प्रचालन आय :		
अन्य आय	107,207	150,532
आय कर रिफण्ड पर ब्याज	4,082,329	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(15,549)	-
	366,352,384	347,178,046

21 कर्मचारी हित लाभ व्यय

	मार्च, 2017	मार्च, 2016
मजदूरी एवं वेतन तथा अन्य हित लाभ	43,355,417	29,703,160
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	636,617	548,128
स्टाफ एवं श्रमिक कल्याण	329,763	164,401
	44,321,797	30,415,689

22 अन्य व्यय

	मार्च, 2017	मार्च, 2016
प्रशासनिक लागत		
लेखा परीक्षा शुल्क	852,701	278,200
कार भाड़ा शुल्क	7,630,586	3,340,426
बैंक चार्ज	42,910	1,327
मरम्मत एवं रखरखाव	1,230,364	1,169,176
यात्रा एवं आवागमन	4,380,259	5,600,845
कर एवं उपकर	64,963	66,685
प्रतिभूति शुल्क	4,980,535	4,114,090
विद्युत शुल्क	2,745,252	2,548,488
बीमा शुल्क	12,176	12,124
पंचाट एवं निपटारा शुल्क	-	236,975
सलाह एवं पेशेवर शुल्क	318,465	268,732
विविध व्यय	3,168,193	1,677,812
छपाई एवं स्टेशनरी	642,355	685,246
सांविधिक भुगतान पर ब्याज	174,313	397,359
टेलीफोन एवं इंटरनेट शुल्क	808,514	769,955
	27,051,586	21,167,440

22.1

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

22.1 लेखा परीक्षा शुल्क

	मार्च, 2017	मार्च, 2016
सांविधिक लेखा परीक्षा	110,500	85,000
कर लेखा परीक्षा	13,200	10,000
आंतरिक लेखा परीक्षा	729,001	183,200
	852,701	278,200

23 कर व्यय

चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने आय कर के लिए आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार रु. 12,67,55,512/- (गत वर्ष रु. 487,73,327/-) का प्रावधान किया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कराधान के लिए प्रावधान नहीं किया है, परन्तु आयकर अधिकारियों को लौटाए गए आयकर के अनुसार कंपनी ने स्थायी जमा पर अर्जित ब्याज पर कर ऑफर किया है। पूँक इंड एएस की जरूरत के अनुसार लाभ व हानि तथा तलुन-पत्र को पुनः कहा गया है, कंपनी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर का प्रावधान कर रही है।

24 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ

घटाने योग्य अस्थायी फर्क वर्तमान कर कानून के अधीन समाप्त नहीं होता। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ इन आइटमों के संबंध में चिह्नित नहीं की गयी हैं, क्योंकि इसकी संभावना पर विचार नहीं किया गया है कि भावी करयोग्य लाभ निकट भविष्य में उपलब्ध होगा, जिनके तहत उन्हें वसूला जा सकता है।

25 आकस्मिक देयताएँ एवं पूँजीगत वचनबद्धता (प्रावधान न की गयी सीमा तक)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क) निम्न के संबंध में			
सेवा कर मामले - वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13 के अधीन आय कर मामले - अपील आकलन वर्ष 2010-11 के अधीन आय कर मामले - अपील आकलन वर्ष 2011-12 के अधीन आयकर मामले - अपील आकलन वर्ष 2014-15 के अधीन	18,54,944	18,54,944	9,27,472
ख) कंपनी के विरुद्ध दावा, ऋण के रूप में नहीं माना गया	10,16,041	10,16,401	-
ग) हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर द्वारा दावा - विभिन्न व्ययों की दिशा में	36,25,100	36,25,100	-
घ) अक्रियान्वित पूँजीगत टेकों की अनुमानित रकम (अग्रिम का शुद्ध)	279,075	-	-
ङ) लेटर ऑफ क्रेडिट के विरुद्ध बकाया रकम	58,85,39,223	58,85,39,223	58,85,39,223
	1,33,01,360	1,33,01,360	-
	26,009,677,376	24,568,125,682	
	650,560 यूरो		

26 जमीन के अधिग्रहण से संबद्ध लंबित कानूनी मामले

कंपनी के विरुद्ध 21 अदद कोर्ट केस हैं, जो 31-03-2017 को लंबित हैं।

विवरण नीचे लिखे अनुसार हैं : सभी मामले दीवानी तरह के हैं।

मामलों की संख्या	विवरण	फोरम
12	जमीन अधिग्रहण	कोलकाता उच्च न्यायालय
1	जमीन अधिग्रहण	हावड़ा जिला न्यायालय
2	पर्यावरण	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता
6	विविध	कोलकाता उच्च न्यायालय

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

27 दिनांक 31 मार्च, 2017 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुछ बकाया देय नहीं है, नही कोई अन्य पार्टी है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अथम विकास अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट करने की जरूरत है।

28 कर्मचारी लाभ योजनाएँ

कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न कर्मचारी लाभों का विवरण है :

क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी की परिभाषित लाभ योजना में शामिल है - सेवा निवृत्ति की आयु तक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए ग्रेच्युटी की पात्रता।

यह योजना विशिष्ट रूप से कंपनी के जीवनांकिक जोखिम को एक्सपोज करती है जैसे : निवेश जोखिम, दीर्घायु जोखिम तथा वेतन जोखिम।

योजना परिसंपत्तियों के सबसे हालिया जीवनांकिक मुल्यांकन तथा परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2017 को श्री भूदेव चंटरजी, एमएससी, भारत के एकचुआरी संस्थान के फेलो द्वारा लाया गया। परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य तथा संबद्ध वर्तमान सेवा लागत को प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर मापा जाता है।

ग्रेच्युटी

जीवनांकिक मुल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मुख्य अनुमान निम्नानुसार था :

मुख्य अनुमान	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
छूट दर	7.50%	8.00%
भावी वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
औसत प्रत्याशित भावी सेवा (शेष कार्य-जीवन)	22 वर्ष	9 वर्ष
मृत्यु तालिका	IALM 2006-2008	IALM 2006-2008
सेवानिवृत्ति की आयु - पुरुष	60 वर्ष	60 वर्ष
सेवानिवृत्ति की आयु - महिलाएँ	60 वर्ष	60 वर्ष
जल्दी सेवानिवृत्ति एवं विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	100%	100%
45 वर्ष से ऊपर आयु	.06%	.06%
29-45 वर्ष के बीच आयु	.03%	.03%
29 वर्ष से नीचे आयु	.01%	.01%
स्वेच्छा सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

जिम्मेदार के वर्तमान मूल्य में हलचल नीचे लिखे अनुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
जिम्मेदारी का वर्तमान मूल्यांकन पिछले मूल्यांकन पर	5,71,242	6,31,045
वर्तमान सेवा लागत	2,02,809	1,22,085
ब्याज लागत	42,843	50,484
जीवनांकिक (लाभ)/हानियाँ - वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न	71,282	-
जीवनांकिक (लाभ)/हानियाँ - जनांतिकीय आकलन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न	शून्य	शून्य
जीवनांकिक (लाभ)/हानियाँ - अप्रत्याशित अनुभव के कारण उत्पन्न	(35,579)	(2,32,372)
अदा किया गया लाभ	-	-
मूल्यांकन तारीख पर जिम्मेदारियों का वर्तमान मूल्य	8,52,597	5,71,242

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

लाभ-हानि के विवरण में चिह्नित रकम

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्तमान सेवा लागत	2,02,809	1,22,085
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	42,843	50,484
शुद्ध जीवनांकिक लाभ व हानि सिर्फ विगत वर्ष के लिए लागू	-	-
लाभ लागत (लाभ/हानि में चिह्नित व्यय)	2,45,652	1,72,569

अन्य वृहद् आय में चिह्नित रकम दर्शाने वाली तालिका

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
जिम्मेदारियों पर जीवनांकिक लाभ/(हानि)		
वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण	71,282	-
जिम्मेदारियों पर जीवनांकिक लाभ/(हानि)		
जीवनमृत्यु के आकलन में परिवर्तन के कारण	-	-
जिम्मेदारियों पर जीवनांकिक लाभ/(हानि)		
अप्रत्याशित अनुभव के कारण	(35,579)	(2,32,372)
कुल जीवनांकिक लाभ/हानि	(35,703)	(2,32,372)
अवधि के अंत में शेष	35,703	(2,32,372)
ओसीआई में चिह्नित अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	35,703	(2,32,372)

छुट्टी नकदीकरण

जीवनांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य अनुमान निम्नानुसार थे :

मुख्य अनुमान	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
छूट दर	7.50%	8.00%
भावी वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
औसत प्रत्याशित भावी सेवा (शेष कार्य - जीवन)	22 वर्ष	9 वर्ष
मृत्यु तालिका	IALM 2006-2008 Ultimate	IALM 2006-2008
सेवानिवृत्ति आयु - पुरुष	60 वर्ष	60 वर्ष
सेवानिवृत्ति आयु - महिलाएँ	60 वर्ष	60 वर्ष
संघर्षण की दर	1.00%	1.00%
स्वेच्छा सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

जिम्मेदारियों के वर्तमान मूल्य में हलचल निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
जिम्मेदारी का वर्तमान मूल्यांकन	7,56,935	8,54,585
पिछले मूल्यांकन पर वर्तमान सेवा लागत	1,76,301	1,07,316
ब्याज लागत	56,770	54,796
जीवनांकिक (लाभ)/हानियाँ - वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न	1,03,172	2,33,893
जीवनांकिक (लाभ)/हानियाँ - ज्ञानिकीय आकलन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न	शून्य	शून्य
जीवनांकिक (लाभ)/हानियाँ - अप्रत्याशित अनुभव के कारण उत्पन्न	1,80,288	2,33,893
अदा किया गया लाभ	शून्य	3,39,276
मूल्यांकन तारीख पर जिम्मेदारियों का वर्तमान मूल्य	12,73,466	7,56,935

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्तमान सेवा लागत	1,76,301	1,07,316
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	56,770	54,796
शुद्ध जीवनांकिक लाभ व हानि सिर्फ विगत वर्ष के लिए लागू	2,83,460	79,514
लाभ लागत (लाभ/हानि में चिह्नित व्यय)	5,16,531	241,626

29 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
मूल आय प्रति शेयर (रु.)	0.31	0.33	
लाभ-हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	28,86,93,543	28,99,76,344	
इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु	92,29,65,753	87,89,24,658	
मूल आय प्रति शेयर	0.31	0.33	
प्रारंभिक शेयर पूंजी - सं.	88,55,00,000	58,55,00,000	
अंतिम शेयर पूंजी - सं.	1,06,05,00,000	88,55,00,000	
शेयरों की सं.	दिन	31.03.2017 को शेयरों की भारत सं.	31.03.2016 को शेयरों की भारत सं.
88,55,00,000	365	3,23,20,75,00,000	2,13,70,75,00,000
10,00,00,000	88	8,80,00,00,000	1,07,10,00,00,000
7,50,00,000	65	4,87,50,00,000	-
योग (क)		3,36,88,25,00,000	3,20,80,75,00,000
शेयरों की भारत सं.		92,29,65,753	87,89,24,658

30 संबद्ध पार्टी प्रकटन - इंड एस 24 के अधीन
(क) संबद्ध पार्टी प्रकटन

प्रमुख संबंधकीय व्यक्ति का नाम	संबंध की प्रकृति
श्री मूल चन्द चौहान	अध्यक्ष
श्री सतीश कुमार	प्रबंध निदेशक
श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	निदेशक
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	निदेशक
श्रीमती झंझा त्रिपाठी	निदेशक
श्री अलापन बंदोपाध्याय, भा.प्र.से.	निदेशक
श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक
श्री अनूप कुमार कुण्डू	निदेशक
श्री परशुराम सिंह	निदेशक
डॉ. एस. के. पाण्डेय	निदेशक

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

(ख) अवधि/वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन

विवरण	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री सतीश कुमार	पारिश्रमिक	2,55,750	-
श्री अनूप कुमार कुण्डू	पारिश्रमिक	5,13,461	-
श्री परशुराम सिंह	पारिश्रमिक	2,52,878	-
डॉ. एस. के. पाण्डेय	पारिश्रमिक	3,30,980	-

(ग) वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष

विवरण	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री सतीश कुमार	पारिश्रमिक	20,000	-
श्री अनूप कुमार कुण्डू	पारिश्रमिक	31,000	-
श्री परशुराम सिंह	पारिश्रमिक	16,000	-
डॉ. एस. के. पाण्डेय	पारिश्रमिक	-	-

31 विदेशी मुद्रा विवरण

कंपनी विदेशी मुद्रा में लेन-देन करती है - जैसे ठेकेदारों को अग्रिम, निर्माण व्यय, बैंक चार्ज (टोकियो) तथा यात्रा खर्च। फलस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का एक्सपोजर उत्पन्न होता है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्यय की कुल लेन-देन की रकम नीचे अनुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ठेकेदारों को अग्रिम		
- यूरो	33,09,581	-
- येन	30,01,22,264	-
निर्माण व्यय		
- यूरो	26,39,224	2,35,008
- येन	1,26,05,134	-
- एयूडी	-	77,070
बैंक चार्ज (टोकियो)		
- येन	30,38,685	7,79,402
यात्रा व्यय		
- यूएसडी	12,735	16,387

32 उचित मूल्य माप

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य उस रकम में शामिल होता है, जो परिसंपत्तियों के बेचने से प्राप्त होती है तथा विपणन सहभागियों के बीच आदेशात्मक लेन-देन में भुगतान अंतरण के लिए किया जाता है।

नकद एवं नकद समकक्ष, ऋण, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, लगभग उनकी वहन रकम इन दस्तावेजों की उनकी अल्पकालीन परिपक्वता के कारण होती है।

प्रबंधन अपने वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का अनुमान करने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करता है। तथापि, किसी भी अनुमान तकनीक में निहित सीमाएँ होती हैं। अतः, परवर्ती सभी वित्तीय दस्तावेजों के लिए, प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान उन सभी रकमों के लिए सांकेतिक होना आवश्यक नहीं है, जिसे कम्पनी संबंधित तारीखों पर वसूल सकती थी अथवा बिक्री लेन-देन में अदा कर सकती है। अतः, संबंधित रिपोर्टिंग तारीख के बाद वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य उस रकम से भिन्न हो सकता है, जिसे प्रत्येक अवधि वर्ष के आखिर में सूचित की जाती है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)

33 31मार्च, 2017 को बकाया आयकर तथा विवादित सेवा कर का विवरण जिसे जमा नहीं किया गया है या प्रतिवाद के अधीन जमा किया गया है, नीचे लिखे अनुसार है :

कानून का नाम	बकाए की प्रकृति	रकम (रु. में)	अवधि जिससे रकम संबद्ध हो	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	11,31,842	आ. वर्ष 2010-11	अपीलेट ट्रिब्युनल 'सी' बेंच
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	36,25,100	आ. वर्ष 2011-12	अपीलेट ट्रिब्युनल 'बी' बेंच
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	279,075	आ. वर्ष 2014-15	सीआईटी (अपील), कोलकाता
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	18,54,944	वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13	अपीलेट अथॉरिटी कमिशनर अपील (11), सेण्ट्रल एक्साइज
आय कर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	12,647	वित्त वर्ष 2016-17	अवशेष चूक के अनुसार कुल
आय कर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	3,219	वित्त वर्ष 2015-16	
आय कर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	1,05,893	वित्त वर्ष 2013-14	
आय कर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	12,28,394	वित्त वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक	

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)
34 प्रथम बार इंड-एएस अंगीकरण मिलान
34.1 31 मार्च, 2016 एवं 1 अप्रैल, 2015 को इंड-एएस अंगीकरण का तुलन-पत्र पर प्रभाव

विवरण	द्रष्टव्य	1 अप्रैल, 2015 को (रकम रु. में)			
		पिछला GAAP	इंड-एएस में ट्रांजिशन का प्रभाव	इंड एएस तुलन-पत्र के अनुसार	
परिसम्पत्तियाँ					
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
क)	संपत्ति, प्लाण्ट एवं उपकरण	क	446,706,654	2,098,783	444,607,871
ख)	पूँजी कार्य प्रगति पर	ख	16,935,914,571	(2,084,310)	16,937,998,881
ग)	निवेश सम्पत्ति		-	-	-
घ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-	-
	(i) निवेश		-	-	-
	(ii) व्यापार प्राप्त		-	-	-
	(iii) ऋण		-	-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		5,316,211	-	5,316,211
च)	आय कर प्रावधान		-	-	-
छ)	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	ग	1,790,362,695	576,481	1,789,786,214
वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
क)	वस्तु-सूचियाँ		-	-	-
ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-	-
	(i) निवेश		-	-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
	(iii) नकद एवं नकद समतुल्य		6,277,728,528	-	6,277,728,528
	(iv) बैंक शेष-उपर्युक्त (iii) के अलावा		-	-	-
	(v) ऋण		-	-	-
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		180,022	-	180,022
ग)	वर्तमान कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	घ	(4,739,494)	(590,954)	(4,148,540)
	कुल परिसम्पत्तियाँ		25,451,469,187	-	25,451,469,187
इक्विटी एवं देयताएँ					
इक्विटी					
क)	इक्विटी शेयर पूँजी		5,855,000,000	-	5,855,000,000
ख)	अन्य इक्विटी	ङ	3,000,000,000	(1,950,000,000)	4,950,000,000
देयताएँ :					
गैर-वर्तमान देयताएँ					
क)	वित्तीय देयताएँ		-	-	-
	(i) उधार	च	12,609,807,637	1,950,000,000	10,659,807,637
	(ii) व्यापार देय		-	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ आइटम (ख) में दिखाए गए के अलावा, बताया जाए		1,965,756,893	-	1,965,756,893
ख)	प्रावधान		1,485,630	-	1,485,630
ग)	आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		-	-	-
घ)	अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ		1,115,585,188	-	1,115,585,188
वर्तमान					
क)	वित्तीय देयताएँ		-	-	-
	(i) उधार		-	-	-
	(ii) व्यापार देय		-	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ आइटम (ख) में उल्लिखित के अलावा उल्लेख करें		-	-	-
ख)	अन्य वित्तीय देयताएँ		903,833,839	-	903,833,839
ग)	प्रावधान		-	-	-
घ)	वर्तमान कर देयताएँ		-	-	-
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ		25,451,469,187	-	25,451,469,187

34.2 31 मार्च, 2016 एवं 1 अप्रैल, 2015 को इंड-एएस अंगीकरण का तुलन-पत्र पर प्रभाव (जारी...)

विवरण	द्रष्टव्य	1 अप्रैल, 2016 (रकम रु. में)		
		पिछला GAAP	इंड एएस में ट्रांजिशन का प्रभाव	इंड एएस तुलन-पत्र के अनुसार
परिसम्पत्तियाँ				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ :				
क) संपत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण		466,014,181	-	466,014,181
ख) पूँजी कार्य प्रगति पर	छ	18,182,047,016	290,208,716	18,472,255,732
ग) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ		-	-	-
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iii) ऋण		-	-	-
(iv) अन्य (उल्लेख करें)		5,267,158	21,748	5,288,906
घ) आय कर (शुद्ध)		-	-	-
ङ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		2,535,108,001	-	2,535,108,001
वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
क) वस्तु सूचियाँ		-	-	-
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-	-
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य		6,336,578,878	-	6,336,578,878
(iv) बैंक शेष-उपर्युक्त (iii) को छोड़कर		-	-	-
(v) ऋण		-	-	-
(vi) अन्य (उल्लेख करें)		250,866	(21,748)	229,118
ग) वर्तमान कर परिसम्पत्तियों (शुद्ध)	ज	118,270,213	(48,773,327)	69,496,886
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		-	-	-
कुल		27,643,536,312	241,435,389	27,884,971,702
इक्विटी एवं देयताएँ				
इक्विटी :				
क) इक्विटी शेयर पूँजी		8,855,000,000	-	8,855,000,000
ख) अन्य इक्विटी	झ	1,000,000,000	2,479,535,389	3,479,535,389
देयताएँ				
गैर-वर्तमान देयताएँ				
क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	ञ	13,935,967,784	(2,238,100,000)	11,697,867,784
(ii) व्यापार देय		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ (आइटम (ख) में उल्लिखित के अलावा) उल्लेख करें		2,120,816,438	-	2,120,816,438
ख) प्रावधान		1,328,177	-	1,328,177
ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		-	-	-
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ		863,982,936	-	863,982,936
वर्तमान देयताएँ :				
क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार		-	-	-
(ii) व्यापार देय		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ (आइटम (ख) में उल्लिखित के अलावा) उल्लेख करें		-	-	-
ख) प्रावधान		-	-	-
ग) अन्य वर्तमान देयताएँ		866,440,977	-	866,440,977
कुल		27,643,536,312	241,435,389	27,884,971,701

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)
34.3 31 मार्च, 2016 एवं 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
विगत GAAP के अधीन कुल इक्विटी	8,855,000,000	5,855,000,000
अन्य इक्विटी		
इंड एस के अनुसार पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव		
आवंटन लंबित शेयर आवेदन रकम	1,000,000,000	3,000,000,000
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	2,238,100,000	1,950,000,000
	3,238,100,000	4,950,000,000
लेखा नीति में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि का पुनर्कथन		
संबद्ध लाभ - पूर्व प्रचालन व्यय से अंतरित	241,203,017	-
अन्य वृहद् आय	232,372	-
	241,435,389	-
इंड एस के अनुसार कुल इक्विटी	12,334,535,389	10,805,000,000

34.4 31 मार्च, 2016 को लाभ व हानि पर इंड एस अपनाने का प्रभाव

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (रकम रु. में)		
		विगत GAAP	ट्रांजिशन का प्रभाव इंड एस पर	लाभ व हानि खाते के इंड एस के अनुसार विवरण
राजस्व				
प्रचालन से राजस्व		-	-	-
अन्य आय	ट	347,693,135	515,089	347,178,046
कुल राजस्व		347,693,135	515,089	347,178,046
व्यय				
कर्मचारी हित लाभ व्यय	ज	30,056,170	(359,519)	30,415,689
वित्त लागत	ट	146,404,445	146,404,445	-
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय		5,618,573	-	5,618,573
अन्य व्यय	ठ	24,856,857	3,689,417	21,167,440
पूर्व अवधि व्यय	ड	(106,528,982)	(106,528,982)	-
कुल व्यय		100,407,063	43,205,361	57,201,702
कर - पूर्व लाभ		247,286,073	(42,690,272)	289,976,344
कर व्यय :				
वर्तमान कर		-	(48,773,327)	48,773,327
आस्थगित कर		-	-	-
अवधि का लाभ		247,286,073	6,083,055	241,203,017
घटाइए : पूँजीकरण - पूँजी कार्य प्रगति पर में लाभ उपलब्ध		247,286,073	-	-
अन्य वृहद् आय		-	-	-
आइटम जिसे बाद में लाभ व हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
ग्रेच्युटी योजना पर लाभ/(हानि) का पुनर्माप		-	(232,372)	232,372
कुल अन्य वृहद् आय, शुद्ध कर		-	-	-
कुल वृहद् आय, अवधि के लिए		-	5,850,683	241,435,389

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी..)
34.5 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल वृहद् आय का पुनर्मिलान

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए
विगत GAAP के अनुसार लाभ	-
लेखा नीति में परिवर्तन के कारण व्यय के ऊपर शुद्ध आय का पुनर्वर्गीकरण	289,976,344
कर हेतु प्रावधान	(48,773,327)
ग्रेच्युटी के संबंध में जीवनांकिक (लाभ)/ हानि का पुनर्वर्गीकरण अन्य वृहद् आय को	232,372
कुल वृहद् आय यथा इंड एस के अधीन सूचित	241,435,389
विगत GAAP, के अधीन, कुल वृहद् आय सूचित नहीं की गयी थी। अतः उपर्युक्त मिलान विगत GAAP के अधीन लाभ के साथ शुरू होता है।	

34.6 नकद प्रवाह विवरण में समायोजित

एस तथा विगत GAAP के अधीन प्रस्तुत नकद प्रवाह विवरण के बीच कोई टोस फर्क नहीं था।

35 विशिष्ट बैंक नोट (एसबीएन)

कंपनी कोई नकद शेष का रखरखाव नहीं करती है, अतः धारित विशिष्ट बैंक नोट के संबंध में प्रकटन तथा 08/11/2016 से 31/12/2016 तक की अवधि के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण देने की जरूरत नहीं है।

36 कंपनी द्वारा नियुक्त आम सलाहकार को जारी किए गए भुगतान में विलम्ब के उदाहरण हैं जो उनके साथ शर्तों का उल्लंघन है। भुगतान में इसप्रकार के विलम्ब के लिए किसी जुरमाना ब्याज का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसप्रकार के दावे निकलने का चांस क्षीण है।

37 सेगमेन्ट रिपोर्टिंग गतिविधियाँ नहीं हैं।

38 कंपनी के पास कोई दीर्घकालीन ठेका नहीं है, व्युत्पादित ठेके सहित, जिसके लिए किसी प्रकार की टोस दूरदृष्टियोग्य हानियाँ नहीं थीं।

39 पार्टियों के जमा व नामे शेष पुष्टि एवं मिलान के अधीन है।

40 गत वर्ष के आँकड़ों को पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो।

41 1 से 41 तक द्रष्टव्य तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि विवरण का अभिन्न अंग है तथा उन्हें प्रमाणीकृत किया गया है।

1 से 41 तक द्रष्टव्यों पर हस्ताक्षर

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस. के. नरेडी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं० 003333सी

अभिजित बोस
भागीदार
सदस्यता सं० 056109

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.09.2017

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

सुधीर अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07921451

डी. नन्दी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एच. के. साहु
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 05174575

एस. एन. मुखर्जी
कंपनी सचिव

प्रत्येक समूह का शीर्षवार मिलान

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 1 अप्रैल, 2015	INDAS 1 अप्रैल, 2015
क)	सम्पत्ति प्लाण्ट एवं उपकरण मूल्यहास - पूर्व अवधि समायोजन वित्त वर्ष 2016-17 सम्पत्ति प्लाण्ट एवं उपकरण	446,706,654 2,098,783 444,607,871	444,607,871

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 1 अप्रैल, 2015	INDAS 1 अप्रैल, 2015
ख)	पूँजी कार्य प्रगति पर शुद्ध पूर्व-प्रचालन व्यय वृद्धि मूल्यहास - पूर्व अवधि समायोजन वित्त वर्ष 2016-17 शुद्ध आय एफबीटी पर आकलन वर्ष 2009-10	16,935,914,571 2,098,783 -14,473 2,084,310 16,937,998,881	16,937,998,881

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 1 अप्रैल, 2015	INDAS 1 अप्रैल, 2015
ग)	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ गैर-वर्तमान आयकर का पुनः वर्गीकरण गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को अंतिम शेष	1,790,362,695 -576,481 1,789,786,214	1,789,786,214

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 1 अप्रैल, 2015	INDAS 1 अप्रैल, 2015
घ)	आयकर के लिए प्रावधान गैर-वर्तमान आयकर का पुनः वर्गीकरण गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को पूर्व-अवधि समायोजन एफबीटी पर ब्याज-आय आकलन वर्ष 2009-10 अंतिम शेष	-4,739,494 576,481 14,473 -4,148,540	-4,148,540

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 1 अप्रैल, 2015	INDAS 1 अप्रैल, 2015
च)	अन्य इक्विटी ब्याज मुक्त उप-नामों अंतिम शेष	3,000,000,000 1,950,000,000 4,950,000,000	4,950,000,000

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 1 अप्रैल, 2015	INDAS 1 अप्रैल, 2015
छ)	उधार घटाइए : ब्याज मुक्त उप-नामों अंतिम शेष	12,609,807,637 1,950,000,000 10,659,807,637	10,659,807,637

प्रत्येक समूह का शीर्षवार मिलान

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
ज)	पूँजी कार्य प्रगति पर कर पूर्व लाभ व हानि ग्रेच्युटी ओसीआई सीडब्ल्यूआईपी अंतिम शेष	18,182,047,016 289,976,344 232,372 290,208,716 18,472,255,732	 18,472,255,732

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
झ)	वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ शुद्ध प्रारंभिक शेष आयकर के लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2015-16 अब किया गया अंतिम शेष	118,270,213 48,773,327 69,496,886	 69,496,886

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
ट)	अन्य इक्विटी ब्याज मुक्त उप-नामों पूर्व-प्रचालन व्यय से अंतरित लाभ 2016 कर हेतु प्रावधान चालू वर्ष में किया गया अंतिम शेष	1,000,000,000 2,238,100,000 290,208,716 -48,773,327 2,479,535,389 3,479,535,389	 3,479,535,389

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
ठ)	उधार घटाइए : ब्याज मुक्त उप-नामों अंतिम शेष	13,935,967,784 -2,238,100,000 11,697,867,784	 11,697,867,784

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
ड)	अन्य आय पूर्व प्रचालन व्यय को अंतरित निविदा प्रपत्र की बिक्री वेतनों का पुनर्समूह स्थायी जमा पर ब्याज - पूर्व अवधि से पुनर्समूह अंतिम शेष	347,693,135 -452,000 -59,803 -3,286 -515,089 347,178,046	 347,178,046 347,178,046

प्रत्येक समूह का शीर्षवार मिलान

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
ढ)	कर्मचारी हित लाभ व्यय ग्रेच्युटी ओसीआई को अंतरित किराया लीज आवास - आय व्यय पूनर्समूह - पूर्व वर्ष की ग्रेच्युटी पुनरांकित अन्य आय से अंतरित अंतिम शेष	30,056,170 232,372 186,950 -59,803 30,415,689	30,415,689


द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
त)	वित्त लागत अन्य व्ययों का पुनर्समूह पूर्व प्रचालन व्यय को अंतरित	146,404,445 -60,417 -146,344,028 -146,404,445	-

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
थ)	अन्य व्यय वित्तीय लागत से पुनर्समूह वेतन को पुनः वर्गीकृत - किराया लीज आवास पूर्व प्रचालन व्यय को पुनः वर्गीकृत अंतिम शेष	24,856,857 60,417 24,917,274 -186,950 -3,562,882 21,167,442	21,167,440

द्रष्टव्य सं.	विवरण	IGAAP 31 मार्च, 2016	INDAS 31 मार्च, 2016
द)	पूर्व अवधि व्यय पुनर्समूहीकृत स्थायी जमा पर ब्याज मूल्यहास समायोजन वित्त वर्ष 13-14 एवं 14-15 एफबीटी पर ब्याज आय आकलन वर्ष 2009-10 पूर्व अवधि प्रावधान कर बट्टे खाते - पूर्व प्रचालन को अंतरित अंतिम शेष	106,528,982 -3,286 -2,098,783 14,473 108,616,578 106,528,982 -	स्थायी जमा ब्याज घटा पीपीई सकल ब्लॉक 1-4-15 घटा प्रावधान आयकर 1-4-15 घटा -



Tunneling complete below River Hooghly



Work started in Strand Road vent shaft besides river



KMRC

Kolkata Metro Rail Corporation Limited

(A Government of India undertaking)

KMRC L Bhavan, HRBC Office Compound, Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700 021